खण्ड-238, अंक-4
गुरूवार, 18 माघ, शक संवत् 1884
(7 फरवरी, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 238 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	२३३–२३७
९ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न ६१ के उत्तर का शोधन (स्थगित) ..	२३७–२३८
प्रश्नोत्तर	२३९–२६२
६ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न १९–२१ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	२६२
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं	२६२
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	२६३
रविदास जयन्ती के उपलक्ष में छुट्टी करने के संबंध में जानकारी ..	२६३
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	२६३–३१२
नार्दर्न इंडिया केनाल एन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ (पुरःस्थापित किया गया)	३१२–३१३
कार्यक्रम के संबंध में सूचना	३१३–३१४
नत्थियां	३१५–३२९

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ७ फरवरी, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६५

अक्षयवर्सिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस०जी०दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ बहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड०ए० अहमद, श्री

जे०पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री

प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
विशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगवतीदीन, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री

रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी वाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाथ चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री

श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजनलाल गुप्त वकील, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—नियोजन मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे ।

बृहस्पतिवार, ७ फरवरी, १९६३

---

९ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न ६१ के उत्तर का शोधन

गृह उप मंत्री (श्री नवलकिशोर)—

उपाध्यक्ष महोदय, ९ अगस्त, १९६२ को श्री बृजेश्वर सहाय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६१ का संशोधित उत्तर मैं आपके द्वारा सदन के सामने रखना चाहता हूं। उनका मूल प्रश्न इस प्रकार था कि क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवास में २४ मार्च, १९६२ से अब तक कितनी चोरियां हुयीं और उन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या कोई चोरी का पता लगा या नहीं ?

इसका मूल उत्तर इस प्रकार दिया गया था कि २४ मार्च, १९६२ से १५ जून, १९६२ तक विधायक निवास में कुल ४ चोरियां हुयीं। जांच के पश्चात् २ मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी और शेष २ में अभी जांच जारी है।

किन्तु इसका संशोधित उत्तर इस प्रकार है : २४ मार्च, १९६२ से १५ जून, १९६२ तक विधायक निवास में कुल ४ चोरियां हुयीं। जांच के पश्चात् दो मामलों में अंतिम रिपोर्ट लगायी गयी। १ मामले में जांच जारी है और शेष १ मामला अदम तफतीश कायम हुआ था, अतः उसकी जांच नहीं की गयी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैं एक निवेदन करूंगा कि अभी तक की यह परिपाटी रही है कि इस प्रकार के संशोधित उत्तर सवालों के बाद आते रहे हैं और उसका नतीजा यह होता था कि हम लोगों का दो, चार मिनट का समय बच जाता था। आज यह आपने एजेण्डा में पहले रख दिया है और इससे हम लोगों का समय इसमें ही खर्च हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---

यह मूल प्रश्न के उत्तर का शोधन है। अभी तक सप्लीमेंटरी के संशोधन आप के सामने आते रहे हैं। आप इन पर सप्लीमेंटरी सवाल भी कर सकते हैं इसलिये यह पहले रखा गया है। अगर कोई माननीय सदस्य सवाल करना चाहें इस पर, तो कर सकते हैं।

श्री मुकन्दी लाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन चार चोरियों में कितनी वैल्यूयेशन का माल चोरी गया है और यह चोरियां विधायकों के व्यक्तिगत सामान की हुई हैं अथवा सरकारी फर्नीचर आदि की ?

श्री नवलकिशोर---

यह तो दारुलशफा में जो मेम्बर साहबान रहते हैं उनके यहां चोरियों के बारे में सवाल था। इतने डिटेल्स मेरे पास यहां नहीं हैं।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

जिन केसेज में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी है, उसका क्या कारण है ?

श्री नवलकिशोर---

यह तो बहुत साफ बात है कि जब कोई चीज साबित नहीं हो पायी तो फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी।

श्री कमलासिंह यादव---

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कोई चीज साबित न होने से उसका मतलब क्या है ? शहादत नहीं मिली या जो चीज चोरी गयी उसकी बरामदगी नहीं हुई ?

श्री नवलकिशोर---

मान्यवर, चोर का पता नहीं लगा। न कहीं से सामान ही बरामद हुआ।

श्री रामसुन्दर पान्डेय---

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि विधायक निवास में भविष्य में चोरियां न हों इसके लिये सरकार की ओर से कोई व्यवस्था की गयी है ?

श्री नवलकिशोर---

मान्यवर, मुझे उम्मीद है कि हमारे मेम्बर साहबान भी अब काफी जागरूक हो गये हैं और अब इसकी कोई उम्मीद नहीं है।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिस मामले की जांच की गयी वह घटना क्या है और किस के यहां की है ?

श्री नवलकिशोर---

मैंने अर्ज किया कि यह संशोधित उत्तर है इस पर सप्लीमेन्टरीज होंगे इसका पता नहीं था, इसलिये इसका कोई मैटीरियल मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

तो फिर इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

तो इसे कल के लिये स्थगित किया जाता है।

श्री नवलकिशोर---

मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

कानपुर जिले में औद्योगिक सामग्री का वितरण

*१—श्री शिवनार्थासिह (जिला कानपुर)—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९६२ से ३१ अगस्त, १९६२ तक जिला उद्योग अधिकारी, कानपुर द्वारा टीन, लोहा और चादरों की कितनी दरख्वास्तें शहर में और कितनी दरख्वास्तें जिले में औद्योगिक कार्यों के हेतु स्वीकृत और कितनी अस्वीकृत की गयीं और इस प्रकार कितनी मात्रा में शहर एवं देहात को अलग-अलग वस्तुएं प्राप्त हुयीं ?

लघु उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री वीरसेन)—

१ जनवरी, १९६२ से ३१ अगस्त, १९६२ तक जिला उद्योग अधिकारी, कानपुर ने टीन, लोहा, और चादरों की १०३ दरख्वास्तें शहर में और १ दरख्वास्त देहात में औद्योगिक कार्यों के हेतु सिफारिश के साथ उद्योग संचालक को भेजीं और शहर की २२ दरख्वास्तों को सिफारिश के योग्य नहीं समझा। इस प्रकार उक्त अवधि में शहर में कुल ५२½ टन १९ हन्डरवेट माल का वितरण हुआ। देहात के लिये कोई माल का वितरण नहीं हुआ।

श्री शिवनार्थासिह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी दरख्वास्तें प्राप्त हुई हैं ?

श्री वीरसेन—

श्रीमन्, इस बीच में कुल ३५५ दरख्वास्तें प्राप्त हुई हैं।

श्री शिवनार्थासिह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनमें से कितनी दरख्वास्तें शहरों की थीं और कितनी दरख्वास्तें देहातों की और कितनी तहसीलवार दरख्वास्तें आईं ?

श्री वीरसेन—

श्रीमन्, ३५० दरख्वास्तें शहरों की आईं और ५ दरख्वास्तें देहातों की, तहसीलवार इस समय मेरे पास ब्यौरा नहीं है।

श्री शिवनार्थासिह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इन दरख्वास्तों के अस्वीकृत किये जाने का क्या आधार है ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री फूलसिंह)—

श्रीमन्, ऐसे माल की दरख्वास्तों को अस्वीकृत करने के कई आधार होते हैं। एक तो यह है कि वह कारखाना कायम न हुआ हो। दूसरी यह वजह भी हो सकती है कि जो माल है उसकी प्रायरटी उस कारखाने को उपलब्ध न हो। तो इस तरह की कई बातें हो सकती हैं। तो उनकी दरख्वास्त किस बिना पर खारिज की गई है, यह मैं आपको जनरल बता रहा हूं कि ऐसी ही कोई वजह हो सकती है।

श्री रघुनार्थासिह (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि देहातों में जो माल का वितरण नहीं हुआ, तो क्या देहातों की दरख्वास्तों की बरखास्तगी इन्हीं कारणों से हुई या और कोई कारण था ?

श्री फूलसिंह—

श्रीमन्, सूचना यह है कि अगस्त तक उसको माल नहीं मिला, हो सकता है कि बाद में मिला हो।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुल ३५५ दरख्वास्तें माननीय मंत्री को मिली हैं, जैसा कि उनके उत्तर से मालूम हुआ और उसमें केवल ५ दरख्वास्तें ग्रामीण क्षेत्रों की थीं ? तो सरकार का यह कहना कि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग धंधों के लिये सरकार ऋण देती है और उनको प्रोत्साहित करती है, तो क्या कारण है कि आज केवल वहां से ५ ही दरख्वास्तें आई हैं और यह भी पता लगा है कि उनमें से किसी को नहीं दिया गया है और कोई चीज नहीं दी गई है ? क्या मंत्री जी इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप सवाल किया करें, आप तो बड़ा लम्बा भाषण देते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब ५ दरख्वास्तें आईं और यह भी उद्देश्य कि गांव के लोगों की मदद की जाय, तो क्या कारण है कि आज गांव वालों की उन ५ दरख्वास्तों को भी खारिज कर दिया गया है और शहर वालो की मंजूर कर दी गई हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

देखिये यह तो बहस की बात है, आप प्रश्न का तात्पर्य जो हो, वह पूछें ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

श्रीमन्, मैं यह देख रहा हूं कि आप गाइड किये जा रहे हैं, यह देखकर मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह बात गलत है । ऐसा नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

श्रीमन, मेरा स्पेसेफिक क्वेश्चन यह है कि जो सरकार की नीति है कि गांवों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाय, तो जब केवल गांवों से ५ दरख्वास्तें ही आईं तो उनको क्यों नामंजूर किया गया और इसका क्या कारण है ?

श्री फूलसिंह---

श्रीमन्, माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि देहातों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है । मगर प्रश्न यह था कि अगस्त तक उनकी दरख्वास्तें ही नहीं आईं । अब देहात की दरख्वास्तों पर कार्य करने में समय लगेगा । एक दरख्वास्त की जांच हो गई थी और वह अगस्त तक मंजूर हो गई थी । यह जो आपने प्रश्न किया है उसकी तरफ ध्यान गया है और मैं कोशिश करूंगा कि इस बात की ओर देहातों में और ध्यान दिया जाय ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में जो डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है तो वह सीमेंट और टीन का वितरण उद्योग विभाग द्वारा होता है और बाकी जिलों में भी इसी विभाग के द्वारा होता है या सिर्फ कानपुर में ही सुविधा के लिये ऐसा किया गया है ?

श्री फूलसिंह---

प्रोसीजर सारी स्टेट के लिये एक ही है । जो बड़े कोटे होते हैं उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और छोटे हमारे स्टाकिस्टस् से ले लेते हैं ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । अभी आपने कहा सचिव महोदय ने बाद में कहा कि यह विवाद का प्रश्न है और आपने इस बात को स्पष्ट किया आदरणीय सदन में कि सचिव महोदय ने आपसे कहा कि यह विवाद का प्रश्न है । तो आप अपनी व्यवस्था दें कि क्या सचिव महोदय को इस प्रकार का परामर्श या निर्देश देने का अधिकार है ?

श्री उपाध्यक्ष—

उनको अधिकार है । वह मुझे सलाह दे सकते हैं—इसीलिये बैठते हैं, नहीं तो बैठने का मतलब क्या है ?

*२—श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

[हटा दिया गया ।]

होजरी प्रशिक्षण केन्द्र, जिला फैजाबाद में मशीनों की दुरवस्था

*३—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा), श्री बेदराम (जिला एटा) तथा श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला फैजाबाद में उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र में होजरी का कार्य सिखाने के लिये जनवरी से १३ प्रशिक्षार्थी भरती किये गये, लेकिन प्रशिक्षण केवल जबानी होता है और मशीनें सब खराब पड़ी हैं ? यदि हां, तो उनकी मरम्मत के लिये क्या कार्यवाही अब तक की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरसेन—

कथित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण मौखिक तथा क्रियात्मक दोनों प्रकार का होता है । केन्द्र पर २४ में से २३ मशीने खराब थीं । उनमें सें ९ की मरम्मत कराई जा चुकी है, २ की मरम्मत कराई जा रही है । १२ अभी भी मरम्मत के लिये बाकी हैं ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

यह है कांग्रेस सरकार की एफिश्येंसी का नमूना कि २४ में से २३ मशीनें खराब हैं ! क्या सरकार बतायेगी कि क्रियात्मक प्रशिक्षण कितने दिन तक नहीं दिया गया ?

श्री फूलसिंह—

यह व्योरे का प्रश्न है । यह केन्द्र नया खुला था और ये मशीनें बांदा से ट्रांस्फर होकर आयी थीं । तो कहा नहीं जा सकता कि क्या बात हुई । कुल १४ विद्यार्थी हैं, १० मशीनें ठीक चल रही हैं, तो प्रश्न की बहुत गुंजायश नहीं है, सारी मशीनें खराब नहीं हैं । अलबत्ता जांच की अवश्यकता है वह की जायगी ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

मेरे सवाल का उत्तर नहीं हुआ । ६ महीने का कोर्स था और ६ महीनें तक मशीनें नहीं थीं ?

श्री फूलसिंह—

यह इस सवाल से नहीं निकलता, मैं इसके लिये तैयार नहीं था ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, उद्योग मंत्री जी ने बतलाया कि बांदा से ये मशीनें आयीं । जिस समय शिफ्ट की जा रही थीं फैजाबाद को, उस समय इस बात की जानकारी प्राप्त की गयी कि ये मशीनें ठीक आर्डर में हैं या नहीं और कब यह सरकार को ज्ञात हुआ कि ये मशीनें खराब हैं ?

श्री फूलसिंह—

यह वाकया सन् १९६१ का है और इस प्रश्न पर हम लोग जांच कर रहे हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

जहां तक मैं समझता हूं यह एक व्यावहारिक ट्रेनिंग है । तो जब आपकी सारी मशीनें खराब थीं, तो यह प्रशिक्षण कैसे चल रहा है ?

श्री वीरसेन—

यह कहना गलत है कि सारी मशीनें खराब थीं । १० ठीक हैं । फिर हमने उसके लिये दो महीने का टाइम भी और बढ़ा दिया था ।

श्री रघुनाथसिंह—

यह प्रशिक्षण जनवरी में चालू हुआ और दिसम्बर में प्रश्न किया गया और ६ महीने का कार्यकाल था उसका तो इस अव्यवस्थित ढंग से जो यह प्रक्षिण दिया गया उसमें क्या उन सभी प्रशिक्षार्थियों को पास कर दिया गया ?

श्री वीरसेन—

प्रशिक्षण ६ महीने का नहीं था, साल भर का था। चूंकि मशीनें देर से ठीक हुई इसलिये दो माह का टाइम और बढ़ा दिया गया ।

श्री रघुनाथसिंह—

तो उसका उसी वक्त आपको संशोधन कर देना चाहिये था ।

श्री कमलासिंह यादव—

जो मशीने नहीं बनी हैं उनके बनाने में कितना खर्चा होगा और क्या उसके लिये बाहर से औजार मंगाने की भी जरूरत होगी ?

श्री वीरसेन—

यह ध्योरे का प्रश्न है, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

खानपुर खाण्डसारी मिल के प्रोप्राइटर को ऋण

*४—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में सैदपुर तहसील के खानपुर गांव में किसी खंडसारी मिल को १५,००० रु० कर्जा दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त कर्जे का पूर्ण विवरण क्या है, उसमें कितना-कितना सीमेंट, लोहा तथा कोयला आदि दिया गया ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

जिला गाजीपुर में सैदपुर तहसील के खानपुर गांव में श्री अवधनारायणसिंह प्रोप्राइटर, खांडसारी मिल, खानपुर को १५,००० रुपया का ऋण प्रदेशीय ऋण तथा अनुदान समिति द्वारा स्वीकृत हुआ था, जो बैंक ड्राफ्ट द्वारा १४-१२-६२ को वितरित कर दिया गया । उक्त ऋण का उपयोग खांडसारी उद्योग मशीनरी क्रय हेतु १७-१०-६३ की अवधि में किया जाना है। ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत सीमेंट, कोयला तथा लोहा आदि नहीं दिया जाता ।

*५—श्री रघुवीर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मिल ने उपरोक्त कर्जे का उपयोग किस ढंग से किया, कर्जे के रूप में मिले सामान को चोर बाजार में बेचा तो नहीं गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

चूंकि ऋण का वितरण १४-१२-६२ को ही किया गया है और उसके पूरे उपयोग की अवधि १७-१०-६३ को समाप्त होगी अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त ऋण के उपयोग का अभी प्रश्न नहीं उठता। कर्जे के रूप में कोई सामान नहीं दिया गया अतः उसके चोर बाजार में बेचे जाने का प्रश्न ही नहीं ही उठता ।

*६—श्री रघुवीर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यदि उपरोक्त मिल ने सामान चोर बाजार में बेचा है, तो सरकार ने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मिल मालिक द्वारा चोरबाजारी में सामान बेचने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है ।

श्री रघुवीर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस खांडसारी मिल को १४-१२-६२ को १५ हजार रुपया सरकार ने दिया है वह एक वर्ष पहले से चल रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--
यह तो मेरे इल्म में है नहीं ।

श्री रघुवीर--
यह जो १५ हजार का कर्जा दिया गया, क्या इसके पहले भी कोई और कर्जा दिया गया था उसको ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--
यह मेरे इल्म में नहीं है ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--
इस साल सरकार की खांडसारी के संबंध में यह नीति रही है कि उसके लिये कोई कर्जा नहीं दिया जाय । तो कौन से विशेष कारण थे कि यह १५ हजार रुपये का कर्ज उसको दिया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--
ऐसी बात नहीं है, पिछले वर्ष तो काफी तकावी और कर्जा दिया गया, यह नीति तो इसी साल की है ।

श्री कमलासिंह यादव--
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कर्जे के लिये दरख्वास्त कब दी गयी और उसके लिये क्या सीमेंट, कोयला और लोहा आदि भी इमारत बनाने के लिये दिया गया था ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--
इसकी तो मेरे पास सूचना है नहीं कि दरख्वास्त कब दी गयी, लेकिन कोई कोयला, सीमेंट या लोहा आदि कर्जे के रूप में नहीं दिया गया ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--
क्या माननीय मंत्री जी जांच करावेंगे कि वहां २ साल पहले ही से मशीन लगी हुई थी और फिर यह मशीन के लिये कर्जा क्यों दिया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--
पूरी डिटेल भेज दें तो मैं अवश्य जांच कराऊंगा ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--
उससे पहले १५,००० रुपया और दिया गया और ६२० बोरे सीमेंट का परमिट दिया गया जिसके लिये चुर्क फैक्ट्री से १४०० बोरे भेजे गये, और तीन बैगन कोयला इन्हें दिया गया, बिलटी नम्बर सब मैं मंत्री जी चाहेंगे तो उन्हें भेज दूंगा, क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--
माननीय सदस्य मेरे पास यह सूचना भेज दें, मैं जरूर जांच करा लूंगा ।

सहारनपुर जिले में लघु उद्योग

*७--श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)--
क्या उद्योग-मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सहारनपुर के कितने ग्रामों में सरकार की ओर से सहायता प्राप्त हस्त-करघा व कुटीर उद्योग चालू हैं ?

श्री वीरसेन--
सहारनपुर जिले के ग्रामों में सरकार ने कथित उद्योग चालू नहीं किये हैं । पर सरकार की हथकरघा, ऋण तथा अनुदान, गुड़, चर्म विकास इत्यादि, योजनाओं के अन्तर्गत इस प्रकार के उद्योग चालू करने में सहायता दी जाती है जिसके अन्तर्गत बहुत से ग्रामों में ऐसे उद्योग चल रहे हैं ।

*८--श्रीमती शकुन्तलादेवी--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला सहारनपुर में इन उद्योगों के द्वारा कितने बेरोजगारों को रोजी मिली ?

श्री वीरसेन--

लगभग १५२० को ।

*९--श्रीमती शकुन्तलादेवी--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितने छोटे उद्योग व कुटीर उद्योग वह चालू करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरसेन--

जैसा कि प्रश्न संख्या ७ के उत्तर में कहा गया है कि सरकार कथित उद्योग चालू नहीं करती वरन इन उद्योगों के चालू करने में सहायता देती है। अतएव तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन उद्योगों को चालू करने का प्रश्न नहीं उठता, हाँ, जैसी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहायता दी जाती थी वह चालू रहेगी ।

श्रीमती शकुन्तलादेवी--

क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि जिला सहारनपुर में कितने गुड़ और चर्म विकास आदि के ऐसे लघु उद्योग जारी हैं जिन्हें सरकार से कर्जा दिया गया है और कितनों को अनुदान दिया गया है और कितनों के प्रार्थना-पत्र सरकार ने अस्वीकार कर दिये ?

श्री वीरसेन--

इतने ब्योरे का उत्तर मेरे पास नहीं है। नोटिस चाहिये ।

श्रीमती शकुन्तलादेवी--

ऐसे कितने गांव हैं जिनमें यह चालू किया हुआ है ?

श्री वीरसेन--

१५८ गांवों में इस सहायता से उद्योग चल रहे हैं ।

श्रीमती शकुन्तलादेवी--

१५०० बेरोजगारों को लघु उद्योग द्वारा रोजी मिली है या इन्होंने अपने निजी उद्योग खोले हैं या पिछले उद्योगों में नौकरी मिलने से यह बेरोजगारी दूर हुई है ?

श्री वीरसेन--

बहुत से सहकारी समितियों के सदस्य हैं, कुछ ट्रेनीज हैं और कुछ गुड़ विकास में काम करते हैं ।

बिठूर औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

*१०--श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा बिठूर, जिला कानपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र कितने दिनों से चल रहा है ?

श्री वीरसेन--

लगभग तीन साल से ।

*११--श्री मुरलीधर कुरील--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिठूर कस्बे के उत्थान तथा बिठूर टाउन एरिया चेयरमैन के भूमि आदि देने की सुविधाओं को ध्यान में रखकर उपरोक्त औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र को बिठूर में ही स्थायित्व प्रदान करने पर विचार करेंगे ?

श्री वीरसेन--

जी नहीं ।

श्री मुरलीधर कुरील---
इस प्रशिक्षण केन्द्र को स्थायी करने में क्या कठिनाई है ?

श्री वीरसेन---
यह योजना ही स्थायी नहीं है।

श्री मुरलीधर कुरील---
इस प्रशिक्षण केन्द्र को यहां कितने दिन रखेंगे और उसके बाद कहां ले जावेंगे ?

श्री फूलसिंह---
बिठूर में मकान खराब है, दूसरा नहीं मिल रहा है। इसलिये उसे वहां रखने में कठिनाई है।

श्री मुरलीधर कुरील---
बिठूर के लोग स्थान देने के लिये तैयार हैं, फिर क्या बात है ?

श्री फूलसिंह---
अभी तक तो हमारे पास वहां स्थान मिलने की इत्तला नहीं है। अगर टाउन एरिया या और कोई जमीन देगा तो उस पर विचार करेंगे।

रायबरेली जिले में लघु उद्योगों पर व्यय

*१२---श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)---
क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रायबरेली जिले में किन-किन स्थानों पर चमड़े के उद्योग और प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं ? क्या खुले हुये उद्योगों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो १९६१-६२ में उद्योग में कितना रुपया सरकार का व्यय हुआ और कितने रुपये का उत्पादन हुआ तथा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने में सरकार का क्या व्यय हुआ और कितने छात्र अब प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री वीरसेन---
(क) रायबरेली शहर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण एवं उत्पादन चर्मकला केन्द्र खोला गया है। सूदनखेड़ा तथा मनेहरू में राजकीय चर्मशोधन केन्द्र खोले गये हैं।

(ख) जी हां, कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

(ग) १९६१-६२ में सरकार का ३०१३ रुपये १२ नये पैसे खर्च हुये और २७,७४० रुपये ४६ नये पैसे के मूल्य का उत्पादन हुआ।

(घ) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण एवं उत्पादन चर्मकला केन्द्र पर १९६१-६२ में सरकार का लगभग ६,७७६ रुपया खर्च हुआ और १३ शिक्षार्थी प्रशिक्षण पा रहे हैं।

श्री रतीपाल---
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किस तारीख से काम आरम्भ हुआ और कितने लोग इसमें प्रशिक्षण पा रहे हैं ?

श्री वीरसेन---
सूदन खेड़े का सेन्टर शायद अगस्त में शुरू हुआ।

श्री रतीपाल---
कितने आदमी इसमें ट्रेनिंग पा रहे हैं ?

श्री फूलसिंह---
यहाँ ट्रेनिंग सेन्टर नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---
इसमें कितने लोग रोजी पा रहे हैं ?

श्री वीरसेन---

१३ शिक्षार्थी प्रशिक्षण पा रहे हैं रायबरेली चर्मकला प्रशिक्षण केन्द्र पर । रोजी के प्रश्न के लिये नोटिस चाहिये ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी को शिकायत मिली है कि प्रशिक्षण केन्द्र में कुछ इस प्रकार की अनियमिततायें हैं कि जिनके कारण जिन लोगों के लिये वह खोला गया है, यानी छोटे और गरीब लोगों के लिये, उन्हें उसमें प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उसके एवज में अधिकारीवर्ग मनमानी करके लोगों को प्रशिक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्री फूलसिंह---

प्रशिक्षण सेन्टर रायबरेली में है । उसे मैंने खुद देखा है । वहां ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली ।

गाजीपुर जिले के लिये अनुदान

*१३---श्री कमलासिंह यादव---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के लिये प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन मदों में कितना रुपया दिया गया और कितना खर्च हुआ ?

विद्युत उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)---

गाजीपुर जिले के लिये प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत खंड स्तर पर एवं जिला नियोजन समिति और हरिजन विभाग द्वारा क्रमशः रु० २२,६७,७९२-१२ और रु० ५०,४५,८१६-२३ की धनराशि प्रदत्त की गई तथा रु० २१,७०,००६-०९ और रु० ४७,६८,०३५-५६ की धनराशि व्यय की गई। अलग-अलग मदों के विषय में मांगी गई सूचना† सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

श्री कमलासिंह यादव---

क्या सरकार यह बतायेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में १ लाख और दूसरी में ३ लाख क्यों खर्च नहीं किया गया ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

इसमें बहुत सी चीजें हैं । आप तो प्लानिंग कमेटी के मेम्बर हैं, जिले के स्तर से भी आपको बहुत सी बातें मालूम हो सकती हैं । रुपया क्यों खर्च नहीं हो पाता है इसके बहुत से कारण हैं । कभी जमीन नहीं मिल पाती है, कभी कोई सामान नहीं मिल पाता है, इन कारणों से दिक्कत आ जाती है ।

श्री कमलासिंह यादव---

क्या सरकार बतायेगी कि यह धन जो व्यय के रूप में दिखाया गया है उसमें से कितना रुपया बी० डी० ओ० आदि के पर्सनल एकाउन्ट्स में जमा दिखाया गया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

यह बहुत ब्योरे का सवाल है । आज जिला नियोजन समिति के सदस्य भी हैं अगर आप वहां से इसको पूछ लेंगे तो आपको ज्यादा ब्योरा मिल सकेगा ।

---

†छापी नहीं गई ।

श्री रामायणराय---

जो ब्योरा सदन की मेज पर रखा गया है उसको देखने से ऐसा मालूम होता है कि जो धनराशि सड़कों के विकास के लिये रखी गयी थी वह भी पूरी की पूरी खर्च नहीं की गयी । उसके कारण को सरकार जानने की क्यों चेष्टा नहीं करती है । अभी केन्द्रीय सरकार ने जो आयोग नियुक्त किया था उसने भी इसको दरिद्रता का महान कारण माना है ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

मुझे उन फिगर्स को देखने से ऐसा तो मालूम नहीं होता है कि बहुत बड़ी रकम खर्च होने से रह गयी है और जो नहीं हुई है उसके कारण भी मैंने बता दिये ।

श्री कमलासिंह यादव---

क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर जिले की यातायात की समस्या को देखते हुए ६१ हजार रुपया सड़कों के लिये अनुदान दिया गया जो नाकाफी था, लेकिन फिर भी उसमें से ६ हजार रुपया बच गया ? वह किस मद में रखा गया है और क्यों खर्च नहीं किया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

६१ हजार में से ५ हजार रुपया बच जाना कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है । फिर सड़क बनाने में बहुत-सी दिक्कतें भी आ जाती हैं । कभी जमीन नहीं मिलती है पत्थर या रोलर आदि वक्त पर नहीं मिल पाता है इस समय मुझे पता नहीं वहां क्या कारण थे, लेकिन इस प्रकार के कारण हो जाते हैं । इसके बाद भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में उसके लिये और ज्यादा रुपया रखा गया और अब तीसरी योजना में और भी ज्यादा रखा गया है ।

श्री कमलासिंह यादव---

जिस सड़क के लिये ६१ हजार रुपया दिया गया था वह अभी पूरी नहीं बन पायी है और पहली बनी हुई भी खराब हो आयी है तो क्या सरकार उस सड़क के लिये और अनुदान देकर उसको पूरा कराने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

माननीय सदस्य तो जिला परिषद् के सदस्य भी हैं । अगर वहां से कोई ऐसी मांग आवेगी और उसे आप भेजवा देंगे तो हम उस पर जरूर विचार करेंगे ।

विधायक निवास में इम्मोरल ट्रैफिक इन वीमेन ऐण्ड गर्ल्स ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

*१४---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) तथा श्री काशीनाथ मिश्र---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ में विधायक निवास ब्लाक बी० में २४ दिसम्बर, १९६२ की रात्रि को कमरा नं० ६७ में पुलिस ने छापा मार कर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था ? यदि हां, तो वह घटना क्या थी ?

श्री नवलकिशोर---

ता० २४-१२-६२ की रात को नहीं बल्कि ता० २३-१२-६२ की रात के ११-३० बजे विधायक निवास बी ब्लाक के कमरा नं० ६७ से पुलिस ने तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक औरत भी थी । घटना का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३१५ पर)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रश्नकर्त्ता महोदय तथा सदन के माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि सदन की मर्यादा और शिष्टता को ध्यान में रखते हुए इस पर सप्लीमेंटरीज न करें ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

यह तो सदन की मर्यादा के अनुकूल होगा कि इस पर सप्लीमेंटरी किया जाय क्योंकि . . .

श्री उपाध्यक्ष---

क्या आप सप्लीमेंटरी करना चाहते हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र---

जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है, जब आप दूसरों की अपील को भी नहीं मानते तो पूछिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जवाब में जो नाम दिये गये हैं सर्वश्री विनोद कुमार, राजेन्द्र कुमार, गुरु मोहन तथा राजेन्द्र सिंह, इनका विधायक निवास ब्लाक बी० के कमरा ६७ में रहने वाली विधायिका के साथ क्या सम्बन्ध है ?

श्री नवलकिशोर---

श्री विनोदकुमार उस विधायिका के पुत्र हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे किस धारा के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और क्या वे मंत्रिगण से या किसी माननीय सदस्य से सम्बन्धित थे और उनके यहां आया जाया करते थे ?

श्री नवलकिशोर---

बाकी तीन व्यक्ति श्री विनोद कुमार के दोस्त थे ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---

सदन से मेरी प्रार्थना है कि अब इस पर कुछ न पूछा जाय इसी में सदन की शोभा है ।

श्री उपाध्यक्ष---

सभी लोग तो यही चाहते हैं, लेकिन अगर कोई सदस्य सप्लीमेंटरी करना चाहता है तो यह तो उसका हक है ।

शिकोहाबाद, सिरसागंज में बिजली के लट्ठों पर कट आउट

*१५---श्री मनसाराम (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)---

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला मैनपुरी में शिकोहाबाद व सिरसागंज में बिजली कम्पनी ने बिजली के लट्ठों पर कट आउट लगा रक्खे है जिसके द्वारा बिजली कंज्यूमर्स को टर्न वार पावर बिजली सप्लाई करते हैं, क्या यह व्यवस्था सरकार द्वारा की गयी है ? अगर की गयी है, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---

जी हां । यह कट आउट सर्वश्री वैस्टर्न यू० पी० इलेक्ट्रिक पावर ऐन्ड सप्लाई कम्पनी ने लगाये हैं ताकि वह इससे शिकोहाबाद व सिरसागंज में पावर उपभोक्ताओं से टेम्परेरी पावर आफ कन्ट्रोल ऐक्ट, १९४७ के अन्तर्गत जारी किये गये जिलाधीश, मैनपुरी के आदेश का पालन करा सके । विद्युत शक्ति के अभाव के कारण जिलाधीश, मैनपुरी को इस तरह की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने अधिकार दे रक्खे हैं ।

*१६---श्री ऊदल---

[२१ फरवरी, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१७-१८---श्री नरसिंहनारायण पांडेय ---

[१४ फरवरी, १९६३ के लिये प्रश्न ४३-४४ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

सीमान्त जिलों की सुरक्षा

*१९---श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के कौन-कौन जिले सीमा क्षेत्र घोषित किये गये हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा ---

शासन ने इस प्रकार के कोई आदेश नहीं निकाले हैं ।

श्री गंगाप्रसाद---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सुरक्षा की दृष्टि से कितने जिले और प्रान्तों की सीमा से मिले हुए हैं और उनमें सुरक्षा के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा ---

उत्तराखंड डिवीजन के तीन जिले सीमान्त वाले जिले माने गये हैं यद्यपि उन्हें हमने घोषित नहीं किया है ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर ---

क्या सरकार को यह विदित है कि जो तीन जिले सीमान्त वाले जिले करार दिये गये हैं उनमें हर एक की आबादी करीब ७ लाख से कम है ? यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन तीन जिलों को अलग अलग करने के बजाय (जैसे गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल और अल्मोड़ा) सब को मिला कर एक ही बार्डर डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं करार दिया जाता है क्योंकि सब की सड़कें एक हैं, सब की आबादी एक-सी है, सब का रहन-सहन एक-सा है, तो इस लिहाज से भी सारे जिले बार्डर डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं करार दिये जाते ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

मुख्य सवाल यह है कि इनके ऊपर कितना खर्च किया जाय । भारत सरकार ने इसके बारे में सोचा और उन्होंने यह सलाह दी । बहरहाल, ये सब जिले मिले जुले हैं । खर्च यहां भी होता है और जो सड़कें बनती हैं उससे गढ़वाल और दूसरे जिले भी लाभ उठाते हैं और उनमें एकानामिक डेवलपमेन्ट और दूसरे विकास के कामों के लिये अधिक धन व्यय किया जाता है ।

श्री गंगाप्रसाद---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नेपाल की सीमा से जो जिले सम्बन्धित हैं क्या वह जिले सीमा के नहीं माने जायंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा ---

नेपाल वाले तो हमारे बड़े दोस्त हैं, सीमांत जिले होते हुये भी, अभी ऐसी आवश्यकता नहीं है, जब होगी तब सोचा जा सकता है ।

*२०-२२---श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---

[१४ फरवरी, १९६३ के लिए प्रश्न ४५-४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

आजमगढ़ जिले के सोशलिस्ट कार्यकर्ता, श्री विष्णुदेव का प्रार्थना-पत्र, मधुवन थानान्तर्गत अपराध, गूजरपार घाट पर नाव दुर्घटना

*२३---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ४ मई, १९६२ तथा २ जून, १९६२ को क्रमशः पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधीश, आजमगढ़ और आई० जी० पुलिस एवं पुलिस उप-गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश को आजमगढ़ जिले के सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, श्री विष्णुदेव ने इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया है कि आजमगढ़ जिले में पुलिस अधीक्षक से बदमाशों का गठबन्धन है और हमारे जान-माल का खतरा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उस प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखते हुये कार्यवाही का परिणाम बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री नवलकिशोर---

दिनांक २-६-६२ को दिया गया उक्त कार्यकर्त्ता का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ बल्कि ४-५-६२ को दिया गया एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी प्रति संलग्न है। इसमें पुलिस अधीक्षक से बदमाशों का गठबंधन होने का आरोप अंकित नहीं है। प्रार्थी व उसके परिवार की जान माल का खतरा होने आदि की शिकायत की गई है। उक्त प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों के विषय में पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच की गई जिसके फलस्वरूप पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये। जांच से यह भी ज्ञात हुआ कि कुख्यात अभियुक्त, परशुराम सिंह, जिससे प्रार्थी ने जान माल का खतरा बताया है, के विरुद्ध पुलिस ने कई मुकदमों में चालान किया जिनमें उसको सजा हुई। प्रार्थी ने जान माल का खतरा होने के संबंध में थाने पर कभी कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३१६-३१७ पर)

*२४ ---श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत मधुबन थाने के ग्राम कटघरा शंकर कुवाई अधवारा, नंदौर, परसुपुर, मटोली एवं मुरारपुर में क्रमशः ७ जुलाई, १९६२; २८ जुलाई, १९६२; ४ अगस्त, १९६२; २८ अगस्त, १९६२; १ सितम्बर १९६२ और ५ सितम्बर, १९६२ को चोरी, डकैती की घटनायें घटित हुई हैं और थाने के रजिस्टर में कुछ की नामजद रिपोर्ट भी है और कुछ की रपट भी स्थानीय पुलिस में दर्ज नहीं है और स्थानीय पुलिस ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नवलकिशोर---

ग्राम कटघरा शंकर में हुई चोरी की रिपोर्ट ६-६-६२ को दर्ज की गई जिसमें अभियुक्त का चालान किया गया। ७-७-६२ को उक्त ग्राम में किसी घटना की रिपोर्ट नहीं हुई ।

ग्राम नन्दौर में हुई एक चोरी की रिपोर्ट २९-७-६२ को अंकित की गई जिसमें अभियुक्त का चालान किया गया ।

ग्राम मुरारपुर में हुई नकबजनी की रिपोर्ट २९-८-६२ को दर्ज की गई, जिसमें अंतिम रिपोर्ट लगाई गई ।

ग्राम परसुपुर, कुवाई, मटोली व अधवारा में उक्त तारीखों की चोरी अथवा डकैती की किसी घटना की रिपोर्ट थाने पर नहीं हुई। अतः इस संबंध में कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*२५--श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम गूजरपार में पुलिस विभाग के किसी कर्मचारी के न रहने के कारण ४० व्यक्तियों के डूबने की खबर दशहरा के दिन की है ? यदि हां, तो क्या सरकार घटना का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेगी ?

श्री नवलकिशोर---

९-१०-६२ को गूजरपार घाट पर ६ व्यक्तियों के डूबने की सूचना स्थानीय पुलिस को उसी दिन रात्रि में मिली थी। उक्त घाट पर किसी पुलिस कर्मचारी के न रहने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वहां पुलिस की नियुक्ति कभी नहीं होती है। घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३१८ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस कार्यकर्ता ने उनको प्रार्थनापत्र दिया था क्या उसके प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में यह उत्तर दिया गया है कि जांच पुलिस अधीक्षक ने की और कोई रिपोर्ट सही नहीं पाई गई तो क्या जिस ने प्रार्थनापत्र दिया था उससे भी जांच की गई थी, पूछताछ हुई थी ?

श्री नवलकिशोर---

उनसे की या नहीं इसकी सूचना नहीं है लेकिन एस० पी० ने स्वयं जांच की और जो आरोप लगाये गये थे वे सही नहीं पाये गये।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

आपके पास श्रीमन्, प्रार्थना-पत्र है। आप पृष्ठ २ पर देखें उसमें लिखा है कि प्रार्थी उस समय अवाक रह गया जब उसने देखा कि जिले के उपपुलिस अधीक्षक, श्री शुक्ल के बंगले में एक सफेदपोश व्यक्ति के साथ पचीसों डकैती व हत्याओं के लिये जिम्मेदार समझा जाने वाला प्रमुख अभियुक्त परशुराम सिंह दिनांक १८-४-६२ को दिन दहाड़े निर्भीकतापूर्वक घुसा और काफी समय के पश्चात् जिले के प्रमुख वकील श्री रमाकांत सिंह के बंगले पर वापस आया। प्रार्थी ने उक्त परशुराम के शुक्ल जी के बंगले में जाने की बात पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ से दिनांक १९-४-६२ को बताई। परशुराम सिंह ने स्वयं देहात में प्रचार किया है कि श्री शुक्ल व श्री रमाकांत मिश्र आपस में सम्बन्धित हैं और श्री शुक्ल जी की पत्नी के मामा के साथ वह शुक्ल जी से मिल चुका है पुलिस अब उसका कुछ न बिगाड़ेगी। उत्तर में उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई शिकायत प्रार्थना-पत्र में नहीं थी। मैं निवेदन करूंगा कि फिर प्रार्थनापत्र को पढ़ने के बाद देख लें। सवाल में पुलिस अधीक्षक लिखा गया है अगर उपपुलिस अधीक्षक स्वीकार कर लें तो मामला साफ हो जायगा कि सही घटना क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि जिसने वह दरख्वास्त दी थी उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई ?

श्री नवलकिशोर---

वह एस० पी० से १९ तारीख को मिले थे और एस० पी० की रिपोर्ट हमारे पास है। उन्होंने लिखा है जिस तारीख का ९ बजे का जिक्र है उस दिन साढ़े ७ बजे से १० बजे तक चूंकि डी० आई० जी० पुलिस लाइन का मुआयना कर रहे थे तो डी० वाई० एस० पी०, एस० पी० के साथ पुलिस लाइन में मौजूद थे, इसलिये आरोप सही नहीं पाया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

ग्राम कुवाई और भटौली आदि ग्रामों में डकैती पड़ने की सूचना रिपोर्ट में दी गई जो नहीं लिखी गई है। उसके पश्चात् उन व्यक्तियों ने एस० पी० को दरख्वास्त दी और जांच हुई। तो क्यों डकैती का केस चलाने की कार्यवाही पुलिस अधिकारियों द्वारा नहीं करायी गई ?

श्री नवलकिशोर---

मैंने कहा कि शिकायत की, उसकी जांच की गई, लेकिन उनकी शिकायत सही नहीं पायी गयी ।

श्री रामसुदन्र पांडेय---

श्रीमन्, जरा देखें उत्तर क्या लिखते हैं, जवाब क्या देते हैं । आप कहते हैं कि कोई इत्तिला थाने में नहीं हुई इन गांवों में चोरी और डकैती की, इसलिये कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । मैं कहता हूं दरख्वास्त पड़ी और उसकी जांच हुई, तो जरा पढ़कर उत्तर दें ।

श्री नवलकिशोर---

जरा मैं उत्तर दूं और माननीय रामसुन्दर पांडेय जी की समझ में न आये तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है ।

श्री रघुनाथसिंह---

श्रीमन्, आप व्यवस्था दें कि क्या इस तरह कहना उचित है कि समझ में नहीं आता ?

श्री उपाध्यक्ष---

अब इस बारे में, मैं क्या फैसला कर सकता हूं ।

श्री मैनेजरसिंह---

मंत्री जी बतायेंगे कि जब पुलिस अधीक्षक के खिलाफ शिकायत थी कि बदमाशों से उनका गठबन्धन है तो आपने कहा पुलिस अधीक्षक के द्वारा जांच करायी गई, यानी जिसके बारे में शिकायत थी उसी से जांच करायी गई । आप पुलिस के कुकर्मों पर परदा डालना चाहते हैं उससे विरत हो कर सी० आई० डी० से जांच करायेंगे इन शिकायतों के बारे में कि कोई सत्यता है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं अपील करना चाहता हूं कि सवाल पूछने के बीच में लांछन लगा देना ठीक नहीं है ।

श्री मैनेजरसिंह---

यह कहना कि समझ के बाहर है इस पर आप निर्णय देंगे कि नवलकिशोर जी का रामसुन्दर पांडेय जी के लिये इस तरह कहना कम समझ रखते हैं यह शोभा देता है ? क्या मंत्री होने से ज्यादा समझदार हो गये ? आप उनको भी संकेत करें कि इस प्रकार लगने वाली बात न कहें ।

श्री उपाध्यक्ष---

लांछन नहीं होना चाहिये एक दूसरे पर ।

श्री मैनेजरसिंह---

मैं सही कहना चाहता हूं माननीय नवल किशोर जी इस सदन में परदा डालने की कोशिश करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने यह कहा कि वह नहीं समझ पाये तो मैं इसका क्या करूं । इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ।

श्री रघुनाथसिंह---

यहां सब लोग नासमझ नहीं बैठे हैं जो इस तरह की अपमानजनक बात कही जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी आप माननीय मैनेजरसिंह के प्रश्न का जवाब दें ।

श्री नवलकिशोर---

श्रीमन्, मुझे फिर कहना पड़ता है कि सवाल माननीय सदस्य ठीक से समझे नहीं। माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने खुद कहा है कि बजाय एस० पी० के डी० एस० पी० समझा जाय। मैंने कहा था अधीक्षक के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी, इसलिये उससे इनक्वायरी करायी गई। इसमें परदा डालने की कोई बात नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, हमने जो सप्लीमेंटरी किया है वह २४ नम्बर के बारे में है न कि २३ नम्बर के बारे में। लेकिन मंत्री जी वही २३ नम्बर के बारे में उत्तर दे रहे हैं। तो जरा अपने को सुधार कर बतायें कि कुवाई और भटोली ग्राम में डकैती की सूचना दी गई, लेकिन थाने में नहीं लिखी, फिर एस० पी० को दरख्वास्त दी गई जिसकी इनक्वायरी की गई यह जानकारी उनको अगर न हो तो वह दरख्वास्त मंत्री महोदय आपको मैं दे दूंगा और बाकायदा गांव के बयान दिला दूंगा कि वहां पुलिस का कर्मचारी गया, उस दरख्वास्त पर इन्क्वायरी की और घूस ले कर उस मामले को दबाया। अगर आप इस पर तैयार हों तो मेरे साथ चलिये। फिर हम गलत हैं या आप, इसका फैसला हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---

सवाल कर लीजिये, आप तो बहस कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

मैं तो २४ नम्बर पर सप्लीमेंटरी कर रहा हूं और मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं २३ का। वे बहुत काबिल हैं, लेकिन मैं सवाल दूसरा करता हूं और वे उत्तर देते हैं दूसरा।

श्री नवलकिशोर---

मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि मैंने २४ का ही जवाब दिया है।

श्री रामायणराय---

मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय मंत्री जी की ओर से जो उत्तर दिया गया उसमें अगर एक बात की ओर उन्होंने ध्यान दिया होता तो शायद यह गलतफहमी न पैदा होती। माननीय रामसुन्दर जी का यह कहना है कि अमुक-अमुक गांव में डकैती पड़ी, थाने में रपट नहीं लिखी गयी फिर पुलिस अधीक्षक को लिख कर रपट भेजी। तो नये रूल्स के हिसाब से चाहे एफ० आई० आर० थाने में दर्ज हो या न हो पुलिस अधीक्षक को अगर लिख कर भेज दिया तो फिर उसकी सूचना तो हो गयी। फिर ऐसे प्रश्न का यह उत्तर नहीं आना चाहिये था कि उनकी कोई सूचना पुलिस कार्यालय को नहीं थी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया जो उत्तर है उसे इस दृष्टि से संशोधित कर के उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

श्री नवलकिशोर---

माननीय रामायणराय जी ने इसको स्पष्ट किया मैं उनका बड़ा आभारी हूं। लांछन यह है कि वहां रिपोर्ट करने आदमी गया और रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। मैंने यह अर्ज किया कि एस० पी० की इन्क्वायरी में यह बात सही साबित नहीं हुई।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)---

माननीय मैनेजर सिंह ने प्रश्न किया कि यह प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के विरुद्ध है और उस पर उपमंत्री महोदय ने कहा कि इसकी जांच पुलिस अधीक्षक ने की। तो क्या जिस आफिसर के विरुद्ध शिकायत हो उसी से जांच कराने का तरीका है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो उन्होंने कहा कि शिकायत में पुलिस अधीक्षक का नाम नहीं था इसलिये उनको जांच के लिये दे दी गयी।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

प्रश्न में तो यही है।

श्री नवलकिशोर—

माननीय प्रश्नकर्ता जी ने स्वयं बड़ी कृपा की। उन्होंने कहा कि प्रश्न में बजाय पुलिस अधीक्षक के उपाधीक्षक समझा जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी फिर से गौर फरमाने की कृपा करेंगे कि जिस विष्णुदेव कार्यकर्ता ने उनके पास यह प्रार्थना-पत्र भेजा है और जिसने एक प्रमुख वकील और पुलिस अधीक्षक के कार्य की शिकायत की है उसकी फिर से जांच कराने की कृपा करेंगे कि क्या उसकी दरख्वास्त सही है या नहीं और क्या उसकी तथ्यता के लिये वह सबूत दे सकता है या नहीं ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, इससे बड़ी जांच और क्या हो कि जिस आदमी के खिलाफ शिकायत है वह आदमी साढ़े ६ बजे से १० बजे तक जब कि शिकायत का समय ९ बजे है डी० आई० जी० और एस० पी० के साथ पुलिस लाइन्स में था। मेरी समझ में नहीं आता कि इसके बाद और क्या जांच की जायगी।

राइफल क्लब, गोरखपुर के कारतूसों में गोलमाल

*२६—श्री कल्पनाथसिंह तथा श्री नरसिंहनारायणपांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोरखपुर राइफल क्लब को कितने कारतूस सन् १९६०-६१ और १९६१-६२ में दिये गये तथा प्रत्येक व्यक्ति को कितने-कितने कारतूस दिये गये और उनके नाम क्या हैं और उन व्यक्तियों को अप्रैल, १९६२ से नवम्बर, १९६२ तक कितने कारतूस दिये गये ?

श्री नवलकिशोर—

सन् १९६०-६१ में कोई कारतूस राइफल क्लब ने नहीं खरीदे। सन् १९६१-६२ में राइफल क्लब ने १,४९,००० कारतूस खरीदे। उन व्यक्तियों के नाम जिनको कारतूस दिये गये तथा दिये गये कारतूसों की संख्या संलग्न तालिका में दी हुई है। इन व्यक्तियों को १-४-६२ से ३०-११-६२ तक दिये गये कारतूसों की संख्या भी उनके नामों के सामने अलग से दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३१९ पर)

*२७—श्री कल्पनाथसिंह तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर राइफल-क्लब द्वारा जो कारतूस खरीदे और वितरित किये गये हैं वह किस-किस सन् में किस-किस कम्पनी से खरीदे गये थे। और खुले बाजार भाव तथा राइफल क्लब द्वारा दिये जाने वाले दाम इन वर्षों में क्या-क्या रहे हैं ?

श्री नवलकिशोर—

राइफल क्लब गोरखपुर ने केवल सन् १९६२ में गर्ग आर्मरी लिमिटेड, देहली से स्टेट ट्रेनिंग कारपोरेशन की अनुमति से कारतूस खरीदे और वितरित किये। खुले बाजार कारतूस १५० रु० प्रति सैकड़ा बिकता है तथा राइफल क्लब द्वारा कारतूस का भाव ५७ रु० १२ आना प्रति सैकड़ा है।

*२८—श्री कल्पनाथसिंह तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या यह सही है कि कारतसों की चोरबाजारी की शिकायत अधिकारियों को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नवलकिशोर—

जी हां। शिकायत पर विचार किया जा रहा है।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

माननीय, मुझे जानकारी है यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कह दूं। वह पोलैंड के कारतूस हैं और जो कीमत माननीय मंत्री जी ने बताई कि वे ५७ रुपये कुछ पैसे में मिलते हैं, वह सही है। लेकिन मैं उनको दिखा सकता हूं कि वे कारतूस बाजार में खुले आम ३७५ रुपये सैकड़ा मिल रहे हैं। क्या इस प्रकार की कोई शिकायत उनके पास आई है? यदि हां, तो उसकी जांच हो रही है या नहीं?

श्री नवलकिशोर--

माननीय, मैंने अर्ज किया था कि एक शिकायत आई है। उसमें ३७५ रुपये वाली बात तो नहीं है लेकिन यह अवश्य है कि इस रायफल क्लब के कारतूसों में गोलमाल होता है। मैंने कहा की जांच हो रही है।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

यह शिकायत कब आई और कब से जांच हो रही है?

श्री नवलकिशोर--

यह शिकायत अगस्त, १९६२ की है और तभी से जांच हो रही है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस रायफल क्लब के कारतूसों के बारे में शिकायत आई है और उसकी जांच हो रही है, वह क्लब स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनसे सम्बन्ध रखती है जो आपके भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और उनके जरिये बिना किसी प्रस्ताव के सिटी मजिस्ट्रेट ने २३ जनवरी, १९६२ से लेकर १ जून, १९६२ तक १ लाख ५०हजार कारतूस खरीद लिये और बाद में स्वीकृति का प्रस्ताव पास करा लिया?

श्री नवलकिशोर--

माननीय, किसका किससे क्या सम्बन्ध है वह तो सूचना मेरे पास नहीं है। मैंने बताया कि एक लाख ४९ हजार कारतूस इस क्लब ने खरीदे और जितनी तादाद में बांटे वह भी मैंने अर्ज कर दिया।

श्री रामायणराय--

माननीय, यह प्रश्न बड़े महत्व का है। मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बाजार में कारतूस का दाम उचित मूल्य से दुगुना तिगुना है। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिये मंत्री जी क्या करना चाहते हैं?

श्री नवलकिशोर--

माननीय, यह जो रायफल क्लब है, यह अपने मेम्बरों के लिये शूटिंग प्रैक्टिस तथा निजी प्रयोग के लिये कारतूस देने का प्रबन्ध करती है। अगर कोई किशायत होती है तो उसकी जांच होती है। मैं नहीं समझ पाया कि मेरे मित्र क्या चाहते हैं।

श्री रामायणराय--

मैं स्पष्ट कर दूं। आजकल कारतूस बाजार में बहुत महंगे बिक रहे हैं। खुले बाजार में जिस चीज के दाम ३० रुपये है उसका १५० रुपये देना पड़ता है इसके लिये मंत्री जी क्या कर रहे हैं?

श्री नवलकिशोर--

आज की इमर्जेंसी की हालत में यह जरूरी है कि इसकी ट्रेनिंग दी जाय और सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इन क्लबों के मेम्बर बनें ताकि उनको सस्ते कारतूस मिल सकें और वे शूटिंग की प्रैटिक्स कर सकें।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि टार्गेट प्रैक्टिस के लिए कारतूस दिये जाते हैं राइफल क्लब को। मैं जानना चाहता हूं कि टार्गेट प्रैक्टिस में २२ बोर के इस्तेमाल होते हैं या १२ बोर के?

श्री नवलकिशोर---

माननीय दुबे जी जानते हैं कि राइफल से भी टार्गेट होता है, और बन्दूक से भी टार्गेट होता है, पीजन शूटिंग भी होती है । यह सब वह जानते हैं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी रायफल क्लब में पीजन शूटिंग का अरेंजमेंट है, टार्गेट शटिंग केवल २२ बोर से होती हैं, १२ बोर से टार्गेट शूटिंग नहीं होती और क्या किसी राइफल क्लब में पीजन शूटिंग टार्गेट्स हैं ?

श्री नवलकिशोर---

जो इत्तलाएं मेरे पास थीं वह मैंने बता दिया कि जो क्लब के मेम्बर्स हैं उनको कम कीमत पर कारतूस मिल सकें, अपने प्राइवेट इस्तेमाल के लिए भी....

श्री यादवेन्द्रदत्त---

२२ बोर के या १२ बोर के ?

श्री नवलकिशोर---

कौन से बोर के, यह सवाल यदि आप पूछते तो मैं बता देता ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

माननीय मंत्री जी को इस बात की शिकायत मिली है जिस पर वह जांच करवा रहे हैं, १ लाख ४९ हजार जो कारतूस आये हैं, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कुल कारतूस, मैंने हिसाब लगाया है, सात या आठ हजार के करीब पड़ते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि बकीया कारतूस कहां पर रखे गये ? क्या इसकी भी जांच करवायेंगे कि कारतूस सुरक्षित स्थान पर रखे हैं या नहीं ? दूसरे, जैसा कि कहा गया कि कारतूस खुले बाजार में डेढ़ सौ रुपये सैंकड़ा बिक रहे हैं, क्या इसकी भी जांच करवाने की व्यवस्था कर रहे हैं कि वह कारतूस नेपाल में भेज दिये गये और ढाई सौ, तीन सौ रुपये की कीमत पर वहां पर दिये गये ?

श्री नवलकिशोर---

नेपाल भेजने की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई । नरसिंह नारायण जी पांडेय ने आज पहली बार हाउस में नेपाल की बात कही है और न जाने जितनी बातें उन्होंने कही हैं । मैं विश्वास दिलाता हूं कि शिकायतों की हर बात की जांच की जायगी ।

श्री मैनेजरसिंह---

मैं आपसे एक निवेदन, उपाध्यक्ष महोदय, करना चाहता हूं । नवल किशोर जी ने कहा कि अगस्त में शिकायत मिली थी और जांच हो रही है। तो जरा इशारा कर दें कि छः महीने से अधिक हो गये तो क्या यह उनकी कर्मठता और उनकी पार्टी के लिए शोभा की बात है ? आप भी उसी पार्टी के सदस्य हैं । जरा संकेत कर दीजिये ।

पिछड़े क्षेत्रों की उन्नति के लिये भारत सरकार द्वारा व्यय

*२९---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---

क्या नियोजन मन्त्री दिनांक २ अगस्त, १९६२ के प्रश्न सं० ४५ के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शेष रुपया खर्च न हो सकने के कारण लैप्स हो गया है? यदि नहीं, तो वह कब तक खर्च किया जा सकेगा ?

नोट---तारांकित प्रश्न २८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—
जी हां। प्रश्न नहीं उठता।

*३०—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—
[२१ फरवरी, १९६३ के लिए स्थगित किया गया।]

*३१-३२—श्री लखपतराम शर्मा—
[२१ फरवरी, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

कासिमपुर पावर हाउस में श्री कमलसिंह की मृत्यु

*३३—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)—
क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम भूतपुरा, थाना हरदुआगंज, जिला अलीगढ़ में स्थायी रूप से थर्मल विभाग कासिमपुर पावर हाउस में वेल्डर का काम करने वाले श्री कमलसिंह की मृत्यु दिनांक ३१ अक्तूबर, १९६२ को फैक्टरी में कार्य करते हुए हुई? यदि हां, तो किन कारणों से?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—
जी हां। मस्टर रोल के कुली श्री कमलसिंह पावर हाउस में सेक्शन पाइप (Suction pipe) को उठाने के लिए एक चेन टेकिल (Chain tackle) लगा रहे थे। उस समय १२ फीट की ऊंचाई से अचानक गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

*३४—श्री हिम्मतसिंह तथा श्री गिरवरप्रसाद—
यदि उक्त सज्जन की मृत्यु कार्य करते हुए हुई है तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उनके उत्तराधिकारियों को क्या मुआवजा दिया गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—
मुआवजा देने का प्रश्न उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के विचाराधीन है।

रिहन्द बांध उद्घाटन पर व्यय

*३५—श्री काशीनाथ मिश्र तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय—
क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ७ जनवरी, १९६३ को रिहन्द बांध का उद्घाटन प्रधान मंत्री श्री नेहरू द्वारा कराने में प्रदेशीय सरकार का कितना व्यय हुआ है और इस उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिये लखनऊ से कितने मन्त्री, उप मंत्री, सभा सचिव और सरकारी कर्मचारी व अफसरों ने रिहन्द बांध तक यात्रा की?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—
व्यय के पूरे आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हैं परन्तु अनुमानित व्यय १६,६४३ रुपये का है। इस समारोह में भाग लेने के लिये ५ मंत्री, २ उप मंत्री, ४ सभा सचिव और लगभग २५ कर्मचारी व अधिकारियों ने लखनऊ से रिहन्द बांध तक यात्रा की।

बचाव स्थान

*३६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—
क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किन-किन शहरों में सुरक्षात्मक कार्यवाहियों के अन्तर्गत बचाव-स्थान बनाये गये हैं? क्या मुख्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन बचाव स्थानों को बनाने में कुल कितना खर्चा किया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

सहारनपुर, हरद्वार, रुड़की, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अलीगढ़, हाथरस, फर्रुखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, जौनपुर, गोरखपुर, लखनऊ, तथा फैजाबाद शहरों में सुरक्षात्मक कार्यवाहियों के अन्तर्गत बचाव-स्थान (trenches) बनाये गये। इनमें से केवल अलीगढ़, हाथरस, कानपुर,रामपुर तथा शाहजहांपुर शहरों में इन बचाव-स्थानों (trenches) को बनाने में कुछ व्यय हुआ जो कुल ७१० रु० ३६ नये पैसे हैं ।

*३७-३८---श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)---

[२१ फरवरी, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

बलिया जिले में हत्यायें

*३९---श्री काशीनाथ मिश्र---

क्या मुख्य मंत्री बताने कृपा करेंगे कि बलिया जिला के अन्तर्गत २ दिसम्बर, १९६२ और ७ दिसम्बर, १९६२ के बीच तीन हत्यायें हुईं, जिसमें से एक हत्या दिन-दहाड़े ऐडीशनल जज की कचेहरी के अहाते में हुई ? क्या ये हत्यायें पुलिस की असावधानी के कारण हुईं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

दिनांक २ दिसम्बर और ७ दिसम्बर, १९६२ के बीच बलिया जिले में केवल एक हत्या हुई। जिला जज की कोठी के निकट दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ को एक हत्या की घटना और हुई। यह दोनों घटनायें पुलिस की असावधानी के कारण नहीं घटित हुईं ।

गोरखपुर गोली काण्ड की जांच

*४०---श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती) तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर गोली कांड की न्यायिक जांच पूर्ण हो गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

जी नहीं ।

*४१---श्री चन्द्रपाल तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

यदि हां, तो क्या परिणामों की एक प्रति सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

*४२---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जांच के परिणाम-स्वरूप उक्त दुर्घटना के लिये दोषी कौन पाया गया है तथा उसको क्या दंड दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

प्रश्न नहीं उठते ।

*४३-४४---श्री ब्रह्मदत्त मायर---

[२१ फरवरी, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

हाइड्रो एलेक्ट्रिक सप्लाईज यूनियन, मुरादाबाद

*४५---श्री हिम्मतसिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अधिशासी अभियंता मुरादाबाद के यहां हाइड्रो एलेक्ट्रिक एम्प्लाईज यूनियन, मुरादाबाद, द्वारा दिसम्बर, १९६२ में कुछ मांगों को लेकर कोई प्रदर्शन किया गया या उक्त यूनियन द्वारा कार्यालय पर धरना दिया गया ? यदि हां, तो यूनियन की क्या मांगे हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--
जी नहीं ।

खेली में पहाड़ टूटना

*४६--श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--
क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुछ दिन पूर्व उत्तराखंड में खेली (Kheli) नामक स्थान पर पर्वत के टूट जाने के कारण धौला नदी का मार्ग रुक गया है तथा लगभग १ हजार फिट ऊंचाई की झील बन गयी है तथा इस घटना से यातायात के मार्ग ध्वस्त हो गये हैं एवं अनेक ग्रामों तथा कस्बों के लिये संकट पैदा हो गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--
हां, कुछ दिन पूर्व पिथौरागढ़ जिले में खेली नामक स्थान पर पर्वत के टूट जाने की घटना हुई, जिसके कारण धौला नदी का मार्ग प्रतिबन्धित हो गया है परन्तु पूरी तरह अवरुद्ध नहीं हुआ है तथा लगभग ७०० फीट लम्बी और १५-२० फीट ऊंची झील बन गई है । उक्त घोड़ा मार्ग पर स्थित पुल को क्षति हुई है परन्तु यातायात पुनः स्थापित किया गया है । समीपस्थ गांवों और नगरों को कोई शीघ्र संकट नहीं है ।

*४७--श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--
यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति पर नियंत्रण तथा व्यवस्था ठीक करने के लिये अब तक क्या प्रयत्न किये गये हैं तथा आगे की क्या योजना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--
सरकार द्वारा स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया है और इंजीनियरों द्वारा घटनास्थल की जांच-पड़ताल की जा रही है और उनकी रिपोर्ट आने पर आगे इस सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही की जायगी ।

*४८--श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--
क्या उक्त स्थान पर इस प्रकार की अनेक छुटपुट घटनाओं के समाचार प्राप्त हुये हैं, यदि हां, तो क्या सरकार पूरे क्षेत्र का ज्योलाजिकल सर्वेक्षण करवा कर स्थिति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--
उक्त स्थान पर इस प्रकार की अन्य कोई छुटपुट घटना के समाचार नहीं प्राप्त हुये हैं । हां, सिंचाई विभाग और ज्यूलोजिकल विभाग के इन्जीनियरों द्वारा घटनास्थल का सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

अतारांकित प्रश्न

कानपुर, लखनऊ, वाराणसी जिलों को उद्योग ऋण

१--श्री कल्याणचन्द मोहिले--
क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि कानपुर--लखनऊ--वाराणसी जिले में १९५९-६०, १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में कितना-कितना धन लघु-उद्योग तथा बड़े-बड़े कारखाने चलाने के हेतु प्रदेशीय सरकार द्वारा ऋण के रूप में दिया गया तथा उसमें कितने कारखाने, जिस उद्योग को चलाने के हेतु ऋण लिया गया था, चालू हैं और कितने कारखाने नहीं चालू हैं ?

श्री फूलसिंह--

कानपुर, लखनऊ, तथा वाराणसी जिलों में १९५९-६०, १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में प्रदेशीय सरकार के उद्योग विभाग द्वारा बड़े-बड़े कारखाने चलाने हेतु कोई धन ऋण रूप में नहीं दिया गया किन्तु उपरोक्त जिलों में उक्त समय में लघु उद्योग चलाने हेतु जो धन ऋण रूप में दिया गया उसका विवरण निम्न प्रकार है :--

जिले का नाम	वितरित धनराशि रु० में		
	१९५९-६०	१९६०-६१	१९६१-६२
१--कानपुर ..	६,९३,४७४.१५	९,०८,२५५.८५	४,०४,८००.००
२--लखनऊ ..	३,४८,०००.००	२,१३,५००.००	२,८१,०००.००
३--वाराणसी ..	२,४५,०००.००	४,४५,५००.००	१,७०,५००.००

यह ऋण उपरोक्त जिलों में कुल ६५० इकाइयों को वितरित किया गया। इनमें से अभी तक ४५४ इकाइयां चालू हैं तथा १९६ इकाइयां नहीं चालू हैं।

उद्योग विभाग, मुरादाबाद में शेष भुगतान

२--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उद्योग विभाग, मुरादाबाद में किन लोगों के ४ साल से ज्यादा के क्लेम वेतन सस्पेन्शन एलाउन्स, टी० ए० बिल्स अभी अदा नहीं हुए हैं और देर होने के क्या कारण हैं ?

श्री फूलसिंह--

उद्योग विभाग मुरादाबाद में ४ साल से ज्यादा के केवल श्री ओ० पी० गुप्त, भूतपूर्व स्टोर कीपर के निम्नलिखित क्लेम अभी अदा नहीं हुये हैं :

टी० ए० बिल मई, १९५५ ..	..	..	११.२५
टी० ए० बिल सितम्बर, १९५६	..	..	४३.१७

इनके भुगतान न होने का कारण यह है कि उपरोक्त बिल्स खो गये थे और काफी छान बीन क बाद भी जब यह न मिल सके तब उनकी प्रतिलिपि (Duplicate Copies) प्राप्त कर ली गई और अब उन पर कार्यवाही की जा रही है।

३--श्री लखपतराम शर्मा--

[१४ फरवरी, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

उद्योग विभाग, गोंडा से ऋण

४--श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा) तथा श्री गयाप्रसाद (जिल वाराणसी)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में जिला उद्योग विभाग, गोंडा से किन-किन लोगों ने किस प्रकार के उद्योग कार्य के लिये कितनी धनराशि किस तिथि को प्राप्त की है ?

श्री फूलसिंह--

वांछित सूचना† परिशिष्ट "अ" के रूप में सदन की मेज पर रख दी गई है।

†छापी नहीं गई।

५—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल तथा श्री गयाप्रसाद—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गोंडा जिले में उद्योग कार्य के लिये जो कर्ज दिये गये हैं क्या कार्य के लिये उसका उपयोग हुआ है? यदि नहीं हुआ है, तो क्यों? यदि हुआ है, तो सरकारी सहायता से चलने वाले उद्योग धंधों की प्रगति क्या है?

श्री फूलसिंह—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गोंडा जिले में उद्योग कार्यों के लिये ६८ व्यक्तियों तथा समितियों को कर्ज दिये गये। उनमें से ४१ व्यक्तियों ने दिये गये रुपये का सही उपयोग किया तथा ये ४१ उद्योग सफलतापूर्वक चल रहे हैं।

दो व्यक्तियों ने विद्युत् शक्ति के अभाव में कर्जे का उपयोग नहीं किया तथा एक व्यक्ति ने उद्योग प्रारम्भ कर के, बाद में बिना कारण दर्शाये उद्योग बन्द कर दिया।

शेष २४ व्यक्तियों ने भी बगैर कारण दर्शाये क़र्जे का उपयोग उद्योग के लिए न कर के दुरुपयोग किया।

६—श्री लखपतराम शर्मा—

[१४ फरवरी, १९६३ के लिए स्थगित किया गया।]

समाचार-पत्रों के विरुद्ध मुकदमे

७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के समाचारपत्रों को चलाने हेतु किस-किस रूप में कितनी-कितनी सहायता १९६०-६१ व १९६१-६२ में सरकार की ओर से दी गयी?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—

समाचार-पत्रों को चलाने के लिये कोई सहायता नहीं दी गई।

८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि प्रदेश के किन-किन समाचार-पत्रों को नियम के विरुद्ध समाचार छापने में सरकार की ओर से नोटिस दी गयी या मुकदमे चलाये गये?

श्री बनारसीदास—

कानपुर से प्रकाशित उर्दू दैनिक "सियासत जदीद" व "पैग़ाम", अलीगढ़ से प्रकाशित हिन्दी पाक्षिक 'लोकहित' तथा मेरठ से प्रकाशित उर्दू साप्ताहिक 'तूफान' समाचार-पत्रों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये और उन्नाव से प्रकाशित हिन्दी समाचार-पत्र "नया उन्नाव" को हाईकोर्ट द्वारा नोटिस दी गई।

९-१०—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[२१ फरवरी, १९६३ के लिए स्थगित किये गये।]

११-१३—श्री रियासत हुसैन—

[२१ फरवरी, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

चीनी मिलों पर बकाया

१४—श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन चीनी मिलों पर अलग-अलग कितना-कितना रुपया केन सेस तथा गन्ना किसानों का बकाया है? सरकार इसकी वसूली करने का अब क्या प्रबन्ध कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

३१ जनवरी, १९६३ को इस प्रदेश के देनदार चीनी मिलों पर सेस तथा पर्चेज टैक्स की मद के अन्तर्गत जो १९६२-६३ सीजन से पूर्व सीजनों की बकाया रकम थी व १५ जनवरी, १९६३ को देनदार मिलों पर गन्ने के मूल्य के रूप में जो बकाया रकम थी उसका मिलवार विवरण क्रमशः संलग्न तालिका† 'क' 'ख' में दिया हुआ है। १९६२-६३ सीजन से पूर्व सीजनों तथा चालू सीजन के सेस, पर्चेज टैक्स की बकाया रकम की वसूली के लिये सम्बन्धित जिलाधीशों को निर्देश भेज दिये गये हैं कि देनदार मिलों के विरुद्ध रिकवरी सार्टीफिकेट पर कानूनी कार्यवाही चीनी व स्टाक व बैंक एकाउन्ट की कुर्की की जावे। गन्ने के बकाया मूल्य की वसूली के लिये देनदार मिलों के विरुद्ध रिकवरी सार्टीफिकेट जारी किये जा चुके हैं और उसकी शीघ्र वसूली के लिये जिलाधीश कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं है कि जो एक घन्टा प्रश्नों के लिये निश्चित है जब तक आप नियमों को सस्पेंड न कर दें, उससे आप ज्यादा समय लें। ११ बज कर ३५ मिनट हो गये हैं और आप प्रश्न लिये चले जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

चार मिनट जरूर हो गये। उन्होंने एक प्रश्न के लिये कहा था तो मैंने एक प्रश्न ले लिया।

६ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न १९-२१ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन*

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक ६ फरवरी, १९६३ को श्री मुकुट बिहारी लाल के प्रश्न के उत्तर देने के सम्बन्ध में श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे के अनुपूरक प्रश्न कि श्री दीक्षित, जिनका बहुत नाम लिया जा रहा है वह जिला परिषद् में हैं या आप के विभाग में हैं, के उत्तर में मैंने यह बताया था कि 'जो रिपोर्ट है श्री एस० सी० दीक्षित अंतरिम जिला परिषद् के नहीं वह हेल्थ विभाग से सम्बन्धित हैं' यह उत्तर गलत था। सत्य तो यह है कि यह अंतरिम जिला परिषद् के अन्तर्गत कर्मचारी हैं और इसीलिए उनको गैंग प्राप्त था।

श्री दुबे जी ने यह भी अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "वह २० साल से वहां हैं।" मैंने उसका उत्तर यह दिया है "जी नहीं ऐसी बातें नहीं हैं।" वास्तव में सैनिटरी इंस्पेक्टरों की नियुक्तियां या तबादले एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक में होते रहते हैं। तहसील रामसनेहीघाट तथा नोटीफाइड एरिया रुदौली में श्री दीक्षित १९३८ से जरूर तैनात हैं परन्तु इस समय उनकी मवई तथा पूरे उलई ब्लाक में मौजूदा तैनाती केवल ३ वर्ष से है। अतः उपरोक्त बातों के बारे में मुझे खेद है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि विधान सभा की कार्यवाही ठीक कराने की कृपा करें।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना श्री मुकुट बिहारी लाल जी ने दी थी। चूंकि मंत्री जी ने खेद प्रकट कर दिया है इसलिए इसका सवाल नहीं उठता है।

दूसरी एक सूचना श्री चन्द्रबलीसिंह की है। इसमें कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का सवाल नहीं है।

---

†छापी नहीं गई है।

*६ फरवरी, १९६३ की कार्यवाही में तदनुसार शोधन कर दिया गया।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

अब मेरे पास दो सूचनायें हैं नियम ५२ की। दोनों ही ऐसी हैं कि जिनको मैंने पहले अस्वीकार कर दिया है और इनके ऊपर सवाल भी हैं। इसलिये इनका कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा तो अभी खारिज नहीं हुआ है। (व्यवधान) कल तो मैंने कामरोको प्रस्ताव दिया था। आज नियम ५२ में दिया था....

श्री उपाध्यक्ष--

आप का तो समय के अन्दर भी नहीं आया, देर में आया था और चूंकि पहले खारिज हो चुका है इसलिए मैंने अस्वीकार कर दिया है।

रविदास जयन्ती के उपलक्ष में छुट्टी करने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

अगर आप आज्ञा दें तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मैंने एक पत्र लिखा था माननीय मुख्य मन्त्री जी को कि कल रविदास जयन्ती है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्या उस दृष्टि से कल इस सदन में बैठक होगी या रविदास जयन्ती के हेतु सदन कल बन्द रहेगा? मैं आशा करता हूं कि माननीय उपनेता सदन इस पर विचार कर के कल की छुट्टी स्वीकार करेंगे।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

माननीय दूबे जी ने जैसा अभी फरमाया कि माननीय मुख्य मन्त्री जी को उन्होंने खत लिखा था, तो मुझसे उनसे कोई सम्पर्क अभी इस सम्बन्ध में हुआ नहीं है। मैं जानकारी करने की कोशिश करूंगा और अपराह्न में इस बारे में गुजारिश करूंगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)*

†श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल महामना राज्यपाल के वक्तव्य के बारे में अपनी बात कह रहा था। उस सिलसिले में जहां तक प्रान्त के अन्दर चन्दा इकट्ठा करने की बात है, यह खुशी की बात है कि हम लोगों ने, प्रान्त के रहने वालों ने अपनी मर्जी से इस चीज को उत्साहपूर्वक अपने हाथ में लिया। लेकिन जैसा मैंने कल अर्ज किया था, इसको किस तरीके से आफिशियलाइज करने की बात हो रही है, उसके अन्दर ऐसी घटनायें होती चली जा रही हैं जो कि देश और प्रान्त के लिए सिर झुकाने वाली बातें हैं। मेरे इल्म में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं। पिछले दिनों मथुरा के अन्दर २७ तारीख को एक मुशायरे का इन्तजाम किया गया जिसके १६ रु० के टिकट पुलिस वालों ने २५-२५ रुपये में बेंचे, १६ रुपये जमा हुए और बाकी उनकी जेब में गये। कोसी और मथुरा के बीच में एक चाय की दूकान है, वहां पर तमाम ट्रकों को रोका गया और उन्हें वह टिकट देकर जबर्दस्ती उनसे २५-२५ रुपये वसूल किये गये। इसी तरह अलीगढ़ में एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने १० रुपया अपने नाम से, २ रुपया अपने हेडकांस्टेबिल के नाम से और १ रुपया सिपाही के नाम से, इस तरह से १३ रुपये की रसीद देकर २५-२५ रुपये ट्रक वालों से वसूल किये। यह ऐसी घृणित

---

*६ फरवरी, १९६३ की कार्यवाही से।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीब्रह्मदत्त मायर]

चीजें हैं कि हमारे प्रान्त का ऐडमिनिस्ट्रेशन जिन लोगों के द्वारा चल रहा है, वह इस तरह चन्दे के सिलसिले में अगर भ्रष्टाचार करें, तो इससे ज्यादा दुःखदायी चीज दूसरी नहीं हो सकती है। और हमारी सरकार को ऐसे अफसरान के खिलाफ खासतौर से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये ताकि वह देश के प्रति जिस वफादारी का दम भरते हैं, उसका ज्ञान लोगों को हो सके। यदि वह इस तरह का काम करते हैं तो लोगों को उनके ईमान के प्रति कोई गुंजायश बाकी नहीं रहती है और उनके प्रति विश्वास उठ जाता है।

अब मैं राइफल क्लब और होमगार्ड के सिलसिले में एक बात निवेदन करना चाहता हूं। गन लाइसेन्स लोगों को ज्यादा से ज्यादा दिये जाने चाहिये। इस सिलसिले में राज्यपाल महोदय ने अपने वक्तव्य के अन्दर कोई बात नहीं कही है। आज यह हो रहा है कि जिनके पास बन्दूक के लाइसेंस हैं यदि वे उस को रिन्यू कराने के लिये जाते हैं तो उनसे बड़ी रकम वसूल करने की कोशिश की जाती है और उनका हौसला अफसरान के भय से पस्त हो जाता है। इसकी तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया जो देना चाहिये था।

राज्यपाल महोदय ने अपने वक्तव्य के अन्दर उल्लेख किया है कि उनकी सरकार लोकल सेल्फ बाडीज को बड़े-बड़े कर्जे दे रही है। मैं सहारनपुर म्युनिसिपल बोर्ड के बारे में कुछ बातें आप के सामने रखना चाहता हूं। २९ लाख रुपया इस साल सहारनपुर म्युनिसिपल बोर्ड के ऊपर कर्जा है हमारी प्रान्तीय सरकार का। लेकिन वहां पर ७ लाख रुपया लगा कर एक पब्लिक हाल आज भी बनाने की चेष्टा की जा रही है और वह उसके बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके कि मैंने माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान उस ओर आकर्षित किया है। और लिखित रूप में उनसे शिकायत की है कि ऐसे वक्त में इतना रुपया जाया नहीं करना चाहिये लेकिन वहां के म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष चूंकि यहां के मंत्रियों से सम्बन्धित हैं, एक मन्त्री से उनका घनिष्ट सम्बन्ध है और वे अपने आप को उनसे कम नहीं समझते हैं इसलिये जिद्द में हैं कि जितना हो सके उनके हाथ से रुपया उस पर व्यय किया जाय। इसी तरह से वहां पर लो पेड स्टाफ की एक कालोनी बनी जिसके लिये म्युनिसिपल बोर्ड ने ३ लाख रुपया मंजूर किया लेकिन अध्यक्ष महोदय ने बिना मंजूरी के उसके ऊपर ५।। लाख रुपया खर्च कर दिया। इस तरह से बहुत सा रुपया जाया किया जा रहा है। सरकार को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिये। जितना रुपया कर्जे के रूप में म्युनिसिपल बोर्ड को दिया जाता है गाढ़े पसीने की कमाई का रुपया टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है, उसको यदि इस तरह से जाया किया जाता है तो सरकार कब तक इसको बरदाश्त करती रहेगी? पिछले दिनों चौधरी चरणसिंह जी एग्रीकलचर मिनिस्टर को मैंने एक पत्र वहां के सहारनपुर के कम्पनी बाग के सिलसिले में दिया और बतलाया कि वहां के अफसर जो थे उन्होंने नेशनल गार्डन के अन्दर लाखों रुपये का गड़बड़ी किया और ऐसे समय में उन्होंने वहां पर गड़बड़ करके खर्च किया जब कि एक पैसा भी अधिक खर्च नहीं करना चाहिये था। लेकिन मुझे दुःख है कि चौधरी साहब जैसे आदमी ने सिर्फ उनके लिये इतना किया कि उनको इलाहाबाद ट्रान्सफर कर दिया। जिसने इतनी बड़ी रकम में गड़बड़ की हो उनका ट्रान्सफर कर देना ही काफी नहीं था। यह दुख की बात है कि जिसने ८,१० लाख का गबन किया हो उनको ट्रांसफर करना ही उनके लिये सजा मान ली गई। इस तरह के जितने गबन होते हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये। प्रांत के अन्दर इस तरह से रिश्वत बढ़ती जाती है लेकिन लोग आज डिफेंस आफ इंडिया रूल्स की वजह से बोल नहीं पाते हैं। उनके मुंह पर ताले हुये लगे हैं। अगर सरकार ध्यान नहीं देती है और लोग बोल पाते नहीं हैं तो कैसे काम चलेगा, इसकी तरफ राज्यपाल महोदय को ध्यान देना चाहिये था। भ्रष्टाचार और अराजकता आज प्रान्त के अन्दर फैलती जाती है, उसके लिये उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार उसकी तरफ ध्यान दे रही है और कोशिश कर रही है कि लोगों का मनोबल बना रहे।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल का सम्बोधन साधारणतया वह दर्पण है जिसमें हम आने वाले वर्ष में अनुसरण की जाने वाली नीतियों का प्रतिबिम्ब देख सकते हैं और देखने की आशा करते हैं। जनतांत्रिक कन्वेंशंस के अनुसार सदन में उसके पक्ष में बोल करके अथवा संशोधन उपस्थित करके हम वे सुझाव देने का यत्न कर पाते हैं जिनके प्रकाश में उन नीतियों का कार्यन्वयन हो सके। मान्यवर, इस वर्ष के विवाद में एक विशेषता यह रही है कि हमारे प्रदेश में जो हमारी नीतियां रहीं उनकी कम चर्चा हुई और वैदेशिक नीति, कोलम्बो प्रपोजल्स, नान–एलाइनमेंट पालिसी आदि आदि बातों का ज्यादा जिक्र हुआ। इसका एक नतीजा यह निकाला जा सकता है जैसा कि कल कुछ मित्रों ने कहा कि सदन को सरकार की नीति पर कोई विशेष टीका-टिप्पणी या आलोचना करने का स्कोप नहीं दीखता। यह संतोष और हर्ष का विषय भी हो सकता है, लेकिन इससे एक नुकसान तो अवश्य हुआ कि जो मार्ग दर्शन उन सुझावों और उन नीतियों की चर्चा के द्वारा हो सकता था उससे सरकार और सदन वंचित रहेगा।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने सबसे पहले और सबसे अधिक एक बात पर बल दिया और वह यह कि यह जो स्थिति हमारे प्रदेश और देश में पैदा हुई है, उसके कारण जो कदम उठाने पड़ेंगे उनके लिये अधिक साधनों की आवश्यकता होगी, जो कोशिशें अब तक बचत की की गयी हैं और जो साधन धन एकत्रित करने के हैं, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि, वह नाकाफी हैं और हमें वह उपाय ढूंढ़ने पड़ेंगे जिनसे उनको बढ़ाया जाय। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आज सदन को इस प्रश्न का उत्तर देना है, अपने सुझाव देने हैं कि जिनके प्रकाश में इस प्रश्न का हल हो। मान्यवर, अपोजीशन की ओर से इस बारे में जहां तक मैं समझ सका, दो तीन बातें कही गयीं। एक तो यह कि स्टेट आफ इमरजेंसी ही आज नहीं है केवल एक कोल्ड वार चल रही है तब क्या आवश्यकता है इस तरह के प्रयासों की। मैं मान्यवर, बहुत संक्षेप में इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि यह कहना बिल्कुल विरोधाभास है। एक तरफ इस बात की आलोचना की जाती है और सरकार को इस बात के लिये जिम्मेदार ठहराया जाता है कि उन्होंने एक पड़ोसी देश को जो कल तक अपने को मित्र कहता था, अपना मित्र क्यों माना और शत्रु मानकर तैयारियां क्यों नहीं कीं जिसे करके वे इतने बड़ी सीमा की रक्षा आक्रमण से कर सकते थे? एक तरफ तो यह कहा जाता है कि हम सीमा पर उस कल तक अपने को मित्र कहलानेवाले और शत्रु का व्यवहार करने वाले पड़ोसी की उस कार्यवाही के लिये पहिले से पूरी तरह से तैयार क्यों नहीं थे, दूसरी ओर समझौते के आधार पर नहीं बल्कि नयी स्थितियों के आधार पर चीन के पीछे हट जाने मात्र से यह कहना कि स्टेट आफ इमरजेंसी समाप्त हो गयी, मैं नहीं समझ पाता हूं। मुझे तो इससे एक हैरानी होती है कि आखिर इसके पीछे मतलब क्या है? आप वास्तव में चीन से मुकाबिले के लिये चिंतित हैं या किसी और चीज के लिये? यदि मैं यह कहूं तो धृष्टता न समझी जाय कि आप चीन से मुकाबिले के लिये उतने चिंतित नहीं हैं जितना कि अपने को देशभक्त घोषित करने के लिये चिंतित हैं। मान्यवर, मैं ऐसा न कह कर केवल इतना कहूंगा कि हम आज ऐसी स्थिति में हैं कि जब अपने हर आचरण से कहने से ऐसी स्थिति देश में न पैदा होने दें जिनसे हमारी सेना के, हमारी जनता के मनोबल का डिमारलाइजेशन हो।

इसके अतिरिक्त एक बात और कही गयी कि इन साधनों के लिये बचत करनी चाहिये। बहुत ठीक बात है, अवश्य बचत करनी चाहिये, करनी ही पड़ेगी और करनी भी चाहिये। जब जब ऐसी स्थिति आती है तो बचत करना आवश्यक हो जाता है। बचत एक पैसे की भी अच्छी होती है, छोटी से छोटी बचत भी अच्छी होती है, लेकिन जितने सुझाव अब तक आये, उनमें केवल एक बात को कहा गया सबसे ऊपर कि कैबिनेट का साइज कम कर दिया जाय। बस ऐसा लगता था कि एक इस बात को मान लेने से हमारी बचत योजना पूरी हो जायगी। मान्यवर, मैं कैबिनेट के बड़ा होने के पक्ष में नहीं, न उसका समर्थक हूं, लेकिन मैं एक बात नहीं समझ सका कि आज इमरजेंसी है इसलिये कैबिनेट छोटा कर दिया जाय। अगर कैबिनेट का बड़ा होना अनुचित था तो आज भी है और कल भी था, लेकिन इमरजेंसी से इसका कोई वास्ता

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

नहीं है। जिस मद में केवल ८, ९ लाख रुपया व्यय होता हो साल भर में और प्रदेश का कुल बजट २०० करोड़ का हो, उसमें उस एक मद को इतना महत्व देना ठीक नहीं। कैबिनेट को कम करने के अलावा और भी ठोस सुझाव आने चाहिये थे और उनकी मुझे आशा थी। माननीय यादवेन्द्र-दत्त जी जब भाषण दे रहे थे तो उसमें उन्होंने एक बात कही कि इकोनामी कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं उनका कार्यान्वयन सरकार क्यों नहीं करती। यदि उनका कार्यान्वयन कर दिया जाय तो काफी बचत हो सकती है। वे स्वयं उस कमेटी के सदस्य हैं और उनका यह विश्वास है कि इकोनामी कमेटी की सिफारिशों को इम्प्लीमेंट कर देने से हम उस लक्ष्य की ओर चल सकते हैं। यह एक पाजिटिव स्टैन्ड हो सकता है और सदन के इधर और उधर के बैठने वाले, दोनों इसका समर्थन कर सकते हैं और मांग कर सकते हैं कि जो इकोनामी कमेटी सरकार द्वारा बनायी गयी है और जिसका लक्ष्य है कि हम सारे विभागों में अधिक से अधिक बचत करें, उसकी सिफारिशों को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाय और पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाय। मुझे इसमें संदेह नहीं कि ऐसा होगा और हो रहा है। मैं समझता हूं कि जो डिपार्टमेन्टल एप्रोच इन सिफारिशों के प्रति होती है वह गलत है। आज जिस डिपार्टमेंट के विषय में कोई बात प्रपोज की जाती है तो वह यह समझता है कि यह हमारी आटोनामी पर कोई आन-स्लाट हो रहा है। अगर यह अप्रोच चलता है और चलने दिया जाता है तो अवश्य हमारे बचत की ओर बढ़ते हुये कदम आगे नहीं बढ़ सकेंगे उस गति से जिससे उन्हें बढ़ना चाहिये। मैं समझता हूं कि सारे डिपार्टमेंट को इस ओर कोआपरेट करना चाहिये और सरकार को उन्हें बाध्य करना चाहिये कि वे उन सिफारिशों को सहर्ष स्वीकार करें। मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि अगर हम केवल इन सिफारिशों को कार्यान्वित कर सकें तो प्लान्ड आइटम्स में २०, २५ करोड़ और नान-प्लान्ड आइटम्स के खर्च में ४, ५ करोड़ की कम से कम बचत हो सकती है।

मैं इसी संदर्भ में यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो सदन की कमेटीज बनती हैं उनका पूर्ण उपयोग सरकार और विभाग नहीं करते। यहां के इस्टीमेट्स कमेटी और लोकलेखा समिति बड़ी महत्वपूर्ण समितियां हैं। पिछले १५ सालों में इन कमेटियों ने बड़े महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये हैं, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनका उपयोग नहीं कर पाये। मैं केवल इस्टीमेट्स कमेटी के बारे में कहता हूं क्योंकि सदन ने मुझे उसके सिलसिले में कुछ दायित्व सौंपा है। इस्टीमेट्स कमेटी की पिछले १५ सालों में आधी से अधिक रिपोर्ट्स इनइम्पलीमेंटेड पड़ी हुई हैं। उनका कार्यान्वयन नहीं हो सका। अगर आज इस संकट काल में भी उन पर कार्यान्वयन हो सके तो ५ से १० करोड़ रुपये तक की बचत उनके आधार पर हो सकती है। तो अगर उन सुझावों और सिफारिशों का कोई महत्व और उपयोग है तो यह आवश्यक है कि विभागों को कम्पेल किया जाय कि वे उन रिपोर्ट्स पर पूरी तरह ध्यान दें और उनके अनुसार कार्य करें। मान्यवर, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत जोर दिया गया कि कम्पलशन से चंदा हो रहा है और वालेन्टेरिली चन्दा नहीं हो रहा है। हमारे प्रदेश में चन्दा वसूल करने में फोर्स इस्तेमाल किया जाता है, कम्पलशन इस्तेमाल किया जाता है। जिस वक्त यह प्रश्न सामने आता है कि हमें अपनी इन बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिये रुपये की आवश्यकता है, इसलिये रुपया चाहिये तो उसके ही माध्यम हो सकते हैं। एक तो यह कि फ्रेश टैक्सेशन और दूसरा वालन्टरी चन्दे द्वारा धन का एकत्र किया जाना। एक तीसरा माध्यम और भी हो सकता है और वह यह है कि वह धन बचत द्वारा एकत्रित किया जाय। परन्तु बचत द्वारा इतना धन नहीं इकट्ठा किया जा सकता है। तो फिर हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के दो ही मुख्य साधन रह जाते हैं—एक तो फ्रेश टैक्सेशन और दूसरा वालेन्टरी चन्दा। मैं उधर के बैठने वाले मित्रों का बड़ा आभारी होता यदि वे कम्पलशन की शिकायत करने के साथ-साथ यह भी बताते कि आखिर किन साधनों द्वारा अब हम अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं।

मैं कम्पलशन के बारे में थोड़ा-सा निवेदन करना चाहता हूं। अगर इस रूप में कम्पलशन होता हो कि कोई शख्स, न देने वालों पर अन्याय करे, तो यह तो सर्वथा निन्दनीय ही है। अगर ऐसा

होता है कहीं पर भी तो उसको हमें बड़ी से बड़ी शक्ति लगाकर रोकना चाहिये। लेकिन कम्पलशन की परिभाषा बड़ी सन्दिग्ध है। उदाहरण के लिये जैसे हमारे यहां पर माननीय दुबे जी हैं और ये अपने जौनपुर के बाजार में स्वयं चन्दा उगाहने के लिये जायं और कोई व्यक्ति आपकी सेवा में ५ रुपये प्रस्तुत करे और आप उससे ५०० रुपये मांगें तब वह अपनी इच्छा से नहीं बल्कि माननीय दूबे जी के दबाव से, उनके बोझ से और यह समझ कर कि आज पहली बार राजा साहब हमारे दरवाजे पर पधारे हैं, वह २५० रुपये आपको दे देगा। तो यह भी एक प्रकार का कम्पलशन हो सकता है। वह आपकी परसोनेलिटी, आपका बोझ, आपका असर भी एक प्रकार का कम्पलशन ही माना जा सकता है। अगर आपको कोई व्यक्ति ५ रुपये देना चाहता है और आप उससे अपने प्रभाव के जरिये ५०० रुपये वसूल करते हैं, तो यह साफ कम्पलशन ही होगा। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार का कम्पलशन आज कहीं भी प्रदेश में हो रहा है, चाहे वह अधिकारियों द्वारा हो रहा हो अथवा गैर अधिकारियों द्वारा हो रहा हो तो मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। मैं समझता हूं कि वह परिस्थितियों को देखते हुये आज आवश्यक है। आज यह हमारा परम कर्त्तव्य है कि हम अपना इस प्रकार का पूरा कम्पलशन चन्दा उगाहने में अवश्य इस्तेमाल करें। (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, मैं केवल २० मिनट चाहता हूं और वह आप देने की कृपा करें।, श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रदेश में वह भावना पैदा हो, जिससे कि जनता स्वयं ही बिना किसी प्रकार के कम्पलशन के ही चन्दा दे जिससे किसी भी प्रकार की निन्दा और आलोचना इस आदरणीय सदन में न हो सके। मैं यह बात फिर दोहरा देना चाहता हूं कि चन्दा देने पर किसी को कोई नुकसान पहुंचाने वाली यदि कोई भी घटना घटती है तो वह हम सब के लिये निन्दनीय है और मैं यह स्पष्ट कहूंगा कि ऐसा कदापि नहीं होना चाहिये कि किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का गलत दबाव डालकर चन्दा वसूल किया जाय। यह जनतंत्र की परम्पराओं के विरुद्ध है और इसे हमें रोकना है।

एक सदस्य--

अगर कम्पलसरी कर दिया जाय तो ?

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट--

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं कि मेरे मित्र ने कहा कि चन्दा कम्पलसरी कर दिया जाय। मैं यही कह रहा था कि आज वास्तव में इसी बात की आवश्यकता है कि चन्दा कम्पलसरी होना चाहिये और इस प्रकार के ही सुझाव की हम आशा करते हैं। परन्तु यह किस रूप में लगे ? मेरी तो व्यक्तिगत राय यह है कि हम कम्पलसरी चन्दा टैक्सेशन के द्वारा ही कर सकते हैं। और उस टैक्सेशन की नीति हमारी क्या हो, उसका उत्तर तो सदन ही दे सकता है। मैं तो यह कहूंगा कि टैक्सेशन के बारे में हमारा खुला मत होना चाहिये। आज आप देखें कि गरीब आदमी अपनी शक्ति से अधिक टैक्स दे रहा है परन्तु मध्यम वर्ग और धनी वर्ग पर उसका बोझ कम पड़ रहा है। मैं तो यह कहूंगा कि अब जो टैक्सेशन हो उसका बोझ उच्च वर्ग पर ही अधिक पड़ना चाहिये।

इतना और निवेदन करना चाहता हूं, इस सिलसिले में कि आज चन्दा वसूलने की सारी जिम्मेदारी और सारा दायित्व जनता पर ही नहीं है, उसका कुछ दायित्व हम लोगों पर भी है। जिस वक्त उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग शिकायत करता है कि आज मंत्रियों द्वारा चन्दा नहीं दिया जाता है तो मैं कदाचित् उच्च अधिकारियों से और अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स से भी यह निवेदन करूंगा कि उनको भी इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। कैबिनेट के मिनिस्टर्स ने जो सहयोग इस चन्दे में दिया है उसके लिये जनता उनकी कृतज्ञ हो सकती है उस मात्रा में, लेकिन उन्हें अगुवा होना था, उनसे अधिक आशा की जाती थी। चाहे आर्थिक स्थिति में वे उच्चतर कोटि में न हों, लेकिन उनको उच्चतर कोटि का माना जाता है और उनसे यह आशा की जाती थी जो प्रथम कोटि के लोगों से की जाती है। यह तो मैं समझता हूं कि कोई कम्पलसरीली ऐसा तरीका निकाला जाय कि ५०० रुपये से अधिक सैलरी या आमदनी वालों को १० प्रतिशत चन्दा देना अनिवार्य हो और वह १० प्रतिशत प्रतिमास दे सके।

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल एडवोकेट]

मान्यवर, में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। एक शुगर ऐडवाइजरी बाडी का जिक्र माननीय राज्यपाल महोदय के संबोधन में है। उसका बनाना एक अच्छा स्टेप हो सकता है, लेकिन आज शुगर पालिसी हमारे प्रदेश की सर्वथा असंतोषजनक है, न उसक लिये केन्द्र में कोई प्रशंसा मिलती है और न देश के रहने वालों को पूर्ण सांत्वना मिलती है। प्रदेश जो गन्ना पैदा करता है उसका ६० प्रतिशत खांडसारी और गुड़ में जाता है और ४० प्रतिशत मिलें कंज्यूम करती हैं। जो हमारी पालिसी बनती है वह मिलों के लिये होती है। अगर मिल वाले किसी वर्ष में आन्दोलन करते हैं तो उससे प्रभावित होकर कमेटी बनाने की बात की जाती है लेकिन ६० प्रतिशत वाले उद्योग के लिये जिसके विकास की अकेली जिम्मेदारी सारे देश में उत्तर प्रदेश की है उसके लिये कोई कमेटी या कमीशन नहीं बैठाया गया और मेरे प्रश्न के उत्तर में यह बतलाया गया कि पिछले दस वर्ष में स्टैटिस्टिक्स इस विषय में प्राप्त करने का प्रयत्न इस प्रदेशीय सरकार द्वारा नहीं हुआ। अगर गुड़ शुगर मडिल को साल्व करना है तो हम ऐसा कमीशन बनायें जिसमें सारे प्रदेश के लिये कोई नीति कायम करें। हम चाहते हैं कि हमारे देश की, प्रदेश की मिलें पल्लवित हों और पूरी तरह से काम कर सकें, लेकिन हम एक ऐसी योजना भी बना सकें जिसमें को-एग्जिस्टेंस हो जिससे गुड़-खांडसारी और मिलें दोनों चलें। कुछ रीजंस ऐसे हों जहां गुड़, खंडसारी को इनकरेज करें, यह नहीं कि एक क्षेत्र में एक्सपर्ट्स की राय से रुपया लगा दिया और दूसरी जगह मिल एरिया डिक्लेयर कर दिया। वहां परचेज टैक्स नहीं लग सकता। जो कानून है उसको बाई-पास करने के लिये मिल एरिया घोषित कर दिया जाता है और पिछले वर्ष सरकार द्वारा केवल उन्हीं इकाइयों को पनपाया गया है, गुड़-खंडसारी को निग्लेट किया गया। यह कनफ्यूज्ड पालिसी है जिससे प्रदेश अवनति की तरफ जा रहा है और इसको हमें बदलना पड़ेगा। में समझता हूं कि किसी सरकार का दायित्व इस दिशा में नहीं है जितना उत्तर प्रदेश की सरकार का है। अगर ये उदासीन रहे तो ये हित एक तरह से बड़े खतरे में होंगे। मैं आशा करता हूं कि शुगर ऐडवाइजरी कमेटी कुछ मिलों को लाभ पहुंचाने वाली या उनकी तात्कालिक समस्याओं का हल करने वाली न बनकर हमारे प्रदेश की नीति को निर्धारित कर सके और हमारे यहां परमानेंट पालिसी तय हो सके जिसमें शुगर के बारे में जो मडिल्स सामने आ जाते हैं वह न हो सकें। इन शब्दों के साथ में यह कहकर समाप्त करूंगा कि आज प्रदेश में ऐसी आवश्यकता है कि हम चारों तरफ उन कार्यों का समर्थन कर सकें जो युद्ध-कालीन स्थिति के कारण हमें करने पड़ रहे हैं उनमें अविश्वास पैदा करना और यह कहना कि हम क्यों नेहरू के हाथ मजबूत करें चन्द्रभानु गुप्त के हाथ मजबूत करें, यह बातें अराजकता फैलाने वाली हैं, प्रदेश और देश किसी व्यक्ति से बड़ा है, यह ठीक है, लेकिन हर नीति का माध्यम प्रजातंत्र में कोई व्यक्ति ही हो सकता है। तो जो व्यक्ति प्रजातांत्रिक ढंग से चुना गया हो, उसके हाथ मजबूत करने की, उसके अन्दर विश्वास पैदा करने की, उसके साथ सहयोग देने की ही आज आवश्यकता है, वरना इस तरह की चीजें चीनी आक्रमण से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं और उसके लिये आपको गम्भीरता के साथ विचार करना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ हम आशा करते हैं कि आप माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो यह धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका समर्थन करेंगे।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—

आज जब हम राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर बहस कर रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिये कि हम आज की परिस्थिति में जो एक पृष्ठ भूमि बन गयी है उसको अपनी बहस के समय मद्देनजर रखें और सही तौर पर बहस करें, और वह पृष्ठभूमि बनी है चीनी आक्रमण की वजह से, उसके कारण हमारे ऊपर कुछ नयी जिम्मेदारियां आ गयी हैं। उन जिम्मेदारियों को पूरा करना, उसके लिये सही तौर तरीके इस्तेमाल करना ही आज हमारा फर्ज होना चाहिये। वह जिम्मेदारी क्या है? वह है राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की, डिफेंस पोटेन्शियल को मजबूत करने की, क्योंकि इस वक्त हथियार बन्द लड़ाई तो हो नहीं रही है, उसके लिये तो हमें एक लम्बी तैयारी करनी है, हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना है। दूसरी जिम्मेदारी यह है कि उसके साथ-साथ हमें

राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। तीसरी चीज यह है कि हमें जनता के अन्दर उसके उत्साह को मजबूत करना है, उसके मनोबल को मजबूत करना है। यही काम हैं जिन्हें आज हम सब को मिल जुल कर पूरा करना है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक न हममें इन चीजों की समझदारी ही है, और न हमने इस तरफ अपना दिमाग ही लगाया है कि कैसे इसको पूरा किया जाय। इस तरफ हमको अपना दिमाग लगाना होगा, तभी यह काम हम पूरा कर सकेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा कर सकेंगे। अभी भी मैं देखता हूं कि तौर तरीके वही पुराने हैं, जबान पुरानी है, समझ पुरानी है, और उसी के आधार पर वही पुरानी बहस चली आ रही है। सबसे बड़ी शर्त आज की हालत में यह है कि एक दूसरे की तरफ हमारा जो रवैया आज तक था उसमें तब्दीली आये। अगर सही माने में देश के ऊपर खतरा था और आज भी वह खतरा बना हुआ है और सही मानों में हम देश की रक्षा करना चाहते हैं तो जाहिर है कि हमारा रवैया एक दूसरे के प्रति बदलना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं होगा राष्ट्रीय एकता मजबूत नहीं हो सकती है और न देश की रक्षा हो सकती है। एक दूसरे की तरफ रवैया बदलने के माने यह नहीं हैं कि विरोधी दलों के बीच का रवैया बदले या सत्तारूढ़ पार्टी के दर्मियान जो पहले झगड़े थे वे खत्म कर दिये जायं और उनका आपस में रवैया बदल जाय, बल्कि उसका मतलब यह है कि विरोधी पक्ष और सरकार के बीच भी जो रवैया है उसमें तब्दीली आनी चाहिये। लेकिन मैं सोचता हूं कि वह समझ हम में नहीं आयी है और हमारा पुराना रवैया अभी बदला नहीं है, वही कायम है।

एक सदस्य---कम्युनिस्टों में वह समझ आ गयी है।

श्री जेड० ए० अहमद---

हां, कम्युनिस्टों में आ गयी है और आनी चाहिये, और आप सब में भी आनी चाहिये।

मुझे यह पढ़ कर अफसोस हुआ कि जब राज्यपाल महोदय अंग्रेजी में बोलने लगे तो शोरगुल मचाया गया। कुछ तो सहनशीलता होनी चाहिये। आखिर राज्यपाल एक मामूली अधिकारी तो है नहीं। इस माने में भी कि वे एक पुराने राजनीतिज्ञ हैं और जब वे कहते हैं कि मैं हिन्दी भाषा अच्छी तरह से नहीं बोल सकता, मुझे अंग्रेजी में बोलने की इजाजत दी जाय तो इसमें घबराहट की क्या बात थी? हिन्दी की सेवा इस तरीके से नहीं हो सकती है। यह बहुत बड़ा देश है, हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसको हम अपनायेंगे, उसको ऊपर उठायेंगे, उसको सही माने में राष्ट्रभाषा बनायेंगे। लेकिन इस प्रकार असहनशीलता से हिन्दी के प्रति देश के दूसरे इलाकों में अच्छी भावना नहीं बनायी जा सकती। उड़ीसा वाले जब अखबारों में यह पढ़ेंगे कि हमारा एक नेता जो राष्ट्रीय आन्दोलनों में जेल गया था, जब वह यू० पी० असेम्बली में बोलने के लिये खड़ा हुआ तो उसको बोलने नहीं दिया गया और शोर मचाया गया, तब उनके मन में आपके लिये क्या खयाल पैदा होगा?

एक सदस्य---हिन्दी में नहीं तो वे उड़िया में बोलते।

श्री जेड० ए० अहमद---

चाहे हिन्दी में बोलते, चाहे उड़िया में बोलते और चाहे अंग्रेजी में बोलते, उनके बारे में हमारा रवैया यह होना चाहिये था कि जिस भाषा में बोलना चाहते थे बोलने देते। इस तरह से हम उनकी इज्जत कर सकते थे, न कि शोरगुल मचाते (शोर)।

श्री उपाध्यक्ष---

यह आप क्या कर रहे हैं?

श्री जेड० ए० अहमद---

यह असहनशीलता की मिसाल है। अग्रवाल जी ने सही फरमाया कि इस वक्त जरूरत इस बात की थी कि हम प्रदेश की मुख्य समस्याओं को लेते और उन पर विचार करते कि उनको किस तरह से हल किया जा सकता है लेकिन वहां तो उन्हीं पुरानी अखिल भारतीय नीतियों को ले लिया गया और लड़ाई छेड़ दी गई है कि नेहरू सरकार गलत है, नेहरू की नीतियां

[श्री जेड० ए० अहमद]

गलत हैं, सुरक्षा के लिये यह करो, वह करो, (शोर) अगर यही सवाल है तो मैं कुछ आल इंडिया सवालों को लेना चाहता हूं। इमर्जेंसी का सवाल उठाया गया और कहा गया कि अब नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि इमरजेंसी की समझ उन्हें न तो तब थी जब हमारे मुल्क पर हमला चल रहा था और न आज है क्योंकि जिस वक्त देश पर हमला हो रहा था और चीनी फौजें मार्च कर रही थीं, उस वक्त यह सवाल उठाया गया था कि सरकार को बदल देना चाहिये। क्या यह इमर्जेंसी का तकाजा था ? इमजसी तो सरकार के इर्द-गिर्द होती है और उस वक्त तो इसी बात का तकाजा होता है कि हम सरकार के हाथ मजबूत बनाये लेकिन उस वक्त चेंजिंग आफ हार्सेज की बात कही जाती है। जो रवैया उस वक्त अपनाया गया वह मुल्क में कियास पैदा करने वाला था।

माफ करें मेरे भाई, हममें और उनमें कुछ बुनियादी फर्क है। इमर्जेंसी रहे या न रहे, हम मे और उनमे कुछ बेसिक पालिसीज का सवाल है, हमारी और उनकी नीतियों में मतभेद है और वह मतभेद अपनी जगह पर कायम रहेगा। मुल्क के अन्दर इस वक्त दो कम्युनिटीज़ दिखाई देती है, एक तो वह जो यह कहती है कि किसी भी हालत में लड़ाई बन्द न करो, लड़ाई का वातावरण जारी रहे, देश की विदेशी नीति बदले, वह वेटर्न ब्लाक के साथ चला जाय, समाजवाद और प्लानिंग की बात को छोड़ दिया जाय। इसके अलावा एक दूसरा वर्ग है। दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, काफी शानदार मुल्क है। इसकी दुनिया में शान है और दुनिया ने इसकी बातों को माना है। पंडित नेहरू ने दुनियां के सामने जो एक नान एलायनमेंट की पालिसी रखी है, उसी का नतीजा है कि सभी देश हमारे साथ खड़े हो गये और मैं समझता हूं कि नेहरू की नीति बिलकुल सही है। हिन्दुस्तान को अपनी शक्ति के ऊपर बनना है, वह किसी के साथ जुड़ेगा नहीं, वह किसी पर निर्भर न रहते हुये अपनी शक्ति के आधार पर अपनी रक्षा करना चाहता है और करेगा। वह प्लानिंग के जरिये अपना भविष्य बनाना चाहता है। इस तरह से दुनिया के अन्दर दो खेमे हो गये हैं और मोटे तौर पर मैं समझता हूं कि नेहरू की नीति ठीक है। उस नीति ने हिन्दुस्तान को ऊंचा उठाया है, उसी से हिन्दुस्तान को आज इतना बड़ा सम्मान मिला है। उस नीति से ऐसी एक बुनियाद पड़ी है जिससे उसकी दुनिया में इज्जत होती है। चाहे मैं अपोजीशन में हूं लेकिन मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि मैं एक राजनीतिक आदमी हूं और मेरा दल राजनीतिक आधार पर ही किसी नीति का समर्थन करेगा या विरोध करेगा। राजनीतिक आधार पर ही यह सब होगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि राजनीतिक आधार पर हम अपने आपको आज नेहरू सरकार के नजदीक पाते हैं और राजनीतिक आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी का कांग्रेस दल से सहयोग हो सकता है। आखिर क्यों नहीं सहयोग हो, क्या कांग्रेस में कोई छूत है ? कांग्रेस एक शानदार जमात है, कांग्रेस की एक परम्परा है, इसको मै मानता हूं और राजनीतिक आधार पर हमारे दल का कांग्रेस दल से एक तरह का सहयोग है। कुछ लोग बुनियादी नेशनल पालिसी को ही उखाड़ देना चाहते हैं। सोशलिस्ट पार्टी और पी० एस० पी० ने आल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने तक की बात सोचनी शुरू कर दी। मैं आपसे पूछता हूं कि जब आपका आपस में ही झगड़ा तय नहीं होता--कोई कहता है कि मेरा एलेक्शन मैनिफेस्टो यह है, कोई कहता है कि तेरा एलेक्शन मेनिफेस्टो यह है, आपस में ही खींचतान चल रही है जब कि आप एक ही खानदान के हैं (व्यवधान) फिर आप आल्टरनेटिव सरकार क्या बनायेंगे ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

इस तरह का झगड़ा तो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर भी है। कोई पेकिंग की ओर देख रहा है, तो कोई मास्को की ओर देख रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बोल चुके, आपने काफी कहा, दूसरे लोगों को भी उसका जवाब देना होता है। (व्यवधान) अच्छा तो यही है कि आप सुनते रहें।

श्री जेड० ए० अहमद---

अजीब हवाई बातें की जाती हैं और गलत राजनीति की बिना पर लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाती है कि हम फलां को उखाड़ फेकेंगे । क्या इसी से देश प्रगतिशील हो सकता है ?

संयुक्त मोर्चा, संयुक्त मोर्चा की बात बहुत की जाती है । कैसे संयुक्त मोर्चा बनेगा ? जनसंघ की नीति कहां, स्वतंत्र पार्टी की नीति कहां, सोशलिस्ट पार्टी की नीति कहां, मैं नहीं जानता कि किस आधार पर आप आपस में मिल सकेंगे । आप मुझे गाली भले ही दें लेकिन राजनीतिक आधार पर हम कांग्रेस दल से मिले हुये हैं। अन्धा कांग्रेस विरोध, अन्धा नेहरू विरोध, अन्धा कम्युनिस्ट विरोध इसी आधार पर उनकी राजनीति चलती है, इस तरह की पालिसी उनको प्रतिक्रियावाद की तरफ और फेसिज्म की तरफ ही ले जायगी । मेरे पास अधिक समय नहीं है, मेरे भाइयों ने हमें बहुत गालियां दीं, कम्युनिस्ट पार्टी को आप गालियां दें या कुछ भी कहें, यह कहें कि वह घड़ियों में लाउड-स्पीकर लगायें हैं और वहां खबरें भेजते हैं, हो सकता है आप के कहने के मुताबिक कोई बात ऐसी हो, बहुत लम्बी चौड़ी बातों की जरूरत नहीं, बुरी सही यह कम्युनिस्ट पार्टी लेकिन जिस तरह से इधर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने-जितने कम्युनिस्ट देश थे वहां जाकर उन को टर्न किया, अपने दृष्टिकोण और शिकायत को रखा वह कोई मामूली बात नहीं थी । उन्होंने इधर उधर जाकर पूरे ब्लाकस को एप्रोच कर के एक नई फिजा तैयार की और उसका नतीजा यह हुआ कि बर्लिन की पार्टी कांफ्रेंस में जब चीन का नुमाइन्दा बोलने के लिये खड़ा हुआ तो सारी पार्टी ने वहीं कान्फ्रेंस में उस को शाउट डाउन कर दिया । हमने सारे कम्युनिस्ट मुल्कों पर यह असर डाला है कि हिन्दुस्तान सही है और चीन गलत है और उसका आज भारी असर हुआ भी....

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं उन की इन्फार्मेशन के लिये बता दूं कि बर्लिन कान्फ्रेंस.....(व्यवधान)

श्री जेड० ए० अहमद---

हमारे दोस्तों का यह रवैया है कि हम कोई ठोस काम न खुद करेंगे न करने देंगे । मैं सिर्फ ५ मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा । मैं समझता हूं कि जहां तक हमारे मंत्रि-मंडल का सवाल है वह एक अहम सवाल है और उस के बारे में मैं अपनी पोजीशन साफ कर देना चाहता हूं । यह ठीक है कि यहां का मंत्रि-मंडल बहुत बड़ा है उसको कम करना चाहिये, मैं भी समझता हूं कि वह बड़ा है, मैं समझता हूं उसकी कुछ प्रुनिंग हो सकती है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा और जो हमारे कांग्रेस के दोस्त हैं वह इस पर जरा गौर करें और सोचें क्योंकि जनता में खयाल पैदा हो गया है या कर दिया गया है कि मंत्रि-मंडल बड़ा है और उसी की वजह से सारे प्रदेश की एकानामिक लाइफ फेल हो रही है, हालांकि मैं इसको नहीं मानता लेकिन इतना जरूर महसूस करता हूं कि इस पर गौर करना चाहिये, उसको छोटा करना चाहिये । बहुत से पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज हैं, या तो उनको काम दिया जाय या कम किया जाय, यह सारी चीजें गौरतलब हैं, मिनिस्ट्री भी कुछ कम हो सकती है । विभाग कैसे बंटे हैं इस पर सोचा जाय । इस को कोई दूसरी एक भारी समस्या बनाकर खड़ा करना इस वक्त ठीक नहीं है, खाली इस पर गौर करना ही काफी है । मैं इस को उस दृष्टि से नहीं देखता कि बड़ा भारी सवाल यह कोई पूरे प्रदेश का है कि जिस के ऊपर सारी चीजें मुनहसिर हों, हमें मंत्रि-मन्डल को या तो एफीशियेंसी की कसौटी पर न पना चाहिये, पैसे की कसौटी पर नहीं, मैं चाहूंगा कि मंत्रि-मंडल का साइज कुछ भी हो लेकिन वह अधिक से अधिक काम करे, ईमानदारी से जिम्मेदारियों को निभाये । पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज् को जिम्मेदारी दी जाय, वे लियाज़ा आफिसर की तरह कार्य करें, दोनों ओर से वह ताल्लुक रखें । हम बहुत सी बातें सदस्य उठाते हैं उन पर यह लोग गौर करें और वह बातें वह मंत्रियों के गौर के लिये रखें । इसलिये यह सवाल एक सोबर तरीक़े से देखने का है, लेकिन इसके साथ ही मैं इस फेवर में भी नहीं हूं कि पंजाब में सरदार दरबारा सिंह की तरह एक-एक को ९-९ विभाग दे दिये जायं और बाद में उसका नतीजा यह हो जाय कि सब कुछ सेक्रेटरीज ही देखते रहें और

[श्री जेड० ए० अहमद]

मंत्री कुछ न कर पायें । इसलिये अगर कोई प्रुनिंग हो सके तो किया जाय और एक सोवर तरीके से इस प्रश्न पर और गंभीरता के साथ किया जाय ।

मैं सिर्फ २–३ चीजों के बारे में और कहूंगा । पहली बात तो यह कि नेशनल डिफेंस पोटेन्शियल के लिये उसको बढ़ाने के लिये यह जरूरी है कि हम पंचवर्षीय योजना में ऐसी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दें कि जिन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा इन्डस्ट्रियल पोटेंशियल बढ़े और मजबूत हो । दूसरे हम यह देखें कि हमारे प्रदेश में औद्योगीकरण तेजी से हो रहा है या नहीं । मैंने पहले भी कहा था कि इस प्रदेश में औद्योगीकरण अभी बहुत कम है और हमारी जो नीति है उसमें औद्योगीकरण नहीं हो रहा है जैसा कि होना चाहिये, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है जो कि सही तौर से इस्तेमाल नहीं होता । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि एक इंडस्ट्रियल कमीशन बनना चाहिये जिसमें काबिल आदमी हों और ६,८ महीने या साल भर वह काम करे ।

दूसरा पहलू ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन का है जिसको बढ़ाने के लिये आपको देखना पड़ेगा कि जो सरकारी ढांचा है इसके मातहत ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ रहा है । इसके बहुत से कारण हैं और इसकी भी जांच होनी चाहिये और ठोस नतीजे पर पहुंच कर प्रोडक्शन बढ़ाने के तरीक़े निकालने चाहिये । एक पहलू डिफेंस पोटेंशियल बढ़ाने का यह है । दूसरा यह है कि उसको मजबूत करना और जनता को संतुष्ट रखना । जहां एक तरफ आप प्रोडक्शन बढ़ायेंगे दूसरी तरफ जनता का संतोष, आत्म-विश्वास, हिम्मत, उसके इरादे और एकता को बढ़ाना है और इसके लिये सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर है । अगर हमारी टैक्सेशन पालिसी ऐसी रही कि गरीब जनता से तो हम लें लेकिन पूंजीपतियों को छुआ न जाय तो मैं समझता हूं इसमें जनता का मनोबल नहीं बढ़ेगा और आप उनको मौका देते हैं जो बुनियादी तौर पर सही नीति को उलट कर जनता के अन्दर असंतोष बढ़ाने की कोशिश करते हैं । इसलिये सोचना है कि टैक्सेशन पालिसी क्या हो ? आज समय आ गया है, ४ आना दो आना, एक आना बढ़ा कर आप यू० पी० के औद्योगीकरण का मसला हल नहीं कर सकते हैं । आपको देखना पड़ेगा, शुगर इंडस्ट्री के नेशनलाइजेशन का सवाल बड़ा गंभीर हो गया है और उसके साधनों को आपको लेना पड़ेगा, कुछ नये तरीके इसी तरह से निकालने पड़ेंगे जिसमें आपके पास साधन ज्यादा हों ताकि बुनियादी डिफ़ेंस पोटेंशियल बढ़ाने के लिये गरीब जनता पर बोझ न पड़े बल्कि मोटे-मोटे सेठों पर उसका बोझ पड़े । मैं चाहूंगा विवियन बोस कमेटी की जो रिपोर्ट डालमिया कंसर्न्स के बारे में निकली है उसको माननीय सदस्य पढ़ें, उनको मालूम होगा कि किस तरह से रुपये का गोलमाल किया गया है, मालूम होगा कि बड़े-बड़े लोग क्या कर रहे हैं । इमर्जेंसी को लेकर कानपुर के अन्दर लूम्स बन्द करते जा रहे हैं । इसलिये उस सेक्टर को टाइटेन करना जरूरी है, उसकी गलतियों की जांच होनी चाहिये कि किस तरह से वर्कर्स को अननेसेसरिली रिट्रेंच किया जा रहा है । हम संतुष्ट जनता के आइडियल को सामने रख कर एक-एक नीति को बनायेंगे, प्लानिंग चलायेंगे तभी हम कामयाब हो सकते हैं ।

आखिर में मैं अपने भाइयों से कहूंगा–आप हमें चाहे कितनी गाली दें हम सही रास्ते से नहीं हटेंगे । हम इस बात से डरते नहीं यदि आप हमें यह कहें कि फलाने के पिट्ठू हैं । राजनीति में आये हैं तो सिद्धान्त लेकर आये हैं । और मैं कांग्रेस भाइयों से कहता हूं कि आपकी जो बहुत लिबरल पालिसी है वह बहुत दिन चलने वाली नहीं है । आपको मजबूती के साथ कदम उठाना पड़ेगा । इस हमले की वहज से भारत की राजनीति का एक नया चेप्टर खुल गया है. रिऐक्शनरी ताकतें जनता को बहकायेंगी इसलिये आपका फर्ज है कि आप खड़े होकर उनका मुकाबला करें । मैं अपनी पार्टी की तरफ से यकीन दिलाता हूं कि जो धर्म और समाज के नाम पर प्रतिक्रियावादी ताकतें खड़ी हुई हैं और जो भारत को फासिज्म की तरफ ले जाने वाली हैं हम उनका डट कर मुकाबला करेंगे और हिन्दुस्तान को सही रास्ते पर ले जायेंगे ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के सम्भाषण में अगले वित्तीय वर्ष में सरकार क्या करने जा रही है उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बात की ओर संकेत किया गया है। जैसा कि हम और आप सब जानते हैं हमारे देश के ऊपर चीन के आक्रमण के बाद जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है उससे हमारे प्रदेश की भी एक विशेष नीति आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में होने जा रही है और इसीलिये राज्यपाल महोदय ने सर्वप्रथम हमारा ध्यान उन बातों की ओर दिलाया है जिनको कर के हमारी सरकार प्रदेश की सुरक्षा का उचित प्रबन्ध करना चाहती है। हमने यह देखा कि पिछले तीन दिन जो इस सदन में विरोधी दलों की ओर से भाषण हुये उनमें उन भावनाओं को व्यक्त किया गया जिनको आज की संकट कालीन परिस्थिति में व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं यह इसलिये कह रही हूं कि किसी देश के ऊपर जब संकट आता है तो केवल सरकारी पक्ष का ही यह कर्तव्य नहीं होता कि वह सुरक्षा की बात करे। विरोधी पक्ष के लोगों का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि जनता के मनोबल को ऊंचा उठाने के लिये ऐसी बातें कहें ताकि जब वे अखबारों में निकलें तो उनको पढ़ कर जनता का हौसला ऊंचा उठे। लेकिन हमारे माननीय विरोधी दल के नेता ने महामहिम राज्यपाल के भाषण में जो पहला ही संशोधन रखा उसमें यह कहा कि इस समय जो चन्दा वगैरह की वसूली हो रही है और उससे जो दबाव पड़ रहा है उसकी वजह से लोगों का हौसला बहुत गिर रहा है। यह बात इस प्रकार कही गयी कि अगर लोग नहीं विचार कर रहे थे या नहीं अनुभव कर रहे थे तो उनको एक सुझाव दे दिया गया, उनके दिमाग में यह एक नयी बात भर दी गयी और जिस तरह से लोग दिल खोल कर चन्दा दे रहे थे उसमें यह नुकसान ही पहुंचाने वाली बात हो गयी।

कहा गया कि पी० आर० डी० के संगठन से क्या होने जा रहा है। एक ओर तो आप कहते हैं कि हमें सुरक्षा के लिये ज्यादा से ज्यादा प्रबन्ध करना चाहिये और दूसरी ओर यदि सरकार कोई ऐसी स्कीम बनाती है जिससे हम समझते हैं कि हमारे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकेगी तो उसकी आलोचना यह कह कर की जाती है कि इससे तो केवल कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा कहने से हम अपने विषय से पीछे हट जाते हैं।

राज्यपाल महोदय ने जो अपने भाषण में एक बहुत ही अच्छी बात कही वह लेबर डिफेन्स बैंक की है। उसके द्वारा हम जनता को ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिये प्रोत्साहित कर सकेंगे और आज की संकटकालीन परिस्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि जन-शक्ति का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सके। श्रम शक्ति को संगठित करने के लिये जो लेबर डिफेन्स बैंक की योजना है यह बहुत ही अच्छी योजना है। इसका हम सब को स्वागत करना चाहिये। आज की लड़ाई हम केवल बातों से नहीं जीत सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से इधर उधर की बातें कह कर नहीं जीत सकते हैं बल्कि जरूरत इस बात की है कि हम अधिक से अधिक परिश्रम करें। हमारे दुश्मन ने बहुत पहिले से तैयारी की है और उसके पास हम से कई गुनी सेना भी है और हमें उसका मुकाबला करना है तो उसके लिये हमें काम करना है। इसका एक तरीका निकाला गया। गांवों में डिफेंस लेबर बैंक कायम किये गये। इनका विधायकों को अध्ययन करना चाहिये। और इनको कामयाब बनाने के लिये गांवों में ज्यादा से ज्यादा इसके अनुकूल वातावरण बनाना चाहिये।

मैं यह नहीं मानती हूं कि इमर्जेन्सी खत्म करने की आवश्यकता है। कल माननीय काशीनाथ जी ने कहा था कि कोलम्बो प्रस्तावों को मानने वाले देशद्रोही हैं। इस तरह से बिना विषय के अन्दर प्रवेश किये हुये किसी को देशद्रोही कह देना आसान है। लेकिन मैं चाहूंगी कि हमारे भाई इस बात को समझें कि किस हद तक ये प्रस्ताव हमारी मांग को पूरा करते हैं और फिर देशद्रोही कहने की बात हो तो कहें। आप यह नहीं समझते कि नेहरू जी की सफल नीति है और हमारे देश की नान एलायनमेंट पालिसी है, उसकी वजह से ही जो आज चीन इन प्रस्तावों के मानने में हिचकिचा रहा है इसको आज नहीं तो कल मानने पड़ेंगे। यह भी कहा गया कि हमरी फौज में चीनियों से मुकाबला करने की ताकत नहीं है। क्या ऐसी बातें जनता के प्रतिनिधियों को सदन में

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी]

कहनी चाहिये । जो फौज हजारों फिट की ऊंची पहाड़ियों पर दुश्मन से बहादुरी के साथ लड़कर पीछे हटी है उसके लिये इस तरह कहना आपको शोभा नहीं देता है ।

मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने सम्भाषण में इस बात का संकेत किया है कि इस तरह की एक स्कीम लागू की जायगी कि प्रदेश के प्रत्येक शहर में सप्ताह में या महीने में कुछ दिन नियत कर दिये जायेंगे जब कि मादक वस्तुओं का इस्तेमाल निषेध होगा ।

आज हमें डिफेंस के लिये धन की आवश्यकता है और हमें डिफेंस पोटेंशल्स के उत्पन्न करने की के लिये जरूरी है कि प्लान को और बढ़ाया जाय और प्रदेश की इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जाय । इनके लिये धन की आवश्यकता पड़ेगी । विरोधी दल का यह कहना कि इमर्जेन्सी के नाम पर उनके तथा समाचार-पत्रों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है यह बेबुनियाद बात है । किसी भी समाचारपत्र का अभी तक प्रोसीक्यूशन नहीं किया गया है, किसी अखबार को बन्द भी नहीं किया गया है । विरोधी दल की ओर से बड़े-बड़े नेताओं द्वारा जिस तरह की बातें बाहर कही गई हैं, दुनिया के दूसरे देशों में इस तरह की इमर्जेन्सी में कभी के बन्द कर दिये गये होते । लेकिन हमारी सरकार उदार है जो ये लोग चलते फिरते सड़क पर नजर आते हैं और जनता में जहर उगलते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त ।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोच रहा था कि जो मुझे कहना है वह प्रारम्भ से ही केवल अभिभाषण के संबंध में कहूं । परन्तु वातावरण कुछ ऐसा हो गया है कि इस विषय में भी कुछ कहने की अन्दर से आवश्यकता प्रतीत हुई ।

पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बारे में कोई भ्रम न रहे कि हिन्दी के संबंध में भारतीय जनसंघ का क्या विचार है । मेरा खयाल है कि हिन्दी के प्रति जो आदर और प्रेम, जो उसको एक सम्मान देने की भावना है, जनसंघ किसी से दूसरे नम्बर पर नहीं है, बल्कि नम्बर एक पर है ।

अभिभाषण के अन्तिम पैराग्राफ में हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा है कि हमारे दो लक्ष्य हैं । पहला लक्ष्य यह है कि हम आक्रामक को बाहर निकालें । दूसरा लक्ष्य यह है कि अपने सपने का राष्ट्र निर्माण करें । पहले तो हम आक्रामक की ओर देखें । उन्होंने संकेत किया कि हमारा नेतृत्व अफसल रहा । हमारा मार्ग दर्शन जनता ने किया । यह दुर्भाग्य की बात है । यदि हम संकेत करते हैं तो हमारे ऊपर लांछन लगाया जाता है । आप हमें ट्रेटर कहें कुछ कहें, परन्तु जो हमारे मन में भावना है, जिसको हम देश के हित में समझते हैं, उसको हम अवश्य कहेंगे । आप किसी स्थान पर क्यों न रखें । नेता का मार्गदर्शन जनता ने किया, यह भारतवर्ष का प्रथम उदाहरण है, जनता ने नेता का मार्ग-दर्शन किया, नेता ने जनता का मार्ग-दर्शन नहीं किया । चाहे कलाकार हो, शिल्पकार हो, चित्रकार हो, काश्तकार हो सबने एक स्वर से कहा कि हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम आगे चल कर आक्रामक को हटाओ । लेकिन उस उमड़ती हुई राष्ट्रीय भावना का किस प्रकार उपयोग किया गया ? उस उमड़ती भावना का समुचित प्रयोग नहीं किया गया और जैसा कि डाक्टर साहब ने कहा -मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं, जनता का मनोबल टूटने लगा । हमारा सनातन मंत्र है 'जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' । यह राम की भूमि, राणा की भूमि, शिवा की भूमि, आज हमारा समस्त भारतवर्ष एक है । यह प्रेरणा लेकर चलते,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह नहीं किया गया। इसके स्थान पर एक नया दर्शन दिया राजनीति का नाट–ए ब्लेड आफ ग्रास ग्राज देअर। दूसरी बात यह कही कि हम को चाइना से कोई दुश्मनी नहीं है, चाइनीज गवर्नमेंट से दुश्मनी है, यह कौन सा दर्शन है ? क्या इस दर्शन से आप जनता के जोश को कायम रख सकते हैं ? आप कुछ भी कहें, डाक्टर साहब कुछ भी कहें, किसी भावना में बह जायं लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि आपकी यही भावना है, तो आपका विचार सफल नहीं होगा। जब अपने विचार की असफलता को देखा तो एक दूसरा नारा लगाया, एक हिन्दुस्तान, एक नेता, एक दल। देश के बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन जहां तक नेता का संबंध है, मैं पंडित नेहरू के प्रति नतमस्तक हूं, उनके लिये मेरे हृदय में जो प्यार और आदर है वह मैं आपके सामने कैसे रखूं, परन्तु मैं नहीं चाहता कि जनता को नेतानिष्ठ बनाया जाय बल्कि देशनिष्ठ बनाया जाय। मैं यह नहीं कहता कि यहां यह होने जा रहा है, परन्तु हिटलर ने जर्मनी को ऊपर उठाने का प्रयास किया, मुसोलिनी ने इटली को ऊपर उठाने का प्रयास किया लेकिन जब हिटलर्स जर्मनी और मुसोलिनीज इटली की भावना आ गयी तो वहीं पतन हो गया। तो देश सबसे ऊपर है। आपने हमारे नेता को गुमराह किया, आपने अपनी सारी असफलताओं को ढकने के लिये यह नारा लगाया मानो एक तम्बू है जो एक बांस पर टिका हुआ है, उसके गिरने के बाद पूरा तम्बू गिर जायगा। संस्थायें आयेंगी और जायेंगी, देश रहेगा, मर्यादा रहेगी, सनातन की आत्मा रहेगी, वह नहीं मिटेगी अगर आत्मा को शरीर से अलग करना चाहते हैं तो एक नेता का नारा अवश्य लगाइये। श्रीमन् इसी का नतीजा यह हुआ कि १९ जनवरी को माननीय प्रधान मंत्री ने बिना पार्लियामेन्ट को कंसल्ट किये हुये कह दिया कि हमने कोलम्बो प्रस्ताव ऐक्सेप्ट कर लिया। क्या इससे जनता का मनोबल बढ़ेगा ? पीपुल्स वार बनाने के लिये सारी सुविधायें आप प्रदान करें परन्तु मनोबल तो हृदय से लगी हुई चीज है। कहते हैं लड़ाई हाथ से नहीं हृदय से लड़ी जाती है। अगर हृदय नहीं रहा तो कितना ही बली हाथ क्यों न हो, वह लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो हृदय क्या इस तरह मजबूत हो सकता है ? १९ जनवरी को जब उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही कमिटमेंट कर लिया तो डेमोक्रेसी की सारी नींव हिल गई, सारी भावनायें हिल गईं। हमारे कम्युनिस्ट भाई बड़े चतुर हैं, समझ गये कि चारों तरफ से हमारे ऊपर हमला है, हम तो मर गये, बस वह झट से पंडित जी की गोद में बैठ गये, जैसा कि कल किसी भाई ने कहा पंडित जी का चालीसा गाने लगे, प्रभु संकटमोचन नाम तिहारा बोलने लगे, जब कि कल तक बस्ती में यह गाना गाया जाता था उनकी तरफ से कि पंडित नेहरू, तूं त विलायती गद्दी पा गइउ ना, काश्तकरवन के दुखवा भुलाय गइल ना। तो आज दूसरे मुंह से पंडित नेहरू का गुणगान करने लगे। मैं भी उनका आदर करता हूं, वह पूज्य हैं, चाहे हमें सींखचों में बन्द कर दीजिये लेकिन हृदय की जो सच्ची बात है वह सामने आयेगी। लेकिन ये हमारे कम्यूनिस्ट भाई उनकी आस्तीन में जाकर बैठ गये। कल गोविन्द सहाय जी ने कहा कि कम्यूनिस्टों से दूर न रहो नहीं तो रेल दूर हो जायगी। पता नहीं कितना इतिहास उन्होंने पढ़ा है, मैंने तो उतना नहीं पढ़ा और जो कुछ पढ़ा भी था वह भी वकालत के झमेले में भूल गया। मैं नहीं जानता कि वह कौन से देश का कम्युनिज्म है जिसने डेमोक्रेटिक लाइन्स पर चल-कर अपने देश को ऊंचा किया हो। आप जानते हैं, यह सारी बातें डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने वाली हैं और वही भावनायें प्रदर्शित की जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी जैसा मैंने कहा एक गार्डन पार्टी है, बहुरंगे व्यक्तियों की मिली जुली पार्टी है। हर तरह के व्यक्ति उसमें घुस गये हैं।

आप आक्रामक को कैसे हटा सकते हैं ? मैं ६–२–६३ के हिन्द आबजर्वर नामक अखबार की चार लाइनें आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं––

"A deep-laid plot, involving lakhs of rupees and some prominent people including journalists of Lucknow both in private newspapers as well as U. P. Government's Information Department has come to light, following an internal quarrel among the members of a communist sponsored foreign money backed Society of U. P."

कहने का तात्पर्य यह है कि आपका इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट भी इससे संबंधित है और यह किधर जा रहे हैं आप ? (लाला बत्ती होने पर) पांच मिनट मुझे और दे दें, इसीलिये मैंने नियम ५२ को भी छोड़ दिया.....

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा, पांच मिनट में आप खत्म कर दें ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

तो मैं जब राष्ट्रीय भावना पैदा करने की बात कहता हूं तो रिएक्शनरी कहलाता हूं । धर्म की बात कही जाती है । कभी पढ़ने का प्रयास नहीं किया गया । मैंने कभी धर्म की बात नहीं कही, हां, भारत की एक आत्मा का साक्षात्कार करने की बात जरूर मैंने कही क्योंकि तभी पुत्र माता को याद कर सकता है, लेकिन आप इतिहास उठाकर देख लीजिये । जितनी हत्यायें, जितने कत्ल डेमोक्रेसी के नाम पर और कम्युनिज्म के नाम पर हुये हैं उतने धर्म के नाम पर नहीं हुये होंगे । तो आप आक्रामक को क्या निकालेंगे जब आपके घर के अन्दर ही इस प्रकार के लोग घुसे हुये हैं ।

अब मैं आर्थिक स्थिति के बारे में दो मिनट कह दूं । आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ है, यह मैं मानता हूं । आप इस लड़ाई को पीपुल्स वार बनाने के लिये जनता के हृदय में साहस लाइये, उनके अन्दर यह विश्वास पैदा कीजिये कि यह लड़ाई उनके हित में है । उनके हृदय में यह विश्वास मत आने दीजिये कि यह आयें, या वह आयें तुम्हारे लिये दोनों बराबर हैं । इसलिये हमें आप चाहें भले ही जेलों में बन्द कर दें, मैं समझता हूं वहां भी मुझे बड़ा सुख मिलेगा क्योंकि आने वाला इतिहास बतलायेगा कि हमने गलत बात नहीं कही, हमने नहीं कहा था कि चाइना हमारा एनीमी नहीं है, हमने एक नेता की कल्पना नहीं दी और हमने वह नया राजनीतिक दर्शन बिलकुल नहीं दिया । आप कृषि के लिये क्या कर रहे हैं । प्लानिंग कमीशन ने कहा कि कृषि के उत्पादन में हम फेल कर गये हैं । किसान के पास साधन नहीं है । उस पर करों का भार है । उसको साधन देने के उपाय सरकार को सोचना चाहिए । उसको साधन दीजिये । आपके पास उसको साधन देने के लिये पैसे नहीं है । आप उसको साधन नहीं देते हैं उल्टा उससे वसूल करने को सोचते हैं । आपने २५, ३० प्रतिशत उसके ऊपर सर चार्ज भी बढ़ा दिया है । आप उस से तकावी वसूल करते हैं । फर्टीलाइजर का रुपया भी वसूल करते हैं । कोआपरेटिव ड्यूज भी आप उससे वसूल करते हैं । उससे मालगुजारी भी वसूल करते हैं । कर्जा भी उससे वसूल करते हैं । गर्ज कि उससे सारे कर्ज वसूल किये जाते हैं तो फिर उसके पास जितने साधन थे वह सब बन्द हो गये । आपके पास उनके लिये बाढ़ रोकने की कोई योजना नहीं है । आपके पास वाटर लागिंग को हटाने के लिये कोई योजना नहीं है । उनको साधन देने की भी कोई योजना आपके पास नहीं है । तो फिर वे किस तरह से उन्नति करें और किस तरह से देश का उत्पादन बढ़ाने में सरकार को सहयोग दें । अगर यहां के किसान को साधन नहीं दिये जायंगे तो वह आपका राष्ट्र स्वप्न रह जायगा और वह कभी भी मैटीरियलाइज नहीं होगा ।

उद्योग के बारे में हमारे मित्र ने कहा । मैं समझता था कि उद्योग को इस तरह से यहां पर डेवलप किया जायगा जिससे देश में उत्पादन बढ़े और जहां पर जिस तरफ भी कमी है दूसरी तरफ से पूरी की जा सके । मैं यह भी समझता था कि टेक्निकल आधार पर इस कमी को दूर करने का प्रयास किया जायगा जिससे हमारे उद्योग पनप सकें किन्तु उस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया है । यदि ऊपर से हमला होता है तो फिर किस तरह से यहां पर हम प्रबन्ध कर सकेंगे । हमको ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये था कि ऐसे स्थानों पर हम उद्योगों को पनपायें जहां पर किसी प्रकार से युद्ध का खतरा आने पर हमारा उद्योग बराबर बढ़ता रहे और आवश्यक सामग्री मिलती रहे । बस्ती जिले में मैं देखता हूं कि वहां पर यातायात का साधन कुछ भी उपलब्ध नहीं । वह बार्डर जिला है फिर भी वहां पर यातायात की सुविधा प्रदान नहीं की गई है । देहात में आप नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर यातायात के साधन प्राप्त नहीं है । यातायात के साधन इतने वहां पर करने चाहिये थे कि जिससे आवश्यकता पड़ने पर हम अपना काम चला सकें । इंडस्ट्री यदि हम ऐसे स्थानों पर लगायें जहां पर युद्ध का भय भी न हो

और यातायात के साधन अच्छी तरह से हों तो ऐसे समय में जब कि खतरा हो तो हम एक कोने से दूसरे कोने को सप्लाई कर सकते हैं। मगर इसके लिये कुछ नहीं किया गया है। जबानी बात से कोई लाभ देश का होने वाला नहीं है। हां, यह बात जरूर है कि सिनेमा हाउसेज बढ़े हैं। एयर कंडीशंड हाउसेज बढ़े हैं। स्लम बढ़े हैं। यह आपकी योजनाओं का प्रमाण है। आपकी योजनायें इस बात का प्रमाण हैं कि गरीब को आपने नीचा किया है। यह मैं वही बात कह रहा हूं जो हमारे अन्य सदस्यों ने कही है। पी० ए० सी० के लिये कुछ किया गया, लेकिन उद्योग के विषय में आपने क्या किया ? जितना भी इस तरफ देखा जाय उतना ही इस बात का सबूत मिलेगा कि सरकार ने उद्योग विभाग में कुछ नहीं किया। आप चाहे मुझको गद्दार कहें लेकिन में अपनी भावनाओं को सदन के समक्ष रख रहा हूं। इससे देश का भला होने का नहीं है। केवल पुलिस के सहारे ही सारा काम होने वाला नहीं। जब तक आप जनता के अन्दर इस तरह की भावना नहीं पैदा करते हैं कि जिससे लोग इसको पिपुल्स वार समझें तो यह काम नहीं चल सकता है। आज पुलिस के सहारे से यह कहा जाता है कि हमको जिले में ९ लाख जमा करना है तो वे उसी तरह से मैथड अख्तियार करते हैं। यह सब पुलिस के जरिये से हो रहा है उस्का बाजार, विनायकपुर और शोहरतगढ़ में जो नौगढ़ तहसील में पड़ते हैं उनके विषय में नियम ५२ के अन्दर मैंने प्रस्ताव दिया था लेकिन उसके विषय में भी पुलिस ने क्या कार्यवाही की यह मैं जानता हूं। मैं कचहरी में जाता हूं तो इन सब बातों को जानता हूं, वकील होने के नाते मुझे यह सब मालूम हो जाता है। मैं देखता हूं कि कचहरी में ५ रुपये की जगह १० रुपये आज वसूल किये जा रहे हैं और १० रुपये के स्थान पर २० रुपये लिये जा रहे हैं क्योंकि उसमें से आधा रुपया वार फंड के लिये दिया जायगा ताकि १० लाख रुपया पूरा हो सके। यह किस तरह से पीपुल्स वार हो सकता है जबकि इस तरह के तरीके अख्तियार किये जायंगे ? जब तक देश की जनता इसको अपना युद्ध नहीं मानेगी तब तक यह पीपुल्स वार नहीं हो सकता है। जब तक आप जनता से इस तरह से पैसा वसूल करेंगे तो यह पीपुल्स वार कदापि नहीं हो सकता है। आप हमको चाहे जितनी गाली दें उससे देश का या जनता का भला होने वाला नहीं है। इतने समय में मैं जो कहना चाहता था ठिकाने से न कह पाया लेकिन अब अधिक समय मेरे लिये नहीं इसलिये मैं अपना स्थान लेता हूं। (श्री श्रीपति मिश्र का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला चमोली)—

हमें भी थोड़ा समय मिलना चाहिये जो उत्तराखंड के प्रतिनिधि हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको भी क्रमानुसार समय मिलेगा।

*श्री श्रीपत मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के भाषण के बाद बहुत से भाषण हुये और इतना कहा गया कि मैं यही सोच रहा था कि इस पर और क्या कहा जा सकता है। तो मैंने इसका एक लेखा जोखा तैयार किया और देखा यह कि राज्यपाल का भाषण इमरजेंसी के समय में केवल २६४ लाइन का है और उस पर जो संशोधन हैं वह २६७ लाइन के हैं।

एक सदस्य—शब्द नहीं गिने ?

श्री श्रीपत मिश्र—

उसे आप के लिये छोड़ दिया है। मैंने यह भी जानने की कोशिश की कि अगर भाषण को संक्षिप्त कर दिया जाय तो २६४ लाइनों से घट कर २५० लाइन से कम नहीं किया जा सकता मगर जो संशोधन हैं उनमें एक ही बात कई तरह से कही गयी है और उसका प्रेसी बनाने से मुश्किल से २५, ३० लाइनें मिलेंगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीपत मिश्र]

इसका एक लेखा जोखा मैंने और बनाया तो हमारे दो प्रमुख नेता हैं। एक तो नेता सदन और दूसरे नेता विरोधी दल। हमने देखा कि नेता सदन उपस्थित नहीं हैं। कारण जानना चाहा तो पता चला कि सुरक्षा के सम्बन्ध में दौरा करते करते और रातों दिन आवश्यकता से अधिक काम करते करते बीमार पड़े हुये हैं और इसी वजह से वे सदन में उपस्थित नहीं हो सके। दूसरी तरफ हमारे विरोधी दल के नेता यों तो बहुत चिन्तित हैं क्योंकि कहते सुनते बहुत हैं लेकिन उन्हीं के मुंह से पता लगा कि वह कहीं शिकार पर गये हुये थे तो वहां उन्होंने सरकार की कुछ कमजोरियों को देखा। यह तो स्थिति है जिससे पता चलता है कि वे कितने चिन्तित हैं। हमसे कहा जाता है कि हमारी बात मानते नहीं हो और सुनते भी नहीं हो। मैं इस सम्बन्ध में अधिक न कह कर उनकी कुछ बातों को आपके सामने नमूने के लिये रखना चाहता हूं कि अगर इनकी बातें मान ली जातीं तो क्या होता, नहीं मानी गयीं तो बड़ी गनीमत हुई। जो प्रमुख नेता पार्टियों के हैं वे तीन हैं। डाक्टर लोहिया, श्री राजगोपालाचारी और पी० एस० पी० के पुराने नेता जयप्रकाश नारायण जी हैं। अब डाक्टर लोहिया जी के भाषणों का उदाहरण देता हूं। १३ दिन के अन्दर ३ भाषण हुये हैं लोहिया जी के जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। जब चीन ने सीज फायर डिक्लेयर किया तो कलकत्ते में डाक्टर लोहिया बोले कि यह जो सीज फायर किया है वह अच्छा है उसको हमको मान लेना चाहिये, यह अखबारों में निकला। ६ दिन बाद दिल्ली में बोले—जब चीन ने एक मियाद दी थी कि ३० दिसम्बर तक वह फौजें हटायेगा—कि ३० दिसम्बर तक हमें हमला कर देना चाहिये और अगर हम हमला नहीं कर देते हैं तो लोग हमको यह समझेंगे कि झुक गये। ६ दिन पूर्व कलकत्ते में तो कहा कि मान लेना चाहिये और ६ दिन बाद दिल्ली में बोले कि ३० तारीख तक हमला नहीं कर देते तो लोग समझेंगे कि झुक गये। तीसरा भाषण उनका हुआ जिसको अब सोशलिस्ट पार्टी वाले भी मानने लगे। वह यह है कि १५ अगस्त, सन् ४७ को जहां हम थे वहीं चले जायं तो बातचीत शुरू हो, तो इस १३ दिन के अन्दर....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—

आप उस पर विश्वास नहीं करते ?

श्री श्रीपत मिश्र—

हम आपकी बहुत सी बातों पर विश्वास नहीं करते। तो १३ दिन के अन्दर तीन भाषणों में.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब टाइम हो गया है। आप बाद में बोलियेगा।

अब हम उठते हैं और दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीश-शरण अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह विधान सभा की कार्यवाही ५ मिनट देर से शुरू करने का क्या कारण है ?

श्री आधष्ठाता—

इसका कारण काफी खेदपूर्ण है। इसको माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति और रुचि न लेना ही कहा जायगा।

श्री चन्द्रबली सिंह—

श्रीमन्, मैं तो कहूंगा कि विधान सभा की कार्यवाही बन्द कर दी जाय। मैं आपसे कहूंगा कि आप इस ओर कुछ कार्य करें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य से भी मैं यह कहूंगा कि शायद उनको नहीं मालूम कि कोरम नहीं था।

श्री श्रीपत मिश्र—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा था कि डाक्टर लोहिया ने १३ दिन में ३ स्पीचें दीं। उसके संबंध में खुद मैंने यह जाहिर किया कि आखिर उनकी कुछ जांच हुई होगी। आपको मालूम होगा कि उनकी राय सरकार भी मानती थी। परन्तु मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि जिस तरह की आपकी राय होती है, उससे तो आप स्वयं ही कुछ दिन में बदल जाते हैं, तो फिर दूसरे उसको किस तरह से मान सकते हैं। मैं नाम नहीं लेता परन्तु पी० एस० पी० और स्वतंत्र पार्टी के यहां माननीय सदन के सदस्य जिस नीति से प्रेरणा लेते हैं, वह कहां तक ठीक है, यह आप भी जानते होंगे। स्वतंत्र पार्टी के राजाजी जो कि देश के बहुत बड़े अगुआओं में से हैं उन्होंने भारतवर्ष की सीमाओं के बारे में बहुत बड़ी रोल प्ले किया है। मैं आपको उन घटनाओं की याद दिलाता हूं जिस समय कि हमारे देश का विभाजन हो रहा था। मेरी बात पर जरा स्वतंत्र पार्टी के सदस्य गौर करें। उस समय आपकी पार्टी के नेता का ही सबसे बड़ा हाथ था। जब कि १९४७ में क्रांति मची हुई थी और कांग्रेस पार्टी को छोड़ कर या जो लोग उस वक्त कांग्रेस पार्टी में थे, उनको छोड़ कर और बाकी सब लोग बैकग्राउन्ड में चले गए थे। मैं तो कहूंगा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान हासिल किया उनके लीडर भी बैकग्राउन्ड में हो गए थे। आपको शायद न याद हो कि उस समय एक साइकालोजिकल डिप्रेशन आ गया था। मैं आपको यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि उस वक्त स्वतंत्र पार्टी के नेता ने ही सबसे पहले यह बात कही थी कि पाकिस्तान दे दिया जाना चाहिए। आप गौर करें कि उनका यह उस समय का कथन बड़ा ही महत्वपूर्ण था इसलिये कि वह बातें उन्होंने साइकालोजिकल मोमेन्ट्स में ही कहीं थीं। वह आपके नेता का कथन यह जाहिर करता है कि उनमें मानसिक कमजोरी आ गई थी और अकर्मण्यता आ चुकी थी। उसके कारण हमको मजबूरी में इस प्रकार की विभाजित स्वतंत्रता को स्वीकार करना पड़ा था। तो बातें याद उनको नहीं रहती हैं, वरना इस तरह से कहने का साहस न करते। लोगों ने यह भी कहा कि वह जानते थे कि हमला होगा। मैं कहता हूं पी० एस० पी० के सदस्यों से जो जयप्रकाश नारायण जी से काफी प्रेरणा लेते हैं कि चीन के हमले के ८ दिन पहले का उनका भाषण कि जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन हमारे देश पर हमला नहीं कर सकता, और उसके ठीक आठ दिन बाद चीन का हमला हुआ, तो वह कौन सी राय दी थी जिससे कांग्रेस पार्टी या सरकारी पार्टी उनकी राय से प्रेरणा लेती? (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मुझे दो मिनट अधिक समय दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

यह संभव नहीं है कि आज किसी माननीय सदस्य को निर्धारित समय से अधिक दिया जाय।

श्री श्रीपत मिश्र—

तो आठ दिन पहले जब प्रशासन को अन्दाजा नहीं था तो फिर उनका यह कहना कि वह सब जानते थे और क्यों सरकारी पक्ष ने तैयारी नहीं की, यह कुछ बहुत मुनासिब सा नहीं लगता।

मैं राजा जी के बारे में कह रहा था, हिन्दी की पालिसी के बारे में कुछ संशोधन आया है। राजाजी उस समय हिन्दी के प्रचार के लिए प्रमुख थे और आज उनकी पार्टी के लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं और कहते हैं कि अंग्रेजी रहनी चाहिए। तो जिसके क्षण-क्षण पर विचार बदलते जाते हैं और जो क्षण-क्षण पर नयी बातें देश को सिखाने की बात करते हैं, वह यह कहें कि उनकी राय से काम नहीं हो रहा है और होना चाहिए तो यह मुनासिब सा नहीं लगता।

अन्त में, समय नहीं है, एक बात कह कर समाप्त करता हूं कि माननीय सदस्य जो विरोध कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि हम अपने को बड़ा खुशकिस्मत समझें कि यह लड़ाई उस समय

[श्री श्रीपत मिश्र]

प्रारम्भ हुई जब कांग्रेस के हाथ में शासन था और नेहरू जैसा नेता कर्णधार था, वरना इस तरह की जो १३ किस्म की बातें १३ दिन के अन्दर की जाती हैं, अगर ऐसे हाथों में बागडोर होती तो भगवान जानता है कि इस देश का क्या होता ।

श्री गंगाधर मैठाणी—

अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैंने एक संशोधन रखा था, वह पढ़ा हुआ मान लिया गया, उसी के समर्थन में मैं कुछ कहना चाहता हूं । दो दिन से भाषण चल रहे हैं और भिन्न-भिन्न विचार-धाराएं लोग प्रकट कर रहे हैं । विरोधी पक्ष के लोगों का कहना है और शासक दल भी समझता है कि सन ४७ के बाद से आज तक हमारी तिब्बत की सीमा पर जितनी परिस्थितियां आज तक गुजरी हैं, अब अवसर आ गया है कि उस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए । यह स्थिति कैसे आ गयी ? श्री जेड० ए० अहमद कह रहे थे कि "यदि खतरा है....." शायद उन्हें सन्देह है कि खतरा है । मैं उत्तरा खंड के चमोली जिले में रहता हूं और मेरे जिले मे बाराहोती पड़ता है । जिस समय चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया उस समय से उत्तराखंड और सीमांत के लोगों को एक संदेह हुआ और स्वाभाविक भी है कि हमको अपने देश की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए । हिमालय अब तक हमारा प्रहरी रहा । चीन का जो रवैया नेफा और लद्दाख में रहा है वह सबको विदित है । आपने देखा कि जब सन् ५४ में चाऊएन लाई भारत आये और यहां पर उन्होंने पंचशील पर दस्तखत किये, किन्तु जब वे चीन वापस गये तो उन्होंने वहां जाकर कहा कि बाराहोती उनका है । उस पर उन्होंने अपना क्लेम किया । हिमालय की कितनी महान् महिमा, है लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं वे समझते तक नहीं कि वह है क्या । मैं जब विद्यार्थी था, एक बार इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी में गया, वहां पर मैंने अंग्रेजी की लिखी हुई कई किताबें हिमालय की महिमा के बारे में देखीं । किन्तु आज हम देशवासियों में यह भावना नहीं है कि हिमालय की कितनी महत्ता है । अभी कुछ दिन पूर्व मैंने माननीय मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने नेफा में बनी सड़क का जिक्र किया था । लोगों को पता तक नहीं था कि लोग बोमडिला एक दूसरे मार्ग से भी आ जा सकते हैं । मैं एक बात कहूं । सन १९१९ में जब रशा में विप्लव हुआ यहां अंग्रेजों का शासन था । उस समय उन्होंने देखा कि कहीं हिमालय से आक्रमण न हो जाय । उन्होंने उस वक्त लखनऊ लासा रोड की योजना बनाई और ऋशिकेष से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की योजना बनाई । उसके लिये पिलर्स आदि अभी भी विद्यमान हैं । लेकिन अभी तक उस कार्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । सन् ५० में जब चीनी तिब्बत में घुस आये, उस वक्त भी इस रेल मार्ग की ओर ध्यान नहीं दिया गया । आज जो विपक्ष के लोग हैं वह इसलिये कहते हैं कि अब समय आ गया, है, अपनी सीमाओं की रक्षा के लिये आप उस ओर ध्यान दीजिये । आज नेफा और लद्दाख की जो स्थिति हुई, उसको देखते हुये यह जरूरी हो गया है आप इस पर विचार करें और अपनी सीमाओं की रक्षा करें । मैं उत्तराखंड की बात कहना चाहता हूं । सन् ६० में तीन जिले वहां बनाये गये । मेरे पास यह एक पुस्तिका है, उसमें डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी का एक व्याख्यान है जिसमें उन्होंने कहा है कि वहां का शासन एक अलग तरीके से होगा और उसका सारा प्रबन्ध मुख्य मंत्री के हाथ में रहेगा और उसके बाद वहां का कलेक्टर हेड आफ दि डिपार्टमेंट माना जायेगा । लेकिन आज हम देखते हैं कि ३ वर्ष हो गये, राज्यपाल महोदय ने यह कहा है कि यहां विकास का कार्य द्रूतगति पर है, पर मैं समझता हूं कि वहां पर विकास का कार्य द्रुतगति से नहीं हुआ है । वहां के विकास की ओर जितना ध्यान सरकार का जाना चाहिये था वह नहीं गया है । उत्तराखंड में जितनी घाटियां है वहां से तिब्बत जाने का मार्ग हो सकता है और प्राचीन में लोग जाते आते भी रहे हैं । एक सड़क ऋशिकेश से बाराहोती तक बन रही है । दूसरी सड़क रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक । सन ४६ से आज तक वह सड़कें पूरी नहीं हो पाईं । शान्तिप्रपन्न जी यहां नहीं हैं । वह बतलावें कि वहां कितनी बिजली पहुंचाई गई है ।

हमारे देश पर हमले बराबर हुए हैं लेकिन हमारा इतिहास बताता है कि किसी बाहर वाले ने हमारे ऊपर विजय प्राप्त नहीं की बल्कि यहां के निवासी हमारे ही लोगों ने बाहर वालों को यहां बसने के लिये प्रोत्साहन दिया। जैसा कि डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब कह रहे थे, हमारे भाइयों को संकटकालीन स्थिति में भी शुबहा है। सरकार को उन लोगों से सतर्क रहना चाहिये, जो देशों का अन्न और पानी लेते हैं किन्तु उनके विचार विदेशों से आते हैं। उत्तराखंड के शासन के लिये मैंने प्रस्ताव रखा था कि इस लड़ाई के लिये जनता का सहयोग प्राप्त करना चाहिये। ग्राम और जिला लेबिल पर भी सहयोग होना चाहिये। वहां जिला परिषद् नहीं बनाई गई और जिलाधीश को ही सब अधिकार दे दिये गये। वह कितना काम कर सकते हैं? वहां के कार्यकर्ताओं का भी शासन में हाथ होना चाहिये। वरना वहां की ग्रामीण समस्यायें हल नहीं हो सकतीं। वहां क्षेत्र समितियां नहीं बनाई गईं। एक अलग टाईप का ऐडमिनिट्रेशन बनाया गया जिससे लोगों का मनोबल अधिक नहीं बढ़ पाता है जितना उसे साथ मिलाने से मिल सकता है। हमारे मुख्य मंत्री जी चमोली में गये थे...

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं दो रोज से देख रहा हूं कि जो विवाद हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि जैसे यह सदन लोकसभा हो। फारेन पालिसी और नान-एलाइनमेंट, मैं समझता हूं, लोकसभा के विषय हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि जो व्याख्यान यहां दिये जा रहे हैं उनका कोई सम्बन्ध महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण से नहीं है। हमें इस अभिभाषण में यह देखना चाहिये था कि चूंकि हमारे प्रदेश का सब से अधिक उत्तरदायित्व है और इसमें संकट का सामना करने के लिये बातें हैं या नहीं। डिफेंस के लिये मुख्य चार बातें होती हैं जिन्हें हम ईक्वेशन आफ डिफेंस (सुरक्षा संतुलन) कह सकते हैं। पहली बात यह है कि अपने देश की सेना, स्थल, जल और वायु, मजबूत होनी चाहिये। सेना में इंजीनियर और डाक्टरों की, यानी टेक्निकल लोगों की आवश्यकता होती है। महामान्य राज्यपाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारी सरकार रक्षादल का संगठन कर रही है और डाक्टरों के लिये ३, ४ मेडिकल कालेजेज में २५ प्रतिशत सीट्स बढ़ाने जा रही है और मेरठ में, साथ ही एक नया मेडिकल कालेज खोलने की ओर भी संकेत है। प्राविधिक कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की ओर भी संकेत किया है। दूसरी बात डिफेंस के लिये टैक्निकल और इंडस्ट्रियल बैकग्राउन्ड मजबूत होना चाहिये। खुशी की बात है कि महामान्य राज्यपाल ने कहा है कि इंडस्ट्रियल कारपोरेशन ने नयी बातों के लिये सुझाव दिये हैं और बहुत से उद्योगों के लिये बड़े-बड़े लोगों को लाइसेंस दिये जा रहे हैं। लघु उद्योगों के लिये भी विशेष जोर देने की चर्चा की गई है। हमारे सिपाही जो बलिदान हुए हैं उनके लड़कों की पढ़ाई के लिये विशेष सुविधा देने की बात उन्होंने कही है। तीसरी मुख्य चीज यह है कि इकोनामी आफ दी कंट्री (देश की अर्थ व्यवस्था दृढ़ हो) वह साउन्ड होनी चाहिये। राज्यपाल महोदय के बुलैटिन में साफ़ तौर से दिखलाया गया है कि हमारे प्रदेश में कृषि प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जा रहा है। इसके लिये कई आर्डिनेंस सरकार ने लागू कर दिये हैं। कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज अमेंडमेंट बिल साफ साफ बतलाता है कि हमारी सरकार प्रोडक्शन की ओर जागरूक है। राज्यपाल ने यह भी संकेत किया है कि हम कृषि उत्पादन के लिये उर्बरक शक्तियों को भी बढ़ाना चाहते हैं। भूमि-संरक्षण की बात भी उसमें कही गई है। हमारी सरकार जोरों से तैयारी कर रही है।

कुछ लोगों ने कहा कि इस अभिभाषण में हरिजनों की बात नहीं है। शायद उन्होंने इसे ठीक से पढ़ा नहीं है। इसमें साफ है कि हरिजनों को जो सुविधायें दी जा रही हैं वे दी जावेंगी और हरिजन इंड्रस्ट्रियल एस्टेट को भी पूरा किया जायगा। मैं विरोधी दल के नेता से कहना चाहता हूं, शायद वह हमारी कंस्टीटुएंसी में शिकार खेलने भी गये थे। उन्होंने अपने भाषण के दौरान में कहा कि एक मंत्री के लिए दूध लाने के लिये पिपरी से रावर्ट्सगंज एक जीप भेजी

[श्री रामप्यारे]

गई थी। मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि यह बात सत्य से परे है, क्योंकि पिपरी के आस-पास गांवों से मनों दूध आता है। फिर भी स्थानीय कई डेरी फार्म हैं। यह बात तो वैसे ही लगती है जैसे कि यह अफवाह फैल गई थी कि कानपुर के कारखानों में राइफल्स की जगह चप्पलें बनती हैं। यह बिलकुल असम्भव है। कम से कम विरोधी दल के नेता तो यह असत्य बात नहीं कहनी चाहिए थी। यह सरकार की ठोस या रचनात्मक आलोचना नहीं हुई। हमें स्वस्थ आलोचना करनी चाहिये और डेफीनिट सुझाव देने चाहिये।

अभी भाषा की बात आई थी। अपने देश में पिछले २,५०० वर्ष से ऐसी एकता नहीं देखी गई थी जैसी कि अब आई है। हमें अपने इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिये। हमारे माननीय सदस्यगण भाषा पर जोर देकर कहते हैं कि हिन्दी में भाषण होना चाहिये। परन्तु अहिन्दी भाषा-भाषी की दिक्कतों को भी उनको समझना चाहिये। नेशनल इंटीग्रेशन की बात, जिस भावात्मक एकता की बात, हम इतने दिनों से नहीं कर सके थे वह आज हो गई। उसमें दरार पैदा करना ठीक नहीं है। चौथी बात स्प्रीट आफ यूनिटी आफ दी पीपुल है इसमें भी हमारी सरकार पीछे नहीं है। यह महत्त्व की बात है कि १८ जुलाई, सन् १९६२ से ही हमारी क्षेत्र समितियां काम करने लगी हैं। मैं ब्लाक की समितियों में जाता हूं। जो बहुत पिछड़ी हुई जनता थी आज उसमें पोलिटिकल विजीलेन्स आ गई है और मास एजुकेशन उनके द्वारा किया गया है और बराबर तैयारी हो रही है।

आज उनकी भावना देश की रक्षा के लिये बढ़ती जा रही है। देश की रक्षा केवल इससे नहीं तो सकती कि ४४ करोड़ आदमियों को बंदूकें दे दी जायं और वे उनको लेकर मार्च करें। सबसे बड़ी चीज इच्छा शक्ति होती है। जिस देश के नागरिक हारना नहीं चाहते उस देश के नागरिक कभी हार नहीं सकते। आज अपनी सरकार की विकेंद्रीकरण की योजना बढ़ती जा रही है, इससे लोगों में उत्साह बढ़ रहा है, उनमें अनुशासन आ रहा है, उनमें स्वेच्छा से बलिदान हो जाने की भावना आ रही है, इससे देश की शक्ति बढ़ती है, सुरक्षा की नींव मजबूत होती है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बहस में हिस्सा लेने का मुझे मौका दिया। श्रीमन्, हमारे सदन के इतिहास में और संसदीय इतिहास में १९६३ की फरवरी की चार तारीख सदा अमर रहेगी। उस तारीख को हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल संबोधन करने के लिये आये और उनके साथ हिन्दी का सहारा लेकर यह व्यवहार किया गया जो संसदीय इतिहास में भुलाया नहीं जा सकता। मैं उन साथी और माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने महामान्य राज्यपाल को संबोधन नहीं करने दिया तो क्या उनके इस व्यवहार से हिन्दी बढ़ेगी, यह सदन इस बात का निर्णय करेगा। इसके बाद महामान्य राज्यपाल ने जो इस सदन और सदन के सदस्यों की इज्जत रखी, उसको भी नहीं भुलाया जा सकता है। जब वे सदन में आये तो उन्होंने इस बात की क्षमा याचना सदन से की कि वे हिन्दी में भाषण नहीं कर सकते और उन्होंने आशा प्रकट की कि उनको अंग्रेजी में भाषण करने दिया जायगा। लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने अपने हैड आफ दि स्टेट की बात को ठुकरा दिया। राज्यपाल महोदय ने प्रजातंत्र की रक्षा करते हुए, सदन की इच्छा की पूर्ति की और अनकांस्टीट्यूशनली, अनडेमोक्रेटिक तरीके पर चेयरमैन से भाषण को पढ़वा दिया। यह उनकी महानता, सौजन्यता और सहनशीलता थी, उन्होंने सदन की इज्जत को रखने के लिये अपने आपको अपने अधिकार से भी वंचित कर दिया। जब गवर्नर महोदय ने इस सदन को बुलाया था तो राज्यपाल को पूरा अधिकार था कि जिस भाषा में चाहते बोलते, वे अंग्रेजी में भी संबोधन कर सकते थे लेकिन उन्हें अपनी पावर को डेलीगेट करके दूसरे से संबोधन नहीं कराना चाहिये था। हम उस दिन को भूल गये जब इसी हाउस में श्री प्राइस बराबर अंग्रेजी में भाषण करते रहे और उनको किसी ने नहीं रोका किन्तु एक हैड

आफ दि स्टेट को भाषण नहीं करने दिया गया। यह कोई अच्छी परिपाटी कायम नहीं की गयी । जब तक यह सदन रहेगा तब तक यह सदन और इसके माननीय सदस्य महामान्य राज्यपाल जी के प्रति उनके त्याग और महानता के लिये कृतज्ञ और आभारी रहेंगे ।

श्रीमन्, महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में संकट का जिक्र किया । इस देश को जो खतरा हुआ और खासकर समाजवाद को जो खतरा हुआ वह चीनी आक्रमण के फलस्वरूप हुआ और मैं बड़ी चिन्ता से सोचता हूं कि चीनियों के हमले ने भारत में समाजवाद की जड़ खोद दी और जो कुछ आशा बची थी वह समाजवादी और प्रसोपा के विलयन के असफल होने से समाप्त हो गई । तो जितनी सोशलिस्ट विचाराधारायें थीं केवल उन्हीं पर चोट नहीं पड़ी, बल्कि हम लोग तो यह सोचते थे जब सोशलिस्ट पार्टी व पी०एस०पी० के मर्जर की बात आयी कि एक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनेगी क्योंकि कांग्रेस में भी बहुत से लोग समाजवाद के हामी हैं और ईमानदारी से समाजवाद चाहते हैं, हमारे उपनेता सदन ने तो इसका बड़ा स्वागत किया, सब की एक भावना थी कि एक संयुक्त समाजवादी पार्टी बनेगी लेकिन मर्जर वाली वार्ता असफल हुई और वह समाप्त हो गयी ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—
अभी समाप्त कहां हुई ? यहां तो है।

श्री अधिष्ठाता—
यह अपने-अपने विचार की बात है ।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—
इसमें अपने-अपने विचार की क्या बात है ?

श्री अधिष्ठाता—
आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री नेकराम शर्मा—
अगर मर्जर की वार्ता सफल होती तो मुझे बड़ी खुशी होती । मैंने तो इसकी बड़ी शुभ-कामना की थी और मैंने यह आश्वासन भी दिया था कि अगर संयुक्त समाजवादी दल आगे बढ़ा तो निर्दलीय दल के लोग भी उनकी सहायता करने की बात सोचेंगे । लेकिन वह वार्ता सफल नहीं हो सकी। इस तरह से एक चोट तो समाजवादी पार्टियों ने दी, दूसरी चोट चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण करके दी और तीसरी चोट इस तरह से हिन्दी का जो प्रचार करने वाले हैं उन्होंने दी। मैं ईमानदारी से महसूस करता हूं कि जब चीन ने हमारे देश पर हमला किया है तो ये सारी समाजवादी शक्तियां एक होकर नेहरू जी का साथ देतीं क्योंकि नेहरू जी समाजवाद के प्रतीक हैं। लेकिन जितनी राइटिस्ट शक्तियां हैं वे सब इकट्ठी हो गयीं और उन्होंने नेहरू जी के नेतृत्व को ही समाप्त करने की बात सोचनी शुरू कर दी । सबसे पहले उन्होंने श्री कृष्णा मेनन को निकाला और उसके बाद नेहरू जी के विरुद्ध भी षणयंत्र की बातें करनी शुरू कर दीं। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने जो सोशलिस्ट विचार धारा को मानती है, यह सोचा कि चीन ने इस देश पर हमला करके समाजवाद का बड़ा नुकसान किया है और अगर कहीं नेहरू सरकार ही समाप्त हो गयी तो राइटिस्ट शक्तियों की कांस्पिरेंसी सफल हो जायेगी और फिर भारत से समाजवाद ही समाप्त हो जायगा । कम्युनिस्ट पार्टी ने कोई जेल जाने के डर से नेहरू पालिसी का समर्थन नहीं किया, मैं समझता हूं कि उन्होंने इसलिये समर्थन किया कि सोशलिज्म को जिन्दा रखें। और यहां सोशलिज्म तभी जिन्दा रह सकेगा जब कि नेहरू जी का नेतृत्व कांग्रेस में रहेगा। क्योंकि कांग्रेस में भी बहुत से रिएक्शनरी विचारधारा के लोग घुस गये हैं और यही कारण है कि गुप्ता जी को यहां से भाग कर दिल्ली जाना पड़ा और एम०पीज० के बीच भाषण करना पड़ा कि नेहरू जी के खिलाफ कोई आन्दोलन न चलाओ। वे रिएक्शनरी शक्तियां आज कम्बाइंड होकर नेहरू जी के खिलाफ कांस्पिरेसी करके उनको हटा के मंसूबे बांध रही है। कम्युनिस्ट पार्टी में श्री जेड०ए० अहमद, श्री झारखंडेराय जी

[श्री नेकराम शर्मा]

जैसे सदस्य हैं जो जेल जाने से नहीं डर सकते हैं। मेरा तो अब ऐसा विश्वास है कि हिन्दुस्तान में समाजवाद नहीं आ सकता है। इसके दो कारण हैं। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, मुझे कुछ अधिक समय दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आप साधरण सदस्य की हैसियत से बोल रहे हैं ?

श्री नेकराम शर्मा—

मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

अगर आपस में तय करके आप लोग बता दिये होते तो ठीक होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इसलिये मैंने आपको १० मिनट दिया है, मैं आपको ५ मिनट और देता हूं।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं पार्टी के नेता की हैसियत से बोल रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

अब यह संभव नहीं है, आप ५ मिनट और बोलें।

श्री नेकराम शर्मा—

मुझे अपनी बात समाप्त करने में बड़ी दिक्कत होगी। श्रीमन्, मैं अपनी पार्टी की तरफ से २० मिनट का समय चाहता हूं।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

श्रीमन्, इस सदन में परसों से यह बात चल रही है कि सदस्य १० मिनट और नेता २० मिनट बोलें, लेकिन इस वचन का पालन लगातार ३ दिन से नहीं हो रहा है तो जब विधानसभा में ही वचन का पालन नहीं होगा तो फिर यहां की क्रिया कैसे चलेगी ?

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अगर आप नियम पढ़ें तो अध्यक्ष को अधिकार है कि वह आवश्यकता और औचित्य देखकर समय कुछ अधिक या कम दे सकता है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

किसी अधिकार का बार-बार इस तरह से प्रयोग होने पर सदन का चलना कठिन है।

श्री नेकराम शर्मा—

जैसा कि माननीय जेड०ए० अहमद साहब ने कहा कि आजकल हमारी विचारधारा २ केम्प्स में बटी हुई है—एक तो राइटिस्ट्स है और दूसरे लेफ्टिस्ट्स। अब राइटिस्ट्स बढ़ रहे हैं और लेफिटस्ट्स की कोई यूनिटी नहीं हो पाती है। अब जो सोशलिस्ट विचारधारा के लोग थे उनकी संख्या कम हो रही है और जनसंघ और स्वतंत्र दल आगे बढ़ रहे हैं। मेरा विचार है कि आगे इस देश में कांग्रेस, जनसंघ और कम्युनिस्ट दल ही रह सकेंगे, यही दल रहेंगे और कम्युनिस्ट दल भी अब यहां सफल न हो सकेगा। आगे मालूम होता है कि सीधी टक्कर जनसंघ और कांग्रेस में होगी, मैं ज्योतिषी तो नहीं लेकिन ऐसा मालूम होता है। ऐसी स्थिति में.....।

एक सदस्य—

आप फिर कहां जायेंगे ? (हंसी)

श्री नेकराम शर्मा—

हमारे एक माननीय सदस्य ने मेरे सामने एक प्रश्न उठा दिया है। मैं उनको बता दूं कि मैं बचपन से कांग्रेसी रहा हूं और मरूंगा भी कांग्रेसी झंडे के नीचे ही, मरते वक्त तक कांग्रेसी रहूंगा और आज भी हूं, मैं आप को यकीन दिलाता हूं, कि राजनीति से हट जाऊंगा,

देश छोड़ दूंगा लेकिन मैं कभी भी फासिस्ट, रिएक्शनरी और राइटिस्ट कैम्प में नहीं जाऊंगा। हमारे साथी आज कांग्रेस में हैं, हमारा उनसे भले ही मतभेद हो, हम जेल गये हैं, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है और वक्त आयेगा तो यह जिन्दगी फिर देश के काम आ सकती है, हम देश की रक्षा कर सकते हैं, नेहरू ही देश की रक्षा कर सकते हैं, ये रिएक्शनरी नहीं कर सकते।

अब मैं इस विषय को छोड़ता हूं। समय कम रह गया है। अब मैं दो एक बातें माननीय ठाकुर साहब से कहूंगा। मिनिस्ट्री के आकार की बात की गई। लोग यह कहते हैं कि मिनिस्ट्री का साइज कम हो, खर्च ज्यादा है और वह कम करना चाहिये। मैं इस पहलू पर नहीं जाता। श्रीमन्, मेरी दलील यह है कि मुख्य मंत्री जी, जो बड़े सोशलिस्ट हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, उन्होंने सदन में कहा था शायद वह अपने वचन को पूरा करते भी हैं कि हमको पेट बांधना चाहिये और कुर्बानी करनी चाहिये। तो उनको मिनिस्ट्री इसलिये कम करनी चाहिये ताकि जनता के सामने एक उदाहरण पेश हो सके। इसलिये नहीं कि कम या ज्यादा खर्च होता है। जनता के समक्ष उदाहरण....

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, मैंने कहा था मुझे २० मिनट का समय दिया जाय वरना मेरा भाषण अधूरा रह जायगा।

श्री अधिष्ठाता--

आप बार-बार ऐसा आग्रह करते हैं जिसको पूरा न किया जा सके।

श्री नेकराम शर्मा--

तो मुख्य मंत्री जी को जनता के सामने उदाहरण ऐसा रखना चाहिये कि हम तुमसे टैक्स ले रहे हैं तो उसका अपव्यय नहीं होने देंगे और खर्च कम से कम करेंगे। आज कैरों का नाम क्यों है? उन्होंने आदेश दे रखा है कि कोई मंत्री २ मील तक कार पर नहीं जायगा, साइकिल पर चले, मिनिस्ट्री कम कर दी है तो उनका यश हुआ। अतः जनता में मनोबल ऊंचा उठाने के लिये और संतोष प्राप्त कराने के लिये मिनिस्ट्री के साइज को कम करना अतिआवश्यक है और मेरी सूचना है माननीय बनारसी दास जी ने प्रयत्न किया कि कुछ व्यक्ति ऐसे मिल जायं जो कार ले लें और कोठी ले लें और तनख्वाह फोरगो कर दें तो माननीया सुचेता कृपालानी तथा माननीय कमला पति त्रिपाठी जी ने कहा टैक्सेशन करना है तो मंत्रिपरिषद् घटाओ, विचित्र भाई ने इस्तीफा दिया। मैं नवल किशोर जी से कहता हूं जो जेल गये हैं, अगर गुप्ता जी नहीं कम कर पाते तो आप लोग इस्तीफा दें और भी मंत्री इस्तीफा देंगे। मिनिस्ट्री का साइज कम करेंगे तो जनता का मनोबल बढ़ेगा।

कल माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा मनोबल कम किया विरोधी दलों ने और डिफेंस को शक्तिशाली बनाने के लिये कोई सुझाव नहीं दिया। मोरेल को सबोटाज किसने किया? माननीय द्वारिका प्रसाद पांडेय जी ने सूचना दी दिल्ली से लौट कर आये हैं कि कांग्रेस एम०पी० के यहां ट्रांसमीटर पकड़ा गया वह खबर भेजते थे। मंत्रियों की तरफ से खबरें फैलीं कि हमारे जनरल कहते हैं हम मैदान में लड़ सकते हैं पहाड़ में नहीं। आपके सूचना विभाग की तरफ से प्रेस नोट निकला पूर्वी अंचल में भयंकर अकाल पड़ा है जो पीकिंग रेडियो से ब्राडकास्ट हुआ। तो आपके यहां कुछ पंचमांगी हैं जो रूमर फैलाते हैं, उनकी जांच की जाय। सूचना विभाग से जो प्रेस नोट निकलते हैं उनकी जांच की जाय। पंचमांगी आपकी सर्विसेज में है। आसाम में डिप्टी कमिश्नर छोड़ कर भाग गया। जेल खोल कर प्रदेश की पी०डब्लू०डी० मिनिस्ट्री ने जो निकम्मेपन का काम किया सीमांत जिलों में उसकी मिसाल दूं कि ब्रिगेडियर ने कहा कि सड़क तैयार हो। हमारे खच्चर सीमा पर जाते हैं जिनपर बड़ा डेलीकेट मशीनें हैं। अगर खच्चर का पैर टूट गया तो बड़ी नुकसान हो जायगा मशीनों का, ऐक्जीक्यूटिव इंजीनियर रमी खेल रहे थे, मुख्य मंत्री जी ने जांच की उस पर नाराज हुए लेकिन साथ ही

[श्री नेकराम शर्मा]

उनका प्रोमोशन हो गया। पी०डब्लू०डी० मंत्री कभी सदन में नहीं आते, कमरा खाली पड़ा रहता है, सभी मंत्रियों को ठीक समय पर आना चाहिये जिस प्रकार कर्मचारी आते हैं तभी तो उन कामनोबल बढ़ेगा।

श्री श्याम लाल (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, हमारी रिपब्लिक पार्टी को केवल दस मिनट मिले हैं जबकि छोटे-छोटे दलों को ५०-५० मिनट मिले है। हम लोगों को कम से कम २० मिनट और दें। हम यहां कसरत करने नहीं आये हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अभी साढ़े ५ बजे तक का समय है। मैं इस बात की व्यवस्था करूंगा कि कुछ समय आप की पार्टी को मिले।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

अधिष्ठाता महोदय, जनतंत्रीय पद्धति में विरोधी दलों का स्वरूप दर्पण की भांति होता है। आंख अपने आपको खुद नहीं देख सकती लेकिन दर्पण के द्वारा वह अपने स्वरूप को पहचान सकती है। मैं कुछ ऐसा अनुभव कर रहा हूं और कुछ सरकारी पक्ष के माननीय नये सदस्यों के साथ भी और कुछ पुराने सदस्यों के साथ भी एक ऐसी विचित्र सी बात दिखायी पड़ती है कि वे यह समझते हैं कि हम जिन नीतियों का पालन कर रहे हैं वह बिलकुल ठीक हैं और जो विरोधियों की तरफ से बातें आती हैं वे केवल बदनाम करने की नीयत से होती हैं। ऐसी बात कहने का और विचार करने का औचित्य इस समय पैदा नहीं होता। हमें एक दूसरे को समझने का प्रयास करना चाहिये। सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष, दोनों ही जनहित चाहते हैं। विचार भेद हो सकता है, आप किसी मार्ग से चलते हैं दूसरा किसी मार्ग से चलता है, लेकिन दोनों की मंजिल और उद्देश्य एक हैं। हम एक दूसरे की बात समझें और जनहित को दृष्टि में रखकर निर्णय करें।

चीन के आक्रमण के बारे में बहुत कुछ चर्चा हुई। मुझे ऐसा लगा कि अभी तक हमारा दिमाग न चीन के आक्रमण की बात को समझ सका है, न उसकी नीयत को समझ सका है। कुछ लोग कहते हैं कि चीन ने आक्रमण इसलिये किया कि तटस्थता की यह नीति को भंग करना चाहता है। कभी कहा जाता है कि हम समाजवादी ढंग से विकास पथ पर अग्रसर हो रहे थे, वह इसे देखना नहीं चाहता है। भिन्न-भिन्न दलीलें दी जाती है और जब बड़े-बड़े जिम्मेदार आदमियों की तरफ से ये दलीलें आती हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि अभी आप चीन के स्पष्ट इरादे को समझ नहीं पाये और जब तक स्पष्ट इरादे को समझ नहीं पायेंगे तब तक न हम मुकाबला कर सकेंगे और न हम जनता में मनोबल को पैदा कर सकेंगे। मैं जहाँ तक समझता हूं चीन का एक उद्देश्य है कि हिन्दुस्तान में चीन की कठपुतली सरकार कायम करना। चीन इस इरादे पर पहले से दृढ़ था, आज भी है और उस समय तक दृढ़ रहेगा जबतक उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता चाहे वह बातें करता रहे, शान्ति की चर्चा करता रहे और पीछे भी हटता रहे या आगे बढ़ता रहे। अपने इस इरादे को पूरा करने के लिये वह हर मुमकिन तरीका अख्तियार करेगा। जिन्होंने माओत्से तुंग की वार स्ट्रेटेजी पढ़ी है, उसका जिक्र यहां पहले भी आ चुका है, उसमें हटना भी लिखा है और वह इसलिये जरूरी होता है कि जिसपर एकदम चोट दी जाती है उसमें प्रतिहिंसा की भावना जागृत होती है। उसको शान्त करना आवश्यक होता है, भुलावे में डालना जरूरी होता है। अगर चीन हट गया, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हमें यह समझ लेना चाहिये कि चीन तो समाप्त हो जायगा या अपनी बात को पूरा करेगा और उससे बात करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि हम उससे बात करते हैं जो बात करते समय हमपर आक्रमण भी कर देता है। दूसरी बात यह देखने की है कि हमारा शत्रु कौन है और मित्र कौन है। जब तक शत्रु और मित्र का भेद नहीं होगा तब तक ठीक कार्य नहीं होगा। यह बड़ी स्पष्ट बात है।

इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है । जिन लोगों की विदेशों में आस्था है, जिनका मार्ग प्रदर्शन बाहर से होता है, उनसे देश की सुरक्षा नहीं हो सकती । अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये ये 'लोग जय नेहरू' भी लगा सकते हैं, कांग्रेस के तलवे भी चाट सकते हैं और जब वक्त आयगा तो ये लोग गला भी काट सकते हैं क्योंकि इनके सामने तो एक लक्ष्य है, किसी न किसी तरह उसकी पूर्ति होनी चाहिये । इसलिये यह समझने की जरूरत है कि शत्रु कौन है और मित्र कौन है । वे लोग कांग्रेस में भी घुसेंगे और अपना कार्य उस तरह से करेंगे जिस तरह से चीन ने हिन्दुस्तान में अपने एजेंट्स पैदा करके सेला और बोमदिला का पतन करा दिया । इस तरह के लोग आजकल कांग्रेस में मौजूद हैं और ऊंचे-ऊंचे पदों पर हैं । मैं कहना चाहता हूं कि हमें समझने की जरूरत है कि कहां कहां हमारी कमजोरी है। इससे मनोबल गिरता नहीं है बल्कि सुरक्षा दृढ़ होती है और देश बचता है ।

इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हम केवल शक्ति के आधार पर ही चीन का मुकाबला कर सकते हैं । जहां तक फेंस पोटेंशियस की बात आती है, उसमें इन्ड्रस्टीज और उत्पादन की बात आती है , वह तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जब तक देश के पास ३०–४० लाख सशस्त्र सेना नहीं होती है तब तक हम खतरे में रहेंगे । यह केन्द्र का विषय है । लेकिन प्रदेश को इसके लिये प्रयास करना चाहिये । मैं देख रहा हूं कि अब तक जो प्रयास हुए हैं वे अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं । जो पी० आर० डी० और कम्यूनिटी डेंवलमेंट का विलियन किया गया है वह अच्छा नहीं हुआ । चाहे उसके बारे में आप कुछ भी कहते रहें लेकिन आपको भी अनुभव है कि इसमें शिथिलता रही है और वह बराबर बनी रहेगी । हमको तो मजबूत लाइन आफ डिफेंस की जरूरत है । इसका अलग से प्रबन्ध होना चाहिये । त्रिसूत्री प्रोग्राम देखने में अच्छा लग सकता है । उत्पादन बढ़ायें, शिक्षा का काम करें और सेना का भी काम करें, देखने में यह बात अच्छी लग सकती है लेकिन ऐसा करने से वास्तविक लाभ होगा नहीं ।

हम जो योजनायें बनायें वह व्यवहारिक हों और देखें कि उनसे कितना लाभ हो सकता है । इसमें न किसी की आलोचना से भयभीत होने की आवश्यकता है और न किसी पर दोषारोपण की आवश्यकता है बल्कि वस्तुस्थिति को समझने की आवश्यकता है । विधान सभा में कुछ बातें कहकर, ताने कसकर, हथेली पिटवा सकते हैं, पब्लीसिटी कर सकते हैं, लेकिन इससे देश का हित नहीं हो सकता । जरूरत इस बात की है कि हम एक दूसरे की बात को समझें । हर एक दिमाग हर बात को नहीं सोच सकता । जब हम यहां आते हैं तो एक दूसरे की बात को समझना चाहिये । जहां तक मनोबल का प्रश्न पैदा होता है वह सरकारी नीतियों से पैदा होता है । अगर सरकार की नीति गलत हो जाती है तो कितने ही भाषणों के अभियान क्यों न करें लेकिन वह गिर जाया करता है । जरूरत इस बात की है कि हम ऐसी नीति निर्धारित करें जिससे जनता को हमारी नीतियां गलत न दिखाई पड़ें । (लाल बत्ती होने पर) मुझे ५ मिनट और दे दिये जांय ।

श्री अधिष्ठाता—

यह सम्भव नहीं हो सकेगा ।

श्री बसन्तसिंह–

दो मिनट और दे दीजिये । गलत नीतियों से मनोबल गिर जाता है । सुरक्षा कोष का जिक्र आया । हो सकता है कि बहुत से क्षेत्रों में कोई जबर्दस्ती नहीं की गई हो, लेकिन बहुत से क्षेत्रों में की गई है । मेरे ही जिले में सब जगह से चन्दा आसानी से वसूल हो गया लेकिन एक तहसील में जबर्दस्ती की गई । अगर कहीं से ऐसी शिकायत आये तो आपको उसे दूर करना चाहिये ।

आज भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। जितना रुपया हम देते हैं वह काम में नहीं आता है । किसानों की ही बात नहीं दूसरे लोगों की भी बात है । दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते आदमी परेशान हो जाते हैं । जब तक रिश्वत नहीं देते हैं तब तक जायज रुपया भी नहीं मिल पाता है जब रिश्वत दे दी जाती है तो बिना काम के रुपया मिल जाता है । मैं तो समझता हूं कि मंत्री-

[श्री बसन्तसिंह]

गण जो दौरा करते हैं वहाँ वे अपनी योग्यता इससे निर्धारित करें कि प्रतिमास दस करप्शन के केसेज् पकड़ेंगे और फिर उन्हें छूटने नहीं देंगे। प्रत्येक एम० एल० ए० भी यह चीज पैदा करे।

एन० सी० सी० की ट्रेनिंग का जहां तक प्रश्न है, उसके संबंध में भी जो नीति है वह बदलनी चाहिए। नवीं कक्षा से ऊपर प्रत्येक विद्यार्थी को ट्रेनिंग दी जाय। जहां तक वर्दी का प्रश्न है, वर्दी के लालच से विद्यार्थी को नहीं लाना चाहिए। वर्दी वह स्वयं बनवा सकता है। इससे बहुत बचत हो जायेगी। अतिरिक्त समय में ट्रेनिंग देने का कोई औचित्य नहीं। इसे पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाय। सैनिक शिक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी संपूर्ण परीक्षा में अनुत्तीर्ण माना जाय। मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय को अपने अभिभाषण में सुरक्षा प्रयत्नों को और दृढ़ करने, प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने और मंत्रिमंडल को कम करने की बात को जरूर कहना चाहिए था। मंत्रिमंडल को कम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे शासनिक क्षमता बढ़ेगी, मंत्रीगण जो दौरा करते हैं उससे प्रशासनिक क्षमता में गड़बड़ी पैदा होती है। मंत्रिमंडल में जो गुटबन्दी है वह सभी जानते हैं। ऐसा करने से गुटबन्दी के फलस्वरूप उत्पन्न भ्रष्टाचार का अन्त हो जायेगा।

श्री अधिष्ठाता—

मैं एक बात साफ कर दूं। समय बहुत कम है, बोलने वाले अधिक हैं इसलिए यह संयम करना पड़ेगा कि कुछ लोगों को बोलने से रुकना पड़ेगा। कटौती स्वभाविक है कि कांग्रेस पक्ष की होगी।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले, मैंने जो संशोधन दिया है मैं चाहता हूं कि उसको आज इस समय पढ़ा हुआ माना जाय,। दूसरे ४ तारीख की घटना के सिलसिले में लगातार आलोचनायें आई हैं और वह घटना इस कारण हुई कि विधान सभा प्रक्रिया नियमावली की जो मर्यादा २८१ है उसके अनुसार इस सभा की भाषा हिंदी और लिपि नागरी है। इसलिए जरूरी है कि इस प्रदेश का जो सबसे बड़ा प्रशासक है उसकी तरफ से यह अनुशासन न टूटने पाये। राज्यपाल प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासक हैं। जो अनुशासनहीन होगा वही चाहेगा कि यह अनुशासन टूटे। मैं अनुशासन प्रिय हूं और प्रदेश के सब से बड़े प्रशासक को अनुशासन न तोड़ने दूंगा। इसलिए मैंने इस अनुशासन की रक्षा हेतु उड़िया उड़िया की पुकार मचाई। जहां तक राज्यपाल महोदय इस मर्यादा की रक्षा के लिये स्वयं न बोले, और हिन्दी में, आप भाषण कराये इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक कमी रह गयी। वह यह कि इस मर्यादा की रक्षा में सीता का बनवास हो गया। उड़िया का बनवास हो गया। उड़िया बनाम अंग्रेजी की हमारी पुकार थी, उड़िया बनाम हिन्दी की हमारी पुकार नहीं थी। अभी तक इस संबंध में भाषण करने वालों ने बिलकुल गलत बयानी की और हिन्दी हिन्दी की आलोचना की। दुनिया की सभ्यता है, सारी दुनिया में रिवाज है कि जहां जाया जाय, आती हो तो वहां की भाषा में अपनी बात रखी जाय, न आती हो तो अपनी भाषा में अपनी बात रखी जाय। सभ्यता की दृष्टि से, अनुशासन की दृष्टि से जरूरी था अभिभाषण के दिन का वह काम करना। वह बहुत अच्छा काम हुआ। जैसा कि बहुत लोगों ने सदन में कहा कि यह ऐतिहासिक घटना घटी। अभी तक विधान सभा में कानून को तोड़ कर यह गलत काम—अंग्रेजी में अभिभाषण—होता आया था। अब सही मानों में कानून की रक्षा हुई। जहां तक भाषा का सवाल है वे लोग विरोध कर रहे हैं जिनकी दो जबानें हैं। पचास वर्ष के अपने हरवाहे को नरायना कहेंगे और पांच वर्ष के अपने बच्चे को नारायण कहेंगे या नारायण कुमार कहेंगे। जिनकी इस किस्म की दो जुबान हैं वह इस तरह से इसका अच्छे एवं ऐतिहासिक काम का विरोध करते हैं, और इसका बुरा मानते हैं। और यह इसलिये बुरा मानते हैं कि आज जो राज है वह ५०—६० लाख ऊंची जाति वालों का राज है, जो अंग्रेजी अभिमुख हैं, जिनकी आमदनी १ हजार से अधिक है, जो गले में लंगोट बांधते हैं, जो खड़े होकर पेशाब करते हैं,

जो अंग्रेजों की औलाद हैं, वे ही इसका विरोध करते हैं आम जनता नहीं । दक्षिण का कोई विरोध नहीं करता । सदन में कहा गया कि इसी कारण दक्षिण में तुम्हारे नेता पर ढेले पड़े । मैं समझता हूं अगर यही कहते हैं आप, तो गाधी जी की जो हत्या हुई वह क्यों हुई? ईसामसीह को कीलें क्यों ठोंकी गई ? गैलीलियों को जलाया क्यों गया ? सच काम करने वाले, क्रान्तिकारी कदम उठाने वाले, और सत्य की प्रतिष्ठा करने वाले के ऊपर आप जैसे अन्यायी लोग ढेले मारते हैं । सच बात, अच्छी बात बराबर प्रतिक्रियावदियों को बुरी लगी है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, भाइयों, कहने पर लोग हंसी उड़ा रहे हैं । ठीक है, भाई तो आप हैं ही....

एक सदस्य—

यहां भाइयो और बहनो का क्या सवाल है, आप अधिष्ठाता महोदय कहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

आप सीधे कोई प्रश्न न करें, मुझसे बात करें ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहां तक हिन्दी का सवाल है, हिन्दी की बदनामी इस काम से नहीं होगी । हिन्दी की बदनामी तो यह सरकार कर रही है ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका आधा समय समाप्त हो गया ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

आपने नेता नाम से बीस-तीस मिनट और सदस्यों को समय दिया । हम नहीं समझ पाते हैं कि हम नेता कैसे नहीं हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप तो अनुशासन पालने वाले हैं ?

श्री चन्द्रबलीसिंह—

ठीक है जैसा आप कहेंगे वैसा ही कहूंगा । लेकिन आप उनको नेता मान लेते हैं, हमको कहते हैं कि हम नेता नहीं हैं, हम पता नहीं कैसे नेता नहीं हैं, नेता तो सभी हैं । अधिष्ठाता महोदय, आप समझे कि दक्षिण में हिन्दी को बदनाम कौन कर रहा है ? जो पोस्टकार्ड पर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों लिखते हैं । उड़िया, तामिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम इलाके के जो हैं वह समझते हैं कि यह तो हमारी भाषा की जगह पर हिन्दी आ गई है । अगर अंग्रेजी को हटाकर वहां हिन्दी करते और उसके बाद उड़िया, तामिल, तेलगू लिखते तो हिन्दी से लड़ाई नहीं होती दिखती । आज यह कांग्रेस पार्टी और उनकी तरह ४ तारीख की घटना का विरोध करने वाले जो हैं वह सभी लोग हिन्दी के विरोधी हैं, वह सभी लोग उड़िया के दुश्मन हैं ।

जहां तक सीमा और सुरक्षा का संबंध है माननीय अधिष्ठाता महोदय, अपने देश भारत में तीन पूत हैं, एक कपूत, एक सपूत और एक तरायल । तरायल भोजपुरी में उनको कहते हैं जो उस औरत के बच्चे हैं जो दूसरे मर्द के पास गयी हो और साथ-साथ अनेक बच्चे भी लायी हो । हिन्दुस्तान में जब साम्यवादी की दुलहन आयी तो उसके साथ-साथ कम्युनिस्ट दल नाम का एक बच्चा भी आया । तरायल बच्चे की हालत ऐसी होती है कि उसका मन दोनों तरफ लगा रहता है, पुराने बाप की तरफ भी और नये बाप की तरफ भी । आज कम्युनिस्ट पार्टी दोनों तरफ देखती है । दोनों किस्म के प्रस्ताव पास करती है, हमला भी हुआ है, नहीं भी हुआ है । तरायल बच्चा वही करेगा क्योंकि उसका कहीं और ठौर ठिकाना नहीं होता। जहां तक सवाल है कपूत का, कपूत कहता है कि मां के उस अंग को जिसको किसी दूसरे ने पकड़ रखा है । कोढ़ी है, सड़ा हुआ है, कंकड़ है, बंजर है यह कपूत कहते हैं । लेकिन सपूत कहते हैं कि वह सड़ा हुआ हमारी मां का अंग है और वह चाहे सड़ा हो या गला हो, तो क्या ? लेकिन दुश्मन से घिरा हुआ है दुश्मन के पैरों रौंदा जा रहा है किन्तु है वह हमारी मां का अंग । हम उसकी मरहम पट्टी करेंगे, फाहा रखेंगे और पट्टी बाधेंगे ।

[श्री चन्द्रबलीसिंह]

जहां तक हमारे संशोधन का सवाल है हमने संशोधन दिया है उसके संबंध में जो पुलिस अन्याय की ५, ४ घटनायें हमारे प्रदेश में हुई हैं। यदि इस तरह की घटनायें किसी जनतन्त्र में होती हैं और लगातार होती है तो हमेशा जनतन्त्री सरकार नये सबक लेती है। प्रदेश में अतरौलिया गोलीकांड हुआ, इलाहाबाद में गोली कांड हुआ, दुबौली में गोली कांड हुआ और गोरखपुर में गोलीकांड हुआ है। अगर यह संकटकालीन स्थिति न होती तो आज तक गोरखपुर का धुआं न बुताया गया होता। जहां तक बस्ती जिले के इटवा थाने का संबंध है वहां पर पुलिस खुद डकैती डालती है, डाली है और उसके संबंध में यहां पर न कामरोको प्रस्ताव मन्जूर होता है और न दफा ५२ के अन्तर्गत प्रस्ताव मन्जूर होता है। आखिर यह क्या है? यह घटनायें क्यों हो रही हैं? अधिष्ठाता महोदय, जहां डाका पड़ा हुआ है वहां पुलिस का घेरा पड़ा हुआ है। पुलिस कहीं रपट करने के लिये नहीं जाने देती है और न कहीं उनकी सुनवाई होती है। ऐसी परिस्थिति है। इन घटनाओं के सुधार के लिये कोई कदम उठाने की व्यवस्था अभिभाषण में नहीं है। पूर्वी जिलों की यह दशा है कि उनकी हालत पिछड़ती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश भी पिछड़ रहा है, पिछड़ने का कारण समान अवसर के आधार पर योजना चलाना है विशेष अवसर पर योजनायें चलें तो उत्तर प्रदेश व पूर्वी जिलों का भला हो।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के उपलक्ष्य में मुझे भी अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में सभी बातों का संकेत किया है और उन्होंने सभी बातों को समझाते हुये बातें कही हैं, लेकिन जहां उनका ध्यान ज्यादा जाना चाहिये था उन बातों की तरफ उनका ध्यान नहीं जा सका। इसीलिये श्रीमन्, मुझे कुछ बातें बड़े खेद के साथ कहनी पड़ती हैं। राज्यपाल महोदय ने सब से पहले जिक्र आपत्कालीन स्थिति का किया है। इस स्थिति में सरकारी पक्ष की ओर से जो बातें आई और जो बातें विरोधी पक्ष की ओर से आईं उन दोनों बातों पर गौर करते हुये यह उचित था कि हम जो आज संकटकालीन स्थिति से गुजर रहें हैं, इस समय सब से पहले शान्त वातावरण में इस संकट की स्थिति में विचार करें। जो अति को लेकर चल रहें हैं उस पर विचार करें तो हमारा काम उचित रीति से चल सकता है और उस स्थिति पर काबू पा सकते हैं। एक तरफ से एक बात कही जाती है और दूसरी तरफ से उसका प्रतिवाद किया जाता है लेकिन जब उपभोक्ता की दृष्टि से उसको देखते हैं तो उसकी तरफ कोई खास खयाल नहीं कर पाते। यहां पर मुझे एक बात याद आ जाती है। एक समय का बात है कि जब अजातशत्रु वैशाली के वज्जीगण को विजय करना चाहता था तो उस समय वह किसी प्रकार से उनको विजय नहीं कर पाता था। अन्त में वह भगवान् बुद्ध के पास पहुंचा और उन्होंने उनको समझाया कि जब तक वज्जीगण आपस में समन्वय करते रहेंगे तब तक आप उनको विजय नहीं कर सकते। जब तक वे आपस में सामन्जस्य करते रहेंगे तब तक उन पर कोई कष्ट नहीं आ सकता है और वे अजेय रहेंगे। वह उचित रोशनी उनको नहीं दे सकते हैं। हम जो ६,७ बातें उनकी थीं उसमें से दो मुख्य बातें हैं जो हमारी आज की स्थिति से संबंध रखती हैं और इसीलिये ध्यान आपके द्वारा सदन का खींचा जाता है, लेकिन जब-जब बातें विपक्ष की ओर से समझाई जाती हैं तब-तब उनको इसीलिये टाला गया कि यह विपक्ष का सुझाव है और इसलिये उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा सकता।

सदन में एक और तमाशा हुआ है। विरोधी पक्ष की ओर से आपस में ही एक दूसरे पर छींटाकशी हुई है। यह राष्ट्रीय मनोबल के लिये खतरनाक बात है। चीन एक कम्यूनिस्ट देश है और उसने हमारे देश पर हमला किया है। उसके माने यह तो नहीं हो जाते कि अपने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देश के भाइयों पर भी हम शक करें और उन्हें भी बार-बार कह कर खाम ख्वां के लिये अपने देश में शत्रु पैदा करें। इस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा। इस प्रकार के विचारों को पैदा करके आपत्कलीन स्थिति को अच्छी तरह से समझा नहीं जा सकता है।

जहां राज्यपाल महोदय ने बहुत सी बातें कहीं हैं वहां वे जो हमारा उपेक्षित वर्ग है उनका जिक्र बहुत ही कम किया और कहा कि हम उनकी शैक्षणिक सुविधाओं को जारी रखने के लिये आदेश देते हैं। जहाँ तक सुविधायें देने का प्रश्न है उसके लिये तो मैं इतना ही कहूंगा :—

"दिये से न मिटेगा मनका अंधेरा, अंधेरे को ढाओ गगन को झुकाओ"

बाबा साहब ने एक बार महात्मा जी से कहा था :—"Don't raise the dust, but uplift the level." अभी तक इस लेविल उठाने के मामले में उपेक्षित वर्ग पर कितना आघात हुआ है राज्यपाल महोदय को अच्छी तरह से इस बात का खयाल करना चाहिये। कहीं पर उनके खेत जबरिया काट लिये जाते हैं बन्दूकों की नली के बल पर, कहीं पर उनको बेतरह दबाने की कोशिश की जाती है। पुलिस का जो प्रशासन है वह उनकी सुविधाओं का बिलकुल भी विचार नहीं रखता। हमारे भाई शास्त्री जी ने अभी उधर से कहा था कि लोग सोचते हैं कि काश हम भी हरिजन होते। यह वह जहर है जो जनता के दिमाग में भरा जाता है। इससे किस तरह से लेविल उनका उठाया जा सकेगा, केवल धूल उठाकर कैसे लोगों के मन के मैल को दूर किया जा सकेगा। उनकी तकलीफों को दूर करने के लिये संविधान में जिन-जिन बातों का वादा किया गया है उनको पूरी तरह से निभाना पड़ेगा। जहां तक उनके लिये स्थानों के संरक्षण का सवाल है १५ साल के दौरान में केवल ४ प्रतिशत उनको भरा गया है जो कि संविधान में कही गयी बात के बिलकुल खिलाफ है। हमने शपथ ली है लेकिन आज इन्हीं बातों की उपेक्षा की जाती है तो इसको क्या कहा जाय।

मान्यवर, पुलिस की बात के संबंध में यह कहा गया कि उसके लिये एक कमीशन नियुक्त किया गया तमाम बातों को देखने के लिये। लेकिन होता क्या है। केसेज पकड़े जाते हैं लेकिन देखा क्या जाता है। घूस चलती है, उसमें लोग हिस्सा लेते हैं, इस तरह से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। कोर्ट्स से भी भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता और वह दूर भी इस तरह से नहीं हो सकेगा।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

कारागार मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

अधिष्ठाता महोदय, संकट के समय में राज्यपाल महोदय का संबोधन करन का यह संभवतः प्रथम ही अवसर था। उनके संबोधन के बाद हम लोग बहुत उत्सुकता से यह देख रहे थे कि विरोधीदल के नेता देश की आपत्कालीन स्थिति को देखते हुये किस प्रकार के सुझाव इस सदन के सम्मुख रखते हैं जिनसे जो कमियां इस संकट को दूर करने में रह गयी हैं या अन्य जिनकी आवश्यकता है उनको पूरा किया जाय....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

सदन में शान्ति की आवश्यकता है। कृपया आपस में बातें न करें।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्रीमन्, जनतांत्रिक प्रणाली में विरोधी दल का एक प्रमुख स्थान होता है और यह भी नितांत सत्य है कि विरोधी दल ही सदन की मर्यादाओं को रखता है और उसके द्वारा ही विवादों का प्रारम्भ जिस नीति से किया जाता है उसी प्रकार से विवाद चला करते हैं। यह समझते हुए कि विरोधी दल के नेता हमारे इस प्रदेश के सम्मानित व्यक्ति हैं और उन पर बड़ा उत्तरदायित्व है किन्तु उनके भाषणों से मुझे निराशा हुई। विरोधी दल के नेताओं ने जो कुछ भी कहा उसमें देश की सुरक्षा के लिये और प्रदेश के विकास की प्रगति के लिये

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

कुछ नहीं था। उन्होंने अनेक आरोप शासन पर लगाये । नेतृत्व बदलने के लिये कहा, सुरक्षा का कोई भी कार्य नहीं किया गया यह भी आरोप लगाया और इसी प्रकार अन्य अनेक आरोप थे जिससे सदन के सदस्यों को ही नहीं, बाहर के लोगों को भी बड़ी निराशा हुई होगी । जो आरोप उन्होंने लगाये उनका सदन के सदस्यों पर और बाहर की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है, मेरा विचार है कि वह अपने भाषण में इस बात को समझ नहीं सके । संकट के समय हमें अपने पुराने इतिहास की ओर दृष्टि डालनी चाहिये । एक संकट का समय देश पर और भी आया था । सन् १९४७ में देश के विभाजन के समय जब सांप्रदायिकता का बोलबाला था, उस समय भी इस देश में कुछ लोगों ने देश के वातावरण को इतना विक्षुब्ध किया कि हमारे इस देश के ही नहीं, संसार के सर्वमान्य नेता, महात्मा गांधी के जीवन से हमें हाथ धोना पड़ा । मैं यह समझता हूं कि किसी भी पार्टी का यह अभिप्राय नहीं रहा होगा कि महात्मा गांधी हमारे बीच में न रहें, कोई नहीं चाहता था कि गांधी जी की हत्या हो जाय, लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि उस वक्त के वातावरण को दूषित जिन लोगों ने किया उनके ऊपर बहुत कुछ गांधी जी की हत्या का उत्तरदायित्व है । आज जब हम संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं, हमें एक सुदृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता है, और हमें एकता की आवश्यकता है, ऐसे समय हम नेतृत्व को चुनौती दें, नेतृत्व को बदलने की बात कहें, यह युक्तिसंगत नहीं है । नेतृत्व बदलने का समय आ सकता है और पिछले दिनों भी आया था और आप अगर प्रतीक्षा करेंगे तो वह समय पुनः भी आयेगा, लेकिन यह समय नेतृत्व बदलने का नहीं है । हमारे उधर बैठने वाले भाइयों ने कहा कि नेतृत्व बदला जाय, सरकार बदली जाय, लेकिन यह सुझाव उन्होंने नहीं दिया कि किस के हाथ में नेतृत्व दिया जाय, किस पार्टी की सरकार बनायी जाय । सरकार सोशलिस्ट पार्टी की हो अथवा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की हो (व्यवधान) या जनसंघ की सरकार हो । ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया । इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव नहीं दिया कि सुरक्षा के जो कार्य नहीं किये गये उनके स्थान पर यह किया जाना चाहिये था । सिर्फ आलोचना मात्र से काम नहीं चलता । इस समय की आलोचना देश के लोगों का मनोबल गिराने या पार्टी को बल देने के काम में तो आ सकती है, लेकिन देश का उससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है । श्रीमन्, हमारे साथियों ने कहा कि एक भी चीन का सिपाही गिरफ्तार नहीं किया गया और हम बराबर पीछे हटते चले आये । ठीक हो सकता है कि हमने सुरक्षा की तैयारी न की हो । लेकिन आप देखें कि फ्रांस और इंग्लैंड के द्वितीय महायुद्ध में क्या हुआ,जब हिटलर ने फ्रांस पर हमला किया तो उनको भी पीछे हटना पड़ा था और उसमें उनके बहुत से सिपाही कैद हुये थे । इसके अतिरिक्त आप अमरीका को क्यों भूल जाते हैं उसको भी कोरिया में चीन के खिलाफ अपनी फौजों को पीछे हटाना पड़ा था तो इस प्रकार की बातों में कोई तत्व नहीं है । न इनमें कोई सारांश है । जो एकता हमारे देश में इस समय स्थापित हुई है, उसको हमें बनाये रखना है । यह मैं जानता हूं कि उधर के बैठने वालों के हृदयों में भी देश प्रेम है और अगर मौका पड़ जाय तो वे भी देश के लिये सब कुछ करने के लिये तैयार हैं । हमारी तटस्थता की नीति को भी उधर से चुनौती दी गई, परन्तु वह तो उनकी बिलकुल भ्रमात्मक बात है । आज संसार के सभी राष्ट्र एक स्वर से हमारी निष्पक्ष पर राष्ट्र नीति की प्रशंसा करते है । आप यह भूल जाते हैं इसी नीति ने ही अमरीका और रूस दोनों को ही मित्र बना रखा है । आप कहते हैं कि हमने लड़ाई की तैयारी नहीं की परन्तु मैं यह कहता हूं कि यह लोहे के बड़े-बड़े कारखाने और इस्पात का निर्माण देश को मजबूत बनाने के लिये ही है । इस्पात युद्ध सामग्रियों में कितना प्रयोग होता है, यह तो आप सभी जानते हैं । बंगलौर, कानपुर में हवाई जहाज के कारखाने भी स्थापित किये हैं । हम वही मार्ग अपनाते हैं जो कि देश के लिये श्रेयस्कर होता है । हमने उन्हीं नीतियों को अपनाया है जो कि सर्वोत्तम कही जायेगीं । हमारी निष्पक्षता की नीति के खरेपन को आज सभी देश मानते हैं । हमने थोड़े समय में जो प्रगति की है उससे आज कोई भी राष्ट्र इंकार नहीं कर सकता है । मैं अधिक समय सदन का नहीं लेना चाहता हूं अतएव मैं उन सारी बातों को तो नहीं बता सकूंगा जो कि इस सरकार ने अपने शासनकाल में संपादित की हैं । इसलिये मैं आपसे यही कहूंगा कि संकट में आप हमें सहयोग दें और हमारी नीतियों का

समर्थन करें । मुझे यह तो विश्वास है कि देश की संकटकालीनास्थिति में आप अपने कर्त्तव्यों से भागेंगे नहीं वरन् अपने कर्त्तव्यों के प्रति सदैव सजग रहेंगे । देश का जो भी भाग चीन के अधिकार में है उसको एक-एक आदमी एक-एक इंच भूमि लेने के लिये प्राणों की बलि दे देगा, (तुमुल करतल ध्वनि) हमारे पीछे सत्य और अहिंसा का बल है । आप से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप अपने में विश्वास रखें, अंत में विजय हमारी ही होगी । इस देश का इतिहास यह बतलाता है कि सदैव सत्य की ही विजय हुई है । हमने सदैव सत्य और अहिंसा में ही विश्वास किया है । हम उस देश के वासी हैं जहां कि भगवान् कृष्ण ने अवतार लिया था । कृष्ण जी ने गीता में स्वयं कहा है—

नैनम् छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम् दहति पावकः ।
नैनम् क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः ।

जिस देश का आदमी मरता नहीं है अमर है उसे संसार की कोई भी शक्ति विजय प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है । विजय हमारी निश्चित है । ऐसी स्थिति में हमारा यह परम कर्त्तव्य है कि हम अपने देश के महान् नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू को बल प्रदान करें और उनके आदेशों पर चलें । मुझे आशा है कि माननीय विरोधी दल के सदस्य और नेतागण इस संकटकाल की स्थिति को समझते हुए अपनी नीतियों का निर्धारण करेंगे और माननीय राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने का प्रस्ताव पास करने में सहयोग देंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

श्री रघुनाथसिंह, आप केवल ५ मिनट बोलें ।

श्री रघुनाथसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद । राज्यपाल राज्य की सर्वोच्च सत्ता है उसके प्रति स्वभावतः बहुत आदर भाव रखते हुए कर्त्तव्य की प्रेरणा से उस अभिभाषण की कुछ त्रुटियों की तरफ हम सदन में चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि कर्त्तव्य बड़ा कटु होता है—अभिभाषण से ही संबंधित बात होगी, ५ मिनट में इधर-उधर जाने की गुंजायश भी नहीं है । अभिभाषण के संबंध में कुछ कहने के पहले बहुत दुःख के साथ मुझे अपना कटु अनुभव सुनाना पड़ रहा है । यह एक परम्परा सी बन गयी है कि राज्यपाल का भाषण अपनी सरकार के प्रशंसा पत्र के रूप में हुआ करता है । कोई भी सरकार हो, उसकी कुछ त्रुटियां हो सकती है, उसकी व्यवस्था में कुछ भूलें हो सकती हैं और राज्यपाल का अभिभाषण जनतंत्र में राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी रेकार्ड की वस्तु हुआ करता है । उसको व्यापक और हर प्रकार से पूर्ण होना चाहिये । इसको पढ़कर ऐसा लगा जैसे हमारे मुख्य मंत्री की हिदायत में अभिभाषण तैयार किया गया हो और चूंकि अभिभाषण होना है, इसलिये लगे हाथ उनके मुख से एक प्रशंसात्मक प्रमाण-पत्र ले लिया गया हो । जब इसी सदन में हमारे प्रश्नोत्तर में कभी-कभी विभागीय मंत्री लोग अपनी अपनी त्रुटियां और विवशताएं कहते रहते हैं और सभी जानते हैं कि ऐसा है तो राज्यपाल अपने आभिभाषण में अपने मंत्रियों को हिदायत देने के लिये उनकी त्रुटियों का भी संकेत कर देते और तब अभिभाषण पर वाद-विवाद होते तो राज्यपाल द्वारा संकेत की गई त्रुटियों पर मंत्रियों को सफाई देना पड़ता और तब अभिभाषण संबंधी बहस कुछ ज्यादा ठोस और उपयोगी साबित हो सकती ।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में एक जगह कहा है कि "स्वयं मैंने और मेरे मुख्य मंत्री ने भी उत्तराखंड डिवीजन का व्यापक दौरा किया है . . ." । जब दौरे की बात आयी तो मुझे उत्सुकता हुई यह देखने की कि अब वह वहां के संचार साधनों की जो त्रुटियां रह गयी हैं उसकी भी चर्चा करेंगे, जिस प्रकार से प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, श्री जैन ने बहुत ही क्षोभ और दुखःपूर्ण शब्दों में कहा था । लेकिन उसकी चर्चा न होने से यह लगा कि यह फर्ज-अदायगी मात्र है अभिभाषण । एक जगह पर कहा गया है कि "एक नागरिक सुरक्षा योजना भी तैयार की गयी है जो इस राज्य में किये जाने वाले विभिन्न नागरिक सुरक्षा-कार्यों में समन्वय स्थापित करेगी" । कितना भयंकर संकट चीन के आक्रमण के रूप में हमारे सामने आया और

[श्री रघुनाथसिंह]

कष्टकर रूप से अपमानित करके कुछ काल के लिये टला हुआ सा हो गया है, वह फिर विषम रूप में कब उपस्थित होगा, यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज ४–५ महीने गुजर रहे हैं, वैसे तो यह परिस्थिति ८ साल से है, लेकिन इस सुरक्षा कार्य में क्या प्रगति हुई है, यह राज्यपाल महोदय के राज्य की सर्वोत्तम सत्ता के मुंह से सुनने को नहीं मिला, यह दुःख की बात है। सुरक्षा योजनायें कागज पर 'करेगा-करेगी, होगा-होगी' की घोषणाओं के रूप में अभी चल रही हैं।

एक बात और कही गयी जिससे पुष्टि होती है कि अभिभाषण में फर्ज अदायगी की गयी। कहा गया, "मेरी सरकार नकद पुरस्कार तथा हिन्दी योग्यता प्रमाण-पत्र देने की योजना चला कर हिन्दी को प्रोत्साहन तथा उसके विकास के लिये सतत प्रयास करती रही है"। भला मातृभाषा हिन्दी के इस राज्य में हिन्दी के प्रोत्साहन के लिये नकद पुरस्कार और हिन्दी योग्यता प्रमाण-पत्र के रूप में सतत प्रयास की चर्चा यह कितनी विचित्र बात है। भला इस चर्चा की क्या जरूरत थी। जब कहीं दूसरी जगह से कुछ नहीं मिला तो यही लिख दिया गया। हम तो यह कहेंगे कि हिन्दी के भक्तों को चाहिये था कि माननीय मुख्य मन्त्री जी का जुलूस निकालते और जय-जयकार करते।

एक बात और कहूंगा और आशा है कि उस संकेत से यह सरकार कुछ लाभ उठायेगी। इसमें लिखा है "जनता ने मार्ग-प्रदर्शन कर दिया है और अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने को समयानुसार उठावें और देश को विजय-पथ पर ले चलें।" समझदार के लिये इशारा ही काफी होता है। स्वयं राज्यपाल महोदय ने हमारे कर्त्तव्यों के प्रति असंतोष व्यक्त किया है और देश को विजय पथ पर ले चलने की बात कही है....

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त। भगवान सहाय जी, आप को १० मिनट मिलेंगे।

*श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, महामान्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लेबर नीति के बारे में कोई विशेष स्पष्टीकरण नहीं है। अधिष्ठाता महोदय, महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के समय जो कुछ हुआ, उसका मुझे अफसोस है। उसके लिये मैं अपने साथियों को ही दोष नहीं देता, यह सरकार भी उसके लिये बहुत कुछ जिम्मेदार है। मैं पूछता हूं कि जब १० साल से इस बात के लिये आवाज यहां सदन में उठाई जाती रही है कि राज्यपाल अपना सम्बोधन हिन्दी में दें, तो अब तक सरकार ने क्यों नहीं इस ओर अपनी नीति अपनायी, क्यों नहीं इसके लिये कोई समझौता किया और जनता के सेन्टीमेंट की परवाह की? जो तरीका अख्तियार किया गया, मैं उसका समर्थन नहीं करता और उसके लिये दुख प्रकट करता हूं।

अधिष्ठाता महोदय, आज इमर्जेंसी का जमाना है। चीन ने ३ महीने पूर्व यहां पर हमला किया था और वह आज भी है। इस इमर्जेन्सी का मुकाबला करने के लिये यह सही है, जैसा कि डाक्टर जेड० ए० अहमद ने कहा कि प्रोडक्शन बढ़े, किन्तु वह तभी बढ़ सकता है जब कि आपस में सुलह का वातावरण हो, स्ट्राइक न हों, मिल मालिकों और मजदूरों के झगड़े समझौते द्वारा तय हों। इसी उद्देश्य के लिये, करीब ३ महीने पूर्व, यहां लखनऊ में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक ट्रीपारटाईट कान्फ्रेन्स बुलाई थी। उस में यह तय हुआ था कि सारे मसले समझौते द्वारा तय किये जायं। जो मुकदमें दायर हैं उन्हें वापस ले लिया जाय और आर्बिट्रेशन को भेज दिया जाय। किन्तु मैं आप को बताऊं कि जो मुकदमें दायर किये गये हैं उनमें ३५० तो मिल-मालिकों ने दायर किये हैं। पचास ऐसे हैं जो इन लोगों की तरफ से दायर हुये हैं। फिर आप देखें कि तब से एक भी मुकदमा वापस नहीं लिया गया और समझौते के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये नहीं भेजा गया। करीब-करीब तीन-चार सौ मुकदमें हर महीने लेबर कन्सिएलेशन बोर्ड के सामने जाते हैं। हमेशा इम्प्लायर की तरफ से यह कोशिश की जाती है कि अगर कोई मामला आर्बिट्रेशन बोर्ड के सामने जाता है तो वह न जाय और वे लोग उसका विरोध करते हैं।

अधिष्ठाता महोदय, आप जानते हैं कि इस प्रदेश के अन्दर प्राइवेट कैपिटल भी है, सरकारी कैपिटल भी लगी हुई है। जो सरकारी कारखाने हैं वहां भी यह नहीं किया जाता। उदाहरण के लिये मैं बरेली की टर्पेन्टाइन रोजिन फैक्टरी को लेता हूं। सरकार उस की मालिक है और माननीय मुख्य मन्त्री जी के प्राइवेट सेक्रेटरी उसके चैयरमैन हैं। मुख्य मन्त्री के प्राइवेट सेक्रेटरी होने की वजह से यह इस एन्टरप्राइस के चेयरमैन हुआ करते हैं। जब उनसे यहां आर्बिट्रेशन के बारे में पूछा गया तो बताया कि उन्हें नहीं मालूम कि उनके सामने कोई ऐसा मामला आया भी था। यह इमर्जेंसी को मीट करने के लिये व्यावहारिक कदम उठाया जा रहा है। आर्बीट्रेशन का विरोध सरकारी रिप्रेजेन्टेटिव के द्वारा किया गया और सरकार ही उनकी एम्प्लायर है और इसका विरोध कौन करता है? जिन्होंने वर्षों से चन्दा नहीं दिया है, सरकारी टैक्स अदा नहीं किया है, गन्ने का दाम नहीं दिया है, जिनके ऊपर इन्डस्ट्रियल लोन बाकी हैं और जिनको आपने किसानों और मजदूरों के मुकाबले में ज्यादा राहत दे रखी है। आज यह उत्तर प्रदेशीय सरकार का रवैया है। आज सरकार की कोई लेबर नीति नहीं है। ट्राइपार्टाइट कान्फ्रेन्स में इस बात को सर्वसम्मति से माना गया था कि इन्टरनेशनल लेबर कान्फ्रेन्स के कोड आफ़ डिसिप्लिन को माना जायगा। उस कोड आफ़ डिसिप्लिन में यह है कि लेबरर्स के यूनियन्स को मान्यता दी जायगी।

अब देखिये कि रोजिन फैक्टरी की मालिक सरकार है। इसमें जो यूनियन है उसमें वहां के ९० प्रतिशत मजदूर उसके मेम्बर हैं। वे लोग तीन साल से इस बात की मांग कर रहे हैं कि उसको मान्यता दी जाय। तीन-साढ़े तीन साल इमरजेंन्सी को भी हो गये और २ महीने के करीब ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेन्स को भी हो गये, जिसको माननीय मुख्य मन्त्री जी ने ही बुलाया था और उसकी सदारत भी उन्होंने ही की, लेकिन फिर भी आज तक वहां के यूनियन को मान्यता नहीं दी गयी।

जहां तक 'केसा' का मामला है, वह भी एक गवर्नमेन्ट एंटरप्राइस है। वहां भी आर्बीट्रेशन की मांग की गयी, लेकिन वहां के मैनेजर ने उस को अस्वीकार कर दिया। यह तो उन एन्टरप्राइस की हालत है जहां की मालिक सरकार खुद है। लेकिन कहीं भी उस कान्फ्रेंस के पवित्र समझौते का पालन नहीं किया गया।

अधिष्ठाता महोदय, इमरजेन्सी के जमाने में २–३ चीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिये खास तौर से नारा लगाया गया––खेतों में और कारखानों में और यह भी कहा गया कि आस्टेरिटी बरती जाय। लेकिन अभी हाल में एक प्राइवेट एन्टरप्राइस है उत्तर प्रदेश कामर्शियल कार्पोरेशन, जिसको इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने करीब करीब ४०–५० लाख के कान्ट्रेक्टस दिये हैं। जिसके एक प्रमुख कर्मचारी पुलिस डिपार्टमेन्ट के एक प्रमुख एक्स एम्प्लाई हैं। उन्होंने अभी हाल ही में मुहम्मद बाग क्लब में एक दावत दी जिसमें सेक्रेटेरिएट के तमाम डिपार्टमेन्टल हेड्स बुलाये गये और बड़े जबरदस्त पैमाने पर दावत हुई और बड़े जबरदस्त पैमाने पर वहां शराब चली। क्या यही आस्टरिटी का नमूना है जो दूसरों के लिये सबक हो सकता है? इसी तरीके से सर्विसेज में भी दो तरह के आफिसर्स हैं। एक तो वे हैं जिनका सारा जीवन काल लखनऊ सेक्रेटेरिएट में ही काम करने में बीता है और दूसरे वे जो प्रदेश के जिले-जिले में रहते हैं। यहां के आफिसरों को ३०० रु० मासिक एलाउन्स देनेका क्या तुक है समझ में नहीं आता जो अंग्रेजी समय से ही चला आ रहा है।

श्री अधिष्ठाता––

आप का समय समाप्त हो गया।

श्री मुकन्दीलाल जी, आप केवल ५ मिनट ही बोलेंगे।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, कम से कम १० मिनट समय तो मुझे मिलना ही चाहिये। मैं अब तक २७ बार खड़ा हुआ हूं और मैं आप को बतला देना चाहता हूं कि मैं भाषण देने का शौकीन नहीं हूं। आज से ३२ वर्ष पहले मैं इस सदन का ७ वर्ष मेम्बर रहा हूं और मैंने बड़े-बड़े व्याख्यान दिये हैं। मैं ४ वर्ष तक उपाध्यक्ष भी रहा हूं, इसलिये मुझे कोई बोलने का शौक नहीं है। लेकिन मैं इसलिए बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं कि.....

श्री अधिष्ठाता—

मैंने आपको समय दिया।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं जिस क्षेत्र पर इस सारे उत्तर प्रदेश और सारे भारतवर्ष का संरक्षण निर्भर है। हमारे गढ़वाल और कुमायूं के जिलों में ७ दर्रे हैं जिनसे हो कर हमारे यहां शत्रु आने की कोशिश कर सकते हैं। आप समय न देकर उन जिलों की भी अवहेलना कर रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी जब गढ़वाल गये तो उनके साथ मैं भी गया, जब वे कुमायूं गये तो वहां भी उनके साथ गया था। और वहां उन्होंने मुक्त कंठ से गढ़वाली व कुमायूंनी की तारीफ की और कहा कि जब तक हमारे बीच में गढ़वाली व कुमायूंनी हैं तब तक चीन को इधर आने की हिम्मत नहीं हो सकती। गढ़वाल के करीब ढाई सौ सैनिक नेफा में सेला के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए हैं। उन गढ़वलियों के लिये सरकार ने अब तक क्या किया है? यह बतलावें। मेरे पास एक खत ३० तारीख का है आर्मी हेड क्वार्टर ऐडजुटेंट जनरल का आया है। सारा खत तो मैं नहीं पढ़ूंगा लेकिन उसका एक हिस्सा मैं पढ़ देना चाहता हूं जिससे आपको असलियत मालूम हो जायगी। नेफा में एक गढ़वाल रायफल्स के अफसर व जवानों ने गढ़वालियों की दिलेरी और बहादुरी का उदाहरण रणक्षेत्र में किस तरह दिया। एक पैरा में लिखा है :—

"My dear Mukandi Lal,

. . . Incidently I would like to congratulate you and your son (Honorary Colonel Commandant of Garhwal Rifles) on the excellent fight that 4th Garhwalis put up at Sela. Their performance was up to the highest tradition of fighting spirit of the Indian Army and in particular Garhwalis."

राज्यपाल महोदय के भाषण को मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा। लेकिन उसमें कहीं भी गढ़वालियों के सम्बन्ध में कोई बात मुझे देखने को नहीं मिली। हम गढ़वाल के लिये एक सैनिक स्कूल मांग रहे हैं। इसलिये कि गढ़वाल वह भूमि है जिसने दो यूरोपियन युद्धों में ३७ हजार रिक्रूट दिये और जिसमें से ३ हजार से ज्यादा सिपाही मारे गये। आज हमारी ६ पल्टनें एक-एक हजार की हैं। हम चाहते हैं कि ४ बैटलियन गढ़वाल रायफल्स और बनें। इस वक्त भी हमारे यहां ३० हजार जवान सेना में भर्ती होने के लिये तैयार हैं। हम गढ़वाल में एक सैनिक स्कूल चाहते हैं। मुख्य मंत्री जी और डिफेंस मिनिस्टर को भी मैंने गढ़वाल की इस मांग के बाबत लिखा है। गुप्ता जी जोशीमठ में कह आये कि गढ़वाल में सैनिक स्कूल स्थापित करने की कोशिश करेंगे। सैनिक स्कूल हम किसके लिये चाहते हैं। सैनिकों के उन लड़कों के लिए चाहते हैं जो सेला नेफा में वीरता से लड़े हैं ताकि नवयुवक सैनिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त करें और अफसर बन सकें। वह लड़ाई लड़ते हैं, मरते हैं, अपना खून बहाते हैं उनके लड़के भी अब अफसर बनना चाहते हैं। गढ़वाल में सैनिक स्कूल की बहुत जरूरत है। लेकिन उसके बारे में गुप्ता जी ने अब तक कुछ नहीं किया। मैंने उनको लैंस डाउन छावनी से सात मील की दूरी पर एक उपयुक्त विस्तीर्ण स्थान भी बताया था।

दूसरे यह जो हमारा बार्डर क्षेत्र गढ़वाल, अलमोड़ा, टेहरी कुमायूं डिवीजन के तीन जिले हैं हम चाहते हैं कि वहां तीनों जिलों में इस तरह के कार्य होने चाहिये कि सारा कुमायूं डिवीजन किसी वक्त भी लड़ने को तैयार रहे। वहां पर आज भी फायरआर्म्स की हालत यह है कि एक-एक कारतूस वहां पर चार-चार रुपए में मिलता है। वहां पर लाइसेंस होल्डर को L. G. (गोली) कारतूस दिये जायं, ताकि वह शत्रुओं का मुकाबला किसी भी समय कर सकें।

श्रीनगर हमारी पुरानी गढ़वाल की राजधानी है, वहां पर एक इंडस्ट्रीयल इस्टेट बनी। लेकिन वहां पर हालत यह है कि सरकारी कार्यशाला खाली पड़ी हैं और वहां कोई व्यवसाय या कार्य नहीं हुआ। वहां पर पी० डब्लू० डी० का एक स्कूल खुलने वाला था लेकिन अब सुना जा रहा है कि उस को भी श्रीनगर से हटाकर देहरादून ले जाया जायगा जब कि पी० डब्लू० डी० का सब से बड़ा काम गढ़वाल में ही है, हालत उन की यह है कि ५ साल में भी वह सड़क पूरी और ठीक नहीं बना सके और उस का नतीजा यह हुआ कि इस जनवरी के प्रथम सप्ताह में कर्णप्रयाग के पास एक ३ टन का मिलिटरी ट्रक खड्डे में जा गिरा। वहां के इंजिनियरों के काम को मुख्य मंत्री भी देख चुके हैं। भोटिया लोग जो ६ मास के लिये सोमा प्रांत नीती व मांड़ा से नीचे आते हैं उनको भेंड़ चराने के लिये कहीं जगह नहीं मिलती। जंगल विभाग कहता है कि तुम तो बार्डर के हो तुम्हारा कोई हक चराने का नीचे के जंगलों में नहीं है जबकि उनकी जिन्दगी का भेड़ों पर दारमदार है। भेड़ें उन को हमारी सरकार ने अपनी योजना के अन्तर्गत दी हैं ऊन के विकास की स्कीम के मातहत यह हुआ है। मैं उन लोगों में से हूं जो चाहते हैं कि हमें भोटियों को हर प्रकार की फैसेलिटी देना चाहिये। वह लोग तिब्बत और चीन की भाषा को समझते हैं और अगर हम उनको शिक्षित करें तो उन से हम बहुत से लड़ाई के साधन प्राप्त कर सकेंगे, तिब्बती भाषा जानने के कारण हम उनके भाषा ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जब उन के लिये चराने का प्रबन्ध नहीं होगा तो किस तरह से भोटियों के पास ऊन का उत्पादन बढ़ सकता है।

श्री अधिष्ठाता---

आप का एक मिनट और है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर---

मेरे कहने का मतलब यह है कि लड़ने वाले तो हमारे गढ़वाल सैनिक हैं, मगर हम उसको पैदा करते हैं। मेरे भी २ लड़के और एक दामाद फौज में हैं। गढ़वाल के जवान अपना खून बहा रहे हैं। और हमारे यहां अभी तक कुछ नहीं किया जा रहा है न वहां कोई उच्च स्कूल, न सड़कें ही वहां पी० डब्लू डी० आवश्यकतानुसार बना रही है। इसका वहां की जनता पर और उन खून बहाने वाले जवानों पर क्या असर होगा? जो चीन के खिलाफ जान देने के लिये और खून बहाने के लिये जा रहे हैं उन की यह शिकायत अगर है तो वाजबी है। न वहां स्कूल हैं न सड़कें पर्याप्त संख्या में हैं। वहां पर हर क्षेत्र में एक सरकारी हाई स्कूल होना चाहिये। शिक्षा विभाग का एक पत्र आ गया कि घुमाकोट जो एक कश्मीम स्थान है वहां सरकारी हाईस्कूल नहीं बन सकता।

श्री अधिष्ठाता---

आप का समय समाप्त हो गया।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर---

मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आखिर में आपने मेरी सुन ली क्योंकि मैं बहुत देर से खड़ा हो रहा था। एक कहावत है कि घी टेढ़ी उंगलियों से ही निकलता है। जो सदस्य कोरी-कोरी सुनाता है उसकी ही सुनवाई होती है। मैं जो सरकार का साथ देता हूं मुझे आपने अन्त में २७ बार खड़े होने पर राज्यपाल के भाषण पर बोलने का समय दिया ताकि मैं भी गवर्नर को उनके भाषण के लिये धन्यवाद दे सकूं।

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

अधिष्ठाता जी, मैं समझती हूं मेरा काम बहुत हल्का हो गया क्योंकि मैं जब दोपहर में आयी थी तो देखा अपोजीशन के लोग एक दूसरे का खुद जवाब दे रहे थे। इससे मेरा काम बहुत हल्का हो गया। मैं इसीलिये थोड़ी बातें कहूंगी।

पहले पहल जिस विषय में बहुतों ने कहा मैं भी कुछ कहना चाहती हूं। जब राज्यपाल ने भाषण शुरू किया था, उस समय जिस ढंग से उनको रोका गया वह एक बहुत कटु चीज हुई। जो लोग हिन्दी भाषा के बहुत माहिर हैं और चाहते हैं उसकी प्रगति हो उनकी तरफ

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

से ऐसा काम नहीं होना चाहिये था । मैं इस बारे में ज्यादा समझ सकती हूं क्योंकि मैं उनमें से हूं जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है। उनके मन में क्या प्रतिक्रिया होती है वह मैं समझाऊंगी । हमने जो गवर्नर के बारे में नीति अपनायी है वह यह है कि दूसरे प्रान्त के लोग गवर्नर बनाये जाते हैं उसी प्रान्त के नहीं। मतलब यह जो उस प्रान्त के भाषा-भाषी न हों वही गवर्नर बनाये जाते हैं। अतः ऐसे लोगों से कहा जाय जबरदस्ती कि वह उस प्रदेश की भाषा बोलें, अगर बोल सकें तो अच्छा है, मगर सभी तो लिंगुइस्ट नहीं होते, अगर नहीं बोल सकते तो हमको सहिष्णुता दिखानी चाहिये । और जब गवर्नर महोदय ने शुरू में ही क्षमा मांगी हिन्दी भाषा में और हिन्दी भाषा में ही इजाजत मांगी कि मैं अंग्रेजी में बोलूं उन्होंने जो हिन्दी का स्थान है आदर का उसके प्रति सिर झुकाया उस पर एतराज करना हमारे लिये शोभा की बात नहीं हुई । हमारे प्रदेश के भी बड़े-बड़े लोग दूसरे प्रान्तों में गवर्नर हैं। हमारे माननीय श्री प्रकाश जी तामिलनाद के गवर्नर रहे अगर उनसे वहां के सदस्य तामिल भाषा में बोलने को कहते तो हर्गिज नहीं बोल सकते थे । माननीय विजय लक्ष्मी पंडित जी बम्बई की गवर्नर हैं। उनसे कहा जाय कि आप मराठी भाषा में बोले तो शायद वह न बोल सकें । जब कांस्टीटूएंट असेम्बली में हम लोग बैठे थे उस वक्त यह सवाल था कि हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा होगी कि नहीं, काफी लड़ाई चल रही थी । बहुत मुश्किल से हम हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा मन्जूर करवा सके। मेरा भी उसमें सहयोग रहा है। हम चाहते थे कि हिन्दी भाषा यहां की राष्ट्रभाषा हो क्योंकि ४,५ प्रान्तों में बोली जाती है। ज्यादातर लोग हिन्दी जानते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो लोग हिन्दी नहीं जानते, उनसे जबरदस्ती हिन्दी बुलवाई जाय। जब हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा हो गई तो हमारा यह फर्ज हो जाता है कि हम अहिन्दी भाषी लोगों के साथ धैर्य से पेश आयें। मगर हुआ क्या ? १४ साल में देखा कि जब हिन्दी के लिये जोर दिया जाने लगा तो एक लफ्ज मद्रास और दूसरे प्रान्तों से निकला हिन्दी इम्परियेलिज्म, लोगों के दिल में राष्ट्रभाषा के खिलाफ विरोध हुआ। इसलिये जो लोग हिन्दी भाषा के प्रेमी हैं वह अगर इस तरह का काम करते हैं जो यहां हुआ तो वह हिन्दी की कबर खोद रहे हैं। आप उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको काट रहे हैं। (व्यवधान) आप चप करिये। आपको जो हिन्दी भाषा से प्रेम है, आप जो चाहते हैं कि हिन्दी भाषा राष्ट्र भाषा बने वे लोग हिन्दी भाषा को खत्म कर रहे हैं। आप अपनी मातृ-भाषा को काट रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि दो, चार आदमियों के सिवाय बाकी सब पार्टी वालों ने निन्दा की जो आचरण हाउस में हुआ उसकी, जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी, सभी ने कहा कि यह हिन्दी के लिये और उत्तर प्रदेश के लिये गौरव की बात नहीं हुई। इतना आपे से बाहर नहीं हो जाना चाहिये। अपनी भाषा का प्रचार जरूर करिये, हर-एक को अपनी मातृभूमि प्यारी है। हमारे लिये हिन्दी भाषा मातृ भाषा है क्योंकि हमने इसको राष्ट्र भाषा बनाया है। हम उसकी इज्जत करते हैं । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय चन्द्रबली जी, आप बोल चुके । आपको निरन्तर नहीं बोलना है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

एक बात और कह दूं कि हमारा यह उत्तर प्रदेश, हमारी यह इंडो-गैंजेटिक वैली हिन्दू संस्कृति की बहुत पुरानी सीट है और अगर आप यह समझते हैं कि आपका यह आचरण आपकी संस्कृति के अनुकूल है तो मुझे अब और कुछ कहना नहीं है ।

अब मैं दूसरी बात पर आती हूं । समालोचना हुई कि विकास नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है । इसमें बहुत कुछ सही भी है । मगर समालोचना करते हुये भी सही बात कहना चाहिये, एकतरफा बात नहीं कहना चाहिये । यह सही है कि उत्तर प्रदेश की प्रगति जितनी पिछले दस, बारह सालों में होनी चाहिये थी वह नहीं हुई है । एकोनामिक हालत में

उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। आजकल के जमाने में प्रगति की नाप ज्यादातर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस से होती है। उस हिसाब से उत्तर प्रदेश की बहुत कम प्रगति हुई है। लेकिन इसके कई कारण हैं और उनमें एक बड़ा कारण यह है कि हमारा कृषि प्रधान इलाका है, लोगों का दिमाग उद्योग की तरफ कम है। इसके अलावा पिछले दिनों प्लान में जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज में हमको करना चाहिये था वह हमें मिला नहीं। उसको सुधारने के थर्ड प्लान में कोशिश की गयी है कि कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आयें। दो, तीन बड़े प्रोजेक्ट्स आ भी गये जैसे फर्टिलाइजर्स, अलमोनियम फैक्टरी, ऋषिकेश में हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ऐंटी बायटिक्स आदि बड़े-बड़े काम शुरू हुये हैं। जब यह सेट हो जायेंगे, यह स्वाभाविक है कि इनके साथ-साथ और भी छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज खुलेंगी। इंडस्ट्रलाइजेशन शुरू करते वक्त पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है उसके बाद स्टैबिलाइजेशन आता है। फिर टेक-आफ पीरियड जिसे कहते हैं, आगे बढ़ने का मौका आता है। यह स्टैबिलाइजेशन पीरियड पहले हो जाना चाहिये था। इसमें थोड़ी देर हुई। अब हम उस स्टेज पर आ रहे हैं लेकिन उसमें दिक्कतें भी हैं। पावर की जबर्दस्त शार्टेज है। हम आहिस्ता-आहिस्ता उसे बढ़ा रहे हैं। हमने ४५० मेगावाट पावर बढ़ाने का टार्गेट रखा है। रा-मैटीरियल की शार्टेज है। लेकिन बावजूद इन तमाम दिक्कतों के अब हम कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज, जिन्हें बेसिक इंडस्ट्रीज कहते हैं, जिनके जरिये औद्योगिक क्षेत्र इस प्रान्त का बढ़ेगा, लगा रहे हैं।

एक बात की बड़ी समालोचना की गयी कि घरेलू उद्योग जितना बढ़ाना चाहिये वह नहीं बढ़ा। आपको मालूम है कि प्लान बजट का तीन-चौथाई हिस्सा छोटे तथा ग्राम उद्योग के लिये रखा गया है। इससे कोशिश यह की जा रही है कि छोटे और घरेलू उद्योगों का विकास ज्यादा हो क्योंकि हमारे प्रदेश में ज्यादातर लोग गांवों में बसे हैं। इसलिये हमारे प्रान्त में ग्राम उद्योगों के लिये बहुत ज्यादा जगह है और छोटे-छोटे उद्योगों के लिये भी बहुत जगह है।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर, श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

छोटे-छोटे उद्योगों की प्रगति के लिये इंडस्ट्रियल स्टेट्स का प्रोग्राम चला, लोन्स का प्रोग्राम चला, एड का प्रोग्राम चला, इस तरह से बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं। कहीं-कहीं तो बहुत अच्छा काम हुआ है और कहीं कम काम हुआ है और कहीं कुछ काम नहीं हुआ है। मुझे मालूम है कि इसमें कहीं सामान की परेशानी है, कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव परेशानियां हैं और कहीं किसी दूसरी किस्म की परेशानियां हैं। लेकिन मैंने सदन के सामने एक पिक्चर रखने का प्रयास किया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रान्त में तीनों उद्योगों के लिये बहुत काफी जगह है और उसके लिये प्रयास किया जा रहा है।

मैं एक बात सदन के सामने रख देना चाहती हूं। वह यह है कि मैं छोटे-छोटे उद्योगों के लिये कुछ न कुछ चिन्तन करती रहती हूं। मैंने एक स्लोगन दिया कि हर एक ब्लाक में कम से कम दो घरेलू उद्योग खोलने चाहिये। इसके अन्तर्गत कहीं उद्योग खुले, कहीं नहीं खुले। मैं यह देखती हूं कि साधारण जनता के दिमाग में यह बात बैठती नहीं है। वे कहते हैं कि यह छोटे-छोटे उद्योग कला हैं। वे चाहते हैं कि हमारे यहां बड़े-बड़े कारखाने खोले जायं। यही चीज हमारे अफसरों के दिमाग में है और यही चीज हमारी साधारण जनता के दिमाग में बैठी हुई है। इसलिये जब तक इन लोगों के मनोभावों को नहीं बदला जायगा तब तक काम नहीं हो सकता है।

हमारे यहां फैजाबाद के एक कमिश्नर हैं उनके दिमाग में यह चीज बैठ गई इसलिये उन्होंने छोटे-छोटे उद्योगों का एक अभियान किया। उन्होंने लोगों के पास लोन के बारे में सरकारी सहायता के बारे में तथा और दूसरी प्रकार की सूचनायें पहुंचाईं। इससे काफी काम हुआ है। मैं सुल्तानपुर में गई वहां मैंने देखा कि लोगों ने छोटे-छोटे उद्योग इस तरह से कुछ जगहों पर चालू कर दिये हैं। अपने मकान में ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। जैसे पंजाब में कोई रेडियो बना रहा है, कोई साइकिल पार्ट्स ही बना रहा है। मगर यह चीज हमारे यहां शुरू होती चली जा रही है। यह चीज फैजाबाद और सुल्तानपुर

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

में शुरू हो गई तो इसके लिये एक वातावरण हमारे यहां बनेगा। गवर्नमेंट का जरूर इसमें कसूर है कि वह जितना चाहिये था उतना प्रचार नहीं कर सकी। मैं अपील करना चाहती हूं कि अगर इस प्रान्त में उद्योगीकरण करना है तो लोगों के दिमाग में इस चीज को बिठाना होगा। यह जगह तो जमींदारों की थी, किसानों की थी और यहां पर उद्योगों के बारे में कोई सोचता ही नहीं था। इसलिये हमें लोगों में इंडस्ट्रियल आउटलुक पैदा करना है। अगर यह काम हम अफसरों के ऊपर छोड़ेंगे तो उनको अपनी फाइलों से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। यह काम तो हम लोगों को करना होगा। हमें पहले अपने अफसरों को सिखाना होगा तब कहीं यह काम वह कर सकेंगे। इसलिये लोग इस काम में जुट जायं तब यह काम हो सकता है। बजट है, प्लान भी है, लेकिन सही आदमियों के मिलने में दिक्कत हो रही है। वैसे काम शुरू हो गया है। फिर भी समालोचना की जाय तो यह आप लोगों की मर्जी है। इस ओर काम शुरू कर दिया गया है और मुझे आशा है कि आप लोगों के प्रयास से हम इधर आगे बढ़ सकेंगे।

खेती के बारे में भी काफी समालोचना की गई है कि काम नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि हमने जो टार्गेट रखा था द्वितीय योजना में उससे हम आगे बढ़े हैं। इन दो सालों में जितनी फसल अच्छी होनी चाहिये थी नहीं हुई है। लेकिन मैं आशा करती हूं कि जिस ढंग से हम काम कर रहे हैं उसमें हम आगे बढ़ेंगे। यह जो इमर्जेन्सी है इसमें भी एक सिलवर लाईनिंग है। इमजेन्सी की वजह से हमारी कैबिनेट में एक सब-कमेटी बनी और पहिली बार सम्बन्धित विभागों के मन्त्रियों तथा अधिकारियों ने घंटों बैठकर इस बात पर विचार किया कि प्रशासनिक कठिनाइयां कैसे दूर हों, सिंचाई योजनाओं की क्या दिक्कतें हैं और क्या काम की गति बढ़ाने के लिये सम्बन्धित कानूनों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं आंकड़े दे सकती हूं। कभी-कभी आंकड़े बड़े दिलचस्प होते हैं। छोटे-छोटे उद्योगों में जो काम हो रहा है वह लोगों के सामने आता नहीं है। जैसे एक फीगर दिया गया है, हमारे पी० डब्लू० डी० ने ८ लाख हेक्टर जमीन स्वायल कंजर्वेशन से रिकूप किया है। अगर इतनी जमीन स्वायल कंजर्वेशन से इम्प्रूव हुई है तो उसमें खेती की प्रगति होगी, जब प्रोडक्शन होगा तो दिखाई पड़ेगा। छोटी-छोटी बातें हो रही हैं। मगर उसका इम्पैक्ट आप लोगों के सामने उतनी जोरों से आ नहीं सकता क्योंकि समय लगता है। लोग कहते हैं कि कुछ प्रगति नहीं हुई। मैं एक जगह गई मैंने कहा कि एक बात ले लीजिये कि प्राइमरी स्कूल्स पहले कितने थे और अब कितने हैं। सिर्फ नम्बर ले लीजिये तो मालूम होगा कि प्रगति हुई है या नहीं। हो सकता है कि जितनी प्रगति हम चाहते हैं उतनी न हुई हो, लेकिन यह भी गलत है कि प्रगति नहीं हुई है।

टैक्सेशन के लिये भी कहा गया। टैक्स लगाने में किसी को खुशी नहीं होती। हम भी चाहते हैं कि कम से कम टैक्स लगायें क्योंकि जो गवर्नमेंट टैक्स लगायेगी वह अनपापुलर होगी। मगर हमको ऐम्बीशस प्लान चलाना है, ४९७ करोड़ में १४७ करोड़ हमें इकट्ठा करना है। हमने हर तरह से सोच कर देखा कि कैसे करें जिससे टैक्स न लगाना पड़े। आप यह भी जानते हैं कि कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। यह हमारे हाथ के बाहर हैं जैसे इन्कम टैक्स है। इसलिये हमें अपने अधिकार के अन्दर ही टैक्स लगाना पड़ता है। बार-बार यह शिकायत की जाती है कि बड़ों पर टैक्स नहीं लगाते। जो हमारे हाथ में है, वह हम करते हैं। प्रापर्टी टैक्स जो लगा रहे हैं, उसमें नीचे वालों को छोड़ रहे हैं, ऊपर वालों पर लगा रहे हैं। एक शिकायत हुई बड़े-बड़े लोग कर्ज नहीं वापस कर रहे हैं। आप लोगों के प्रोपेगेंडा का असर हुआ है, अभी सब पर नोटिस गया है। सब पर सख्ती की जा रही। कोशिश की जा रही है कि उनसे वसूल किया जाय।

हर डिबेट में यह कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन बहुत है। खासकर मेरे मुकद्दमे में एड० डी० ओ०, बी० डी० ओ० की भरमार है। अंग्रेजों से कुछ चीजें हमने ली हैं। उनसे

निकलना मुश्किल होता है। मगर हम लोग चाहते हैं कि इसको घटाया जाय। इसीलिये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोग्राम रखा गया है ताकि जिला क्षेत्र समिति और पंचायत के स्तर पर चुने हुये लोगों के हाथ में अधिकार जायं। अभी हमने नये कानून में बहुत से अफसर जिला परिषद् के अध्यक्ष के मातहत कर दिये हैं। एड० डी० ओ०, बी० डी० ओ० की जो बात कही गई है, हम भी नहीं चाहते हैं, ज्यादा अफसर रहें। मेरी बदकिस्मती है। कम्युनिटी डेवलपमेंट ऐसा मुहकमा है, ऐसा छल्ला है जिसके अन्दर से सारे सूत्र गुजरते हैं, सारे डेवलपमेंट का सुपरवीजन ग्राम स्तर पर हम करते हैं। मल्टी फेरियस ऐक्टीविटीज हैं, विलेज लेविल पर उनको कन्ट्रोल करने के लिये अलग-अलग आदमी चाहिये। अगर हम चाहें कि एक टीचर ऐनिमल हस्बेंड्री का काम करने लगे तो वह नहीं कर सकेगा। इसलिये उनको वहां रखा गया। मगर जहां हम किफायत कर सकते हैं, करते हैं जैसे ए० डी० ओ० सोशल, एजूकेशन और पंचायत को एक कर दिया। सेंट्रल मिनिस्ट्री की हिदायत है कि हम और ज्यादा रखें, बढ़ायें। हमने दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में कम रखा है। हमारे यहां उद्योग का काम जितना हम चाहते हैं उतना नहीं हो रहा है। उसका कारण यह है कि हमारे पास कोई खास अफसर नहीं है। काम का एक वाल्यूम होता है उसके लिये सम्पूर्ण आदमी हों तभी काम होता है। हरएक का अलग-अलग किस्म का काम है। अगर कहीं कम करने की गुंजाइश होगी तो हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे। माननीय भानुप्रताप सिंह जी ने मेरे जिले बस्ती की बहुत सी बातें बतायीं। मैं मानती हूं कि जो उदाहरण उन्होंने दिया, अगर वह सही है तो बड़ा बुरा उदाहरण है। पांच साल से अगर बीज बंटा और उसका पैसा लोगों को न मिला, यह चीज अच्छी नहीं है। अगर बीज बंटने की शिकायत पर ऐक्शन लेने में ५ साल लगे तो सरकार को देखना चाहिये। मुझे यह कहने में एक सेकंड नहीं लगता कि यह गलत काम हुआ है। लेकिन बड़ी दिलचस्पी की बात है कि डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चरल आफिसर जिसने गलत बीज बांटा था और जिसके कारण यह परेशानी पैदा हुई और सरकार की तरफ से उसे निकाल दिया गया इसलिये कि वह नालायक पाया गया, उसीको अपोजीशन पार्टी ने एम० पी० बनवा कर पार्लियामेंट में भेज दिया। जिस आदमी ने पब्लिक लाइफ में गलत काम किया वही इतना अच्छा हो गया कि पार्लियामेंट में भेज दिया गया। यह आपके सोचने की बात है।

अनएम्प्लायमेंट के बारे में कहा गया। सही बात है कि अनएम्प्लायमेंट की बड़ी भयंकर समस्या है। उसको दूर करना आसान बात नहीं है। उसके लिये कई तरफ से कोशिश की जा रही है। इतने लोग हर साल अनएम्प्लायमेंट सेक्टर में तैयार हो जाते हैं, वहां एम्प्लायमेंट का मसला हल करना मुश्किल है। लेकिन हम लोग प्लान में इसके लिये कांशस हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो नक्शा है उसमें एजूकेटेड और वैसे लोगों को काम भी देने की कोशिश की जायगी। अनएम्प्लायमेंट को दूर करने के लिये मैन पावर मोबिलाइजेशन स्कीम चलाई है। गोरखपुर और मथुरा में २० हजार आदमी दो स्कीमों में लगे हुये हैं। आशा है कि २० लाख रुपये की स्कीम की इस साल जांच की जायगी सरप्लेस पापुलेशन वाले एरिया में कुछ और लोगों को एम्प्लायमेंट देने के लिये। लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ा प्रयास किया जा रहा है कि कुछ टेक्निकल एजूकेशन देकर लोगों को काम में लगाया जाय। इस साल १५ आई० टी० आईज० हमने और खोले हैं। १५ आई० टी आईज० पहले से थे। उनमें ५६००, करीब ६ हजार सीट उनका किया है और ६३ के अगस्त में हम आशा करते हैं कि १५ आई० टी० आई० और खोलकर के ५ हजार लड़कों को और सीट प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह इस प्लान तक ४५ हजार लड़कों को आई० टी० आई० से हम ट्रेंड करके निकालेंगे जो एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर में आहिस्ता-आहिस्ता एब्जार्व हो जायेंगे। फिर कुछ एमर्जेंसी की वजह से तीन-तीन महीने की स्कीम्स आयी हैं जिसमें ३ हजार लड़कों को सीट प्रोवाइड किया है और वह चालू हुआ है। उसको चालू करने में अनेक कठिनाइयां पड़ रही हैं, क्वाली फाइड स्टाफ नहीं मिलता, एक्विपमेंट नहीं मिलता, बिल्डिंग्स नहीं हैं, कोयलें-सीमेंट वगैरह की दिक्कत होने से बिल्डिंग्स हम खड़ी नहीं कर सकते, तो हमने कहा कि किराये के

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

मकान लो और एक जिले में अगर नहीं मिलता है तो अगले जिले में इस जिले का कोटा ले जाओ, जहां मकान किराये का मिल जाय। इस तरह से १५ इंस्टीट्यूट्स हमने शुरू किये। अगर बिल्डिंग बन जाने के इंतजार में रहते तो दो साल तक शुरू न कर पाते।

लेबर रिलेशन्स की बहुत शिकायत हुई। अब इसके आंकड़े तो मैं लेकर नहीं आयी हूं, लेकिन इसकी मुझे तसल्ली है कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल रिलेशन्स अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। एकाध केस तो जरूर होंगे और इंडस्ट्रियल कोर्ट्स में भी जायेंगे, लेकिन वैसे रिलेशन्स बुरे नहीं हैं। कहा गया कि Tripartite bodies के फैसले होते हैं वह माने नहीं जाते, जैसे कोड आफ डिस्पिलिन माना नहीं जाता है। या हाल ही में जो फैसला हुआ कि दोनों तरफ से मुकदमें कोर्ट से वापस लिये जायेंगे वह माना नहीं गया। यह सब फैसले वालन्टरी फसले हैं जिनकी केवल moral binding है। आशा यह की जाती है कि लोगों ने जो जबान दी है वह उसका पालन करेंगे। मेरे पास कोई कानूनी statutory पावर नहीं है जो मैं जबर्दस्ती उनको पूरा कराऊं। मैं उतना ही कर सकती हूं जितना कानून से मुझे अधिकार है, बाकी काम समझा-बुझा कर ही हो सकता है।

अब मैं थोड़ी-सी बातें इमर्जेंसी के बारे में कहूंगी। हम बड़े परेशान हैं। जो डिबेट हुई उसमें एक ही पार्टी के व्यक्ति एक जगह कहते हैं कि इमर्जेंसी हटा देनी चाहिये और दूसरी जगह कहते हैं कि इमर्जेंसी जरूर चलनी चाहिये। अगर इस तरह अलग-अलग बातें कहेंगे तो कैसे आपकी सलाह मानी जा सकती है। जैसे आप लोगों ने, सबने मिलकर एक सलाह दी, हम लोगों ने उसके मुताबिक मिल मालिकों को कर्जे की वसूली का नोटिस दे दिया। लेकिन एक बात बताइये कि इमर्जेंसी रहे या न रहे, यह पहले आपस में आप लोग फैसला कर लीजिये और उसके मुताबिक हमको एक सलाह दीजिये। आखिर लड़ाई की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। स्टेट्स की अपने हद तक जिम्मेदारी है। हमारी जो जिम्मेदारी है वह जिम्मेदारी हमने अपने-अपने तरीके से, चाहे कितने ही नाकाबिल हों, पूरी करने की कोशिश की। हम लोग प्रान्तीय रक्षा दल बना रहे हैं, विलेज वालंटियर्स फोर्स उसके मातहत बना रहे हैं, सिविल डिफेंस का कुछ आर्गनाइजेशन बना। इसके अलावा ट्रिपार्टाइट बाडीज है जो यह देखती है कि प्रोडक्शन पोटेंशियल का पूरा उपयोग हो, यह सब काम हमने किये ताकि इमर्जेंसी को चलाने के लिये जो-जो करना जरूरी है, वह किया जा सके। इसके अलावा और भी बहुत से काम किये हैं, मगर उन सारे कामों को आपके सामने इस समय रखा नहीं जा सकता। कुछ नाजायज क्रिटिसिज्म भी हमारा आप करते हैं। किसी ने कहा कि पी० आर० डी० की जो भरती की जा रही है वह पार्टीलाइन्स पर हो रही है। मैं तो जिले-जिले घूमी हूं। मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी और यह पी० आर० डी० का रेक्रूटमेंट पंचायत लेवेल पर कराया जा रहा है। वहां गांव सभा और पंचायत लेवेल पर जो उसके लिये कमेटी बनी है, उसमें है प्रधान और वह आदमी जिसने प्रधान के खिलाफ एलेक्शन लड़ा था। अगर तीन-चार कैंडीडेट थे तो प्रधान के बाद सबसे ज्यादा वोट जिसको मिले वह या अगर दो ही कैंडीडेट थे तो जो विरोध में लड़ा था वह। तो यह दोनों आदमी और इनके अलावा ये दोनों मिलकर कुछ और आदमियों को नामिनेट करेंगे और दलपति उसका सेक्रेटरी होगा। वही नक्शा क्षेत्र समिति में है। क्षेत्र समिति का प्रमुख और जो उसके विरोध में खड़ा हुआ था ये और दो-चार और लोग। तो इससे साफ जाहिर है कि कोई पार्टी लाइन पर यह कमेटियां नहीं बनाई गई हैं और विपक्ष वालों को भी इनमें पूरा प्रतिनिधित्व दिया गया है।

परन्तु हमारा प्रयास यह है कि लाखों की तादाद में लोगों को तैयार करें। उनको हम ट्रेंड करें और उनको हम गांव-गांव में ट्रेंड करें। इसका मतलब यह नहीं कि वे केवल सेक्योरिटी का काम करें। लोगों को अधिक से अधिक संख्या में होमगार्ड्स और प्रान्तीय रक्षक दल में भर्ती करें और अच्छी ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग केवल डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं मगर उनको

विकास के काम की ट्रेनिंग दी जाय। विस्तार पर वालन्टियर रहेंगे। उनका काम होगा श्रमदान का, विकास का और लोगों को संगठित करके एमरजेंसी के सम्बन्ध में सजग बनाने का।

लेबर बैंक के बारे में यहां पर क्रिटिसिज्म, किया गया कि वह तो फोर्स्ड लेबर है। यहां पर किसी काम को करना भी बड़ा मुश्किल है। आप देखें कि हमारे कितने लोग बेकार बैठे हुये हैं। वे कुछ नहीं कर पाते हैं और कुछ प्रगति नहीं कर पाते हैं। उनसे अगर श्रमदान लेकर उनसे वालन्टरी लेबर लें तो इसको फोर्स्ड लेबर कहा जाता है। आखिर यह हमारा मुल्क कैसे बनेगा? इस मुल्क की तरक्की के लिये कैसे रास्ता निकलेगा। आप उसको फोर्स्ड लेबर कहते हैं। मैं कुछ दिन पहले बस्ती गई। वहां पर एक बाढ़ वाला इलाका है। लोगों ने मुझे दो मील लम्बा एक बांध दिखलाया कि यह बांध श्रमदान से बना हुआ है। और प्रार्थना की कि इसके ऊपर एक रेगुलेटर लगा दिया जाय तो उससे हम अपने बाढ़ के एरिया की प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उन लोगों का इंटरेस्ट था। वह चाहते थे। उन लोगों ने अपील की अपनी तरफ से और उन लोगों ने अपने श्रमदान से अगर उसको बनाया और देश को आगे बढ़ाया तो इसमें देश का ही फायदा है। ऐसे श्रमदान को अगर आप लोग फोर्स्ड लेबर समझें तो मुल्क की तरक्की करना मुश्किल है। लेबर बैंक का मतलब है कि लोग अपनी तरफ से श्रम देने का प्रस्ताव करें और जब स्थानीय विकास के हित में उस की जरूरत पड़े तो प्रस्तावित श्रम का उपयोग किया जाय गांव सभा की तरफ से। यही हमारी भावना है लेबर बैंक के पीछे। स्थानीय हित के काम करने के सम्बन्ध में ही इन बैंकों का उपयोग किया जायेगा। इनकी लेबर कोई लखनऊ में लाकर काम में नहीं लगायी जायेगी। इसमें न कोई जबदस्ती है और न कोई अत्याचार।

अब रही लड़ाई की बात। इस विषय में बहुत बातें सदन में कही गई। एक तरफ से कहा गया कि एमरजेंसी की परिस्थिति अब नहीं है और एमरजेंसी हटा देना चाहिये। दूसरी तरफ से यह भी कहा गया कि एमरजेंसी की परिस्थिति में जिस ढंग से सरकार चल रही है उससे देश के लोग और डिस्प्रेस्ड हो गये हैं। लड़ाई की नीति के सम्बन्ध में फैसला कोई प्रान्तीय फैसला नहीं है वह तो अखिल भारतीय फैसला होता है। इसलिये उसका फोरम स्टेट एसेम्बली नहीं है बल्कि पार्लियामेंट है, तो भी देश के विकास से सभी लोगों का सम्बन्ध है इसलिये इस सदन में भी लोगों ने इस बारे में चर्चा की। इसलिये मैं दो चार बातें इस विषय में कहना चाहती हूं। एमर्जेंसी क्यों रखने की जरूरत है और तैयारी क्यों करने की जरूरत है वह हम सबको समझना चाहिये और वह हम तभी समझ सकेंगे जब कम्युनिस्ट चीन की असली प्रकृति को हम पहिचानेंगे। इन पिछले १४-१५ वर्षों के इतिहास पर अगर ध्यान दिया जाय तो प्रतीत होगा कि चीन की नीति हमेशा यह रहती है कि सामने से शांति की बात करें और पीछे से तैयारी करे। १९४९ में पीपुल्स रिपब्लिक आफ चायना को हिन्दुस्तान ने मान्यता दी। १९५० में चीन ने जब तिब्बत पर हमला किया तब हिन्दुस्तान को यह आफर किया गया कि हिन्दुस्तान चीन सीमा स्थिर (stabilise) कर देनी चाहिये। इस पर भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि हिन्दुस्तान और तिब्बत के बीच में जो रेखा है उसका किसी तरह उल्लंघन नहीं होगा, यह माना जाय। इसके बाद सन् १९५४ तक हिन्दुस्तान और चीन के बीच काफी मित्रता रही और १९५४ में हिन्दुस्तान ने तिब्बत में अपने extra tarritorial अधिकार चीन के हक में छोड़ दिये और और तिब्बत को चीन का एक हिस्सा माना। जैसे ही तिब्बत समस्या पर भारत की तरफ से चीन निश्चित हो गया तभी चीन ने अपनी शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियां शुरू कीं, जैसे चीन के नक्शों में हिन्दुस्तान के हिस्सों को अपना दिखाया गया। १९५४ और १९५६ के बीच यह बात हुई। १९५६ में जब चीन ने बर्मा के साथ समझौता किया और मेकमोहन लाइन को बर्मा और चीन की सीमा माना उस समय श्री चाऊ-एन लाइ ने यह सुझाव हमारी सरकार के सामने रक्खा कि जिस तरह से बर्मा के साथ सीमा का फैसला हुआ है उसी तरीके से यानी मैकमोहन लाइन के आधार पर ही चीन और भारत के बीच फैसला होगा। भारत थोड़ा निश्चित हो गया और चीन का आक्रमण १९५७ से

[श्रीमती सुचेताकृपालानी]

लद्दाख में शुरू हुआ और १२००० वर्ग मील जमीन वह हड़प गया। फिर १९५९ में ५०,००० वर्ग मील भूमि पर लद्दाख और नेफा में दावा किया। १९६०-६१ में उनके हमारे बीच में बातचीत होती रही और ज्यों ही यह बातचीत खत्म हुई चीन ने सितम्बर, १९६२ में नेफा में हमला किया और अक्तूबर २०, सन् १९६२ से उसने विस्तृत आक्रमण किया। २४ अक्तूबर को शांति अभियान किया। फिर १५ से २० नवम्बर, तक विस्तृत आक्रमण किया। नवम्बर २१ को एकपक्षीय युद्ध विराम किया और १ दिसम्बर को एक पक्षीय पीछे हटना शुरू किया।

यह सारी बातें दिखाती हैं कि वह कभी शांति की बातें करते हैं और फिर लड़ाई के लिये आगे बढ़ते हैं। शांति की बातें करनी उनका आवरण होता है आगे के हमले के लिये और इसलिये जवाहरलाल जी बार-बार कहते हैं कि एमरजेंसी है और हमें लड़ाई के लिये तैयार रहना चाहिये।

हमने लोगों को डिप्रेस्ड नहीं किया है। गरीब और अमीर सबने इसमें मदद की है और दे रहे हैं। गरीब को भी भारतवर्ष प्यारा है और अमीर को भी प्यारा है। अमीरों के लिये आप लोगों ने कहा तो उनसे भी कहा गया है। यह बात जरूर है कि गरीबों ने ज्यादा दिया और अमीरों ने कम दिया। लेकिन गरीबों ने खुद दिया है। उनसे जबरदस्ती नहीं लिया गया है। इक्का-दुक्का केसेज हों और जबर्दस्ती लिया गया हो तो उनके ऊपर सख्ती की जायगी। हमारी क्लियर हिदायत है कि किसी से जबर्दस्ती न लिया जाय। जब लोग अपने से देने को तैयार हैं तो जबरदस्ती करने का सवाल ही कहां उठता है। देवरिया ने दो मन सोना दिया है तो कोई जबर्दस्ती थोड़े ही हुई है। कोई औरत अपना सोना देती है तो वह मार से तो देती नहीं है अपने देशप्रेम के कारण देती है। तो लोगों में हिम्मत है, जोश है हमें या आपको डिप्रेस्ड करने की जरूरत नहीं है। बारबार जवाहरलाल जी ने इसीके लिये कहा है कि we have to be prepared हमको तैयारी रखनी है। आपने पढ़ा है, आप जानते हैं डिफेंस डिपार्टमेंट में कितना तबादला हुआ है। मेनन साहब थे उनका तबादला हुआ, कितने और लोग आये गये, लेकिन हमारी तैयारियां चलती ही गयीं। हम नेगोशियेट भी कर रहे हैं और हर तरीके से मिलिटरीली और डेप्लोमेटिक सभी तरीके से मुल्क को तैयार करना है ताकि हमारा सर दोबारा न झुके। तो इस वक्त यह कहना कि इमरजेंसी नहीं है, वह हट गयी, गलत है। चाइनीज कम्युनिज्म क्या चीज है क्या वह नहीं जानते कि कितना भयंकर है। चाइनीज कम्युनिज्म को पहचानिये। पिछले सालों सन् १९४९ से लेकर आजतक उनका क्या रवैया रहा है। यह समझ कर लोगों को तैयार रखिये, देश के उत्साह को बढ़ाइये और मजबूत रखिये ताकि मुल्क के ऊपर अगर दोबारा हमला हो तो हम उसका डटकर मुकाबिला कर सकें।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने मेरे संशोधन के पक्ष में या विपक्ष में बातें कीं। बोलने के पहले मैं एक बात बड़े स्पष्ट ढंग से कह देना चाहता हूं। लोगों को कुछ गलतफहमी है। मैंने अपने भाषण में कभी नहीं कहा कि इमरजेंसी नहीं है। मैंने कहा था कि आज कोल्ड वार में पार्टी हितों के लिये इमरजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है।

गृह उप मन्त्री (श्री नवलकिशोर)—

चलिये अच्छा हुआ, अब सही बात आपने कह तो दी।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

यह तो मुझे मालूम है कि माननीय नवल किशोर जी डिप्टी मिनिस्टर की हैसियत से कुछ और बोलते हैं और इस्टीमेट्स कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से कुछ और ही कहते

थे। मैं माननीय सुचेता जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सन् ५४ से ६२ तक के चीनी इतिहास को समझा। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद, देर में सीखा, सीखा तो कि सन् ५५ में "हिन्दी चीनी भाई भाई" क्या था? इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ माननीय गोविन्द सहाय जी की बौद्धिकता को सुनकर, भाषण की तो बहुत अपेक्षा उनसे मैंने नहीं की और वह यह कि "दैवो मीठ दादी मीठ" अपनी बात को धीरे से घुमा कर फिरा कर लाना। मुझे इसकी अपेक्षा उनसे नहीं थी कि इतने बुद्धिमान व्यक्ति, इतने सूक्ष्मदर्शी, बातों का इस तरह से गपड़चौथ करेंगे। बड़े जोरों में बोलते हुये कह गये कि जो लोग कि यह कहते हैं कि तिब्बत से चीनियों को हटाओ वह क्या करते हैं। वह यह बिलकुल भूल गये कि सुरक्षा की दृष्टि से यही करना होता है कि जो बेस होता है उसको नष्ट किया जाय। उनकी सरकार भी यह स्वीकार करती है कि हमारे ऐग्रेशन का बेस तिब्बत है और अगर हम सुरक्षा की दृष्टि उसके ऐग्रेसिव बेस को कहते हैं कि दूर करो तो उनकी दृष्टि से यह हम ऐग्रेशन करना चाहते हैं। घूमफिर कर चीन की बात को उन्होंने खुद ही यहां पर रख दिया। मैं उनके इस गुण के लिये उनको बधाई देता हूं और अगर यही ऐग्रेशन है तो फिर जो उनको प्रोत्साहन देने वाले हैं रूस, उन्होंने लटाविया, अल्बानिया, हंगरी आदि जो सारा ईस्टर्न यूरोप ले रखा है वह क्या है?

हमारे मित्र राय साहब हैं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। वह भाषण में बोल गये कि उपनिवेशवाद खड़ा हो रहा है। यह सही है कि आर्थिक उपनिवेशवाद नष्ट हो गया, परन्तु आइडियालाजिकल उपनिवेशवाद जो खड़ा हो रहा है, वह क्या है। रूस ने जो फिनलैंड से लेकर सारे इस्टर्न योरोप पर कब्जा कर रखा है वह क्या प्रेमालाप है? उपनिवेशवाद है और यह आइडियालाजिकल उपनिवेशवाद है जो देशद्रोहिता के चोंगे में रह कर उसे छिपाने का प्रयास हो रहा है।

श्रीमन्, सन् १९५९ में २८ से ३० दिसम्बर तक जो यहां चीन के आक्रमण के सम्बन्ध में प्रस्ताव आया था उसके विवाद की एक प्रति आपके कार्यालय से लाया हूं। उस प्रस्ताव पर माननीय चन्द्रजीत जी का एक संशोधन था जिसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। आपने संशोधन दिया था "माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस प्रस्ताव में यह संशोधन उपस्थित कर रहा हूं। प्रस्ताव में जहां कहीं भी चीनी कम्युनिस्ट सरकार आया है उसके स्थान पर 'चीनी लोकगण राज्य' रख दिया जाय और प्रस्ताव की पंक्ति चार में "आक्रान्ता तथा" शब्द निकाल दिये जायं। "उस समय वे चीन को आक्रान्ता मानने को तैयार नहीं थे, आज मजबूरी है। सारा देश कह रहा है कि वह आक्रान्ता है, 'आक्रान्ता' नहीं मानते हो तो देश से निकाल दिये जाओगे। तो यह मजबूरी थी कि जिससे उन्होंने वह बात मान ली और नारा लगा दिया कि वह आक्रान्ता है। लेकिन उनके महान नेता श्री डांगे से प्रश्न होता है तो वह कहते हैं कि 'दे काल एग्रेसर ईच अदर, व्हाट कैन आई से" आश्चर्य इस बात पर, इस बुद्धि पर। कब फिशपांड टेबिल हो गया और कब टेबिल फिशपांड हो गया यह समझ में ही नहीं आता। यह ठीक है कि बात साधारण समझ के बाहर की है और मैं बड़ा आभारी हूं डाक्टर अहमद साहब का। वे यहां पधारे नहीं हैं।

(हैं हैं की आवाजें)

तो यह मेरा सौभाग्य है। अब अंडर ग्राउण्ड हों तो मैं नहीं देख पाऊंगा। उन्होंने कहा कि डिफेंस पोटेंशियल की रक्षा होनी चाहिये। सही है, लेकिन उसकी रक्षा कैसे होगी? उसमें प्रोडक्शन भी है, सेना का आवागमन भी है, मोरेल भी है, सब है। उसकी रक्षा कैसे हो? क्या नेफा में और आसाम में जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ने किया, उस मार्ग से डिफेंस पोटेंशियल की रक्षा होगी?

(व्यवधान)

(क्या किया की आवाजें)

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

श्रीमन् आपके सेंट्रल इंटेलीजेंस ब्यरो की जो रिपोर्ट निकली थी उसमें था कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चीनी सरकार के लिये इंटेलीजेंस का काम कर रहे हैं....

(व्यवधान--झूठी बात है की आवाजें)

सुभाषचन्द्र बोस चीनी सेना लेकर के आ रहे हैं, इस का मुकाबला मत करो, यह परचे किसने बांटे ?

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--

मैं समझता हूं कि रिपोर्ट को और इस परचे को आप यहां पेश करें।

(व्यवधान)

श्री यादवेन्द्रदत्त--

श्रीमन्, सच बात कड़वी लगती है। वे सुनने को तैयार नहीं हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि डिफेंस पोटेंशियल की रक्षा आवश्यक है.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें। एक प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री झारखंडेराय--

मैं चाहता हूं और दुबे जी का आभारी होऊंगा कि जिस परचे और दस्तावेज की बात वह कह रहे हैं उसको कृपा करके यहां पढ़ कर सुना दें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री झारखंडेराय--

सेंट्रल इंटेलीजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट की चर्चा करना और उसकी एक लाइन भी यहां न पढ़ना, यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि यह बात फैब्रीकेटेड है, झूठ है, कंकाक्टेड है।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

सत्य बड़ा कड़वा होता है

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष

(सदस्यों से) देखिये बीच में ज्यादा इंटरप्शन करना ठीक नहीं है।

श्री यादवेन्द्र दत्त--

श्रीमन्, आखिर इन कम्युनिस्टों ने सन् १९४२ में क्या किया, वह भी किसी से छिपा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग कृपया शांत रहें और दुबे जी का भाषण सुनें।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

श्रीमन्, इन्हीं के दल के लोग प्रो चाइनीज कह करके जेल में भी बन्द हैं। आप देखें क इस दल में २ भाग हो गए हैं। एक भाग तो रूस के भक्तों का है और दूसरा भाग चीन के तों का है, परन्तु इस देश का कोई भक्त नहीं है। इसलिये इस दल पर। जिससे कि हमारे की सुरक्षा को खतरा है, प्रतिबंध लगाना ही चाहिये।

श

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय दुबे जी, आप अपना भाषण कृपया दो मिनट में समाप्त कर लें ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

यह कहा गया कि उधर से, मैं नाम तो भूल गया, कि यूनिटी में दरार डाली जा रही है । बड़ी आश्चर्यजनक बात कही गई, परन्तु मैं समय कम होने के कारण अधिक वादविवाद नहीं करता हूं । मैं तो यह कहता हूं कि जब आज देश में इतनी एकता थी तो फिर देश में अंग्रेजी की कंट्रोवरसी लाने की क्या जरूरत थी ? आप क्यों इसको फिर से लाये ? आपको यह मालूम था कि कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, तो फिर ऐसे विवादग्रस्त विषय को नहीं लाया जाना चाहिये था । यूनिटी में दरार तो आप स्वयं ही डाल रहे हैं ।

एक बात और कहूंगा कि कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार करके देश में एक प्रकार की दरार खड़ी कर दी परन्तु वह हमारे यहां का विषय नहीं है ।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)---

आपने समझदारी से काम लिया है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

बड़ी अच्छी बात है कि स्वनाम धन्य सूचना मंत्री की समझ में तो मेरी बात आई । एक बात की ओर मैं और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । फीरोज़ाबाद में जो चूड़ियों का व्यापार है, जो कि काटेज इंडस्ट्री के रूप में घर-घर में किया जा रहा है, आज उनको कोयला नहीं दिया जाता है । मेरे पास ऐसी सूचना आई है । परन्तु इसका परिणाम गलत हो सकता है और मैं चाहता हूं कि सरकार उस ओर ध्यान दे और वहां पर कोयला दिलवाये । इन शब्दों के साथ मैं सदन से यह पुनः आग्रह करूंगा कि वह मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, जो कि मैंने प्रस्तुत किया है ।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज उन लोगों को जिन्होंने मेरे प्रस्ताव के पक्ष में व्याख्यान दिये हैं और उन लोगों को भी खासतौर से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने प्रस्ताव की निन्दा की है, मैं सबको मुबारकबाद देता हूं । महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो बातें कहीं, उनका मुझे कहीं भी काट दिखाई नहीं देता है । उन्होंने ३-४ बातें कहीं, वह बिलकुल स्पष्ट हैं । इस वक्त देश पर आपत्ति है और इमर्जेंसी की स्थिति है, इसलिये सुरक्षा की आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता के लिये धन चाहिये और धन के लिये उत्पादन चाहिये और उत्पादन के लिये हमको मिलकर एक साथ कदम बढ़ाना होगा, दैट इज़ आल । उनके सम्भाषण में केवल यही था । श्रीमन्, जो संशोधन आये हैं, इसको तो कहीं पर काट नहीं मिलती, जब कि ध्येय एक ही है । फिर दो बातें कहां रह गये, अब जहां पर दो बातें और आपस में झगड़ा हुआ वहीं पर क्षति हो गयी । कहा गया कि इमरजेंसी को समाप्त कर देना चाहिये । बिलकुल ठीक बात है, लेकिन समाप्त करने के माने क्या हुए ? कोई तैयारी मत करो, कोई कानून लागू मत करो, इस समय शांति है, कोई लड़ाई नहीं है, जो चीन ले चुका वह ले चुका, अब शांति से घर बैठकर सो जाओ । एक तरफ तो घर बैठ कर सोजाओ और दूसरी तरफ कहा जाता है कि चीन पर आक्रमण कर दो, तिब्बत पर आक्रमण कर दो, तुम्हारी बुजदिलों की सी बातें हैं । तो यह विरोधाभास है । एक तरफ संशोधनों में इमर्जेंसी हटाने की बात कही गयी है और दूसरी तरफ जमीनों को वापस लेने की, मुल्क वापस लेने की बात कही जाती है । ये बातें बाहर जायंगी तो दुनिया मजाक उड़ायेंगी ।

दूसरी बात यह कही गयी कि हमारी प्रांतीय सरकार बड़ी बुजदिल और सड़ी-गली है और पिट कर आयी है । मैं तो दंग रह गया । एक साहब ने तो कह दिया कि एक कैदी नहीं पकड़ सके चीन का । मालूम होता है कि वह इतिहास नहीं जानते, अखबार नहीं पढ़ते, जहां जहां हमारा एक हिन्दुस्तानी सिपाही मारा गया वहां उनके ४ आदमी मारे गये, उसको चीन

[श्री नौरंगलाल]

वाले खुद मानते हैं। तो एक तो अपनी फौज का मारल गिराना कि कोई चीनी पकड़ा नहीं गया, कुछ नहीं किया, यह गलत है और मैं प्रोटेस्ट से कहूंगा कि ऐसी चीजों को हर एक सदस्य को कंडेस करना चाहिये, यह फौज का अपमान कोई बरदाश्त नहीं कर सकता। जहां तक सड़ी-गली सरकार होने का प्रश्न है, तो उसको यह भूलना चाहिये कि जो सरकार चुनाव के बाद होती है वह देश का सर होती है। हमारी सरकार निकम्मी है, हम कमजोर हैं, फौज कमजोर है, इसके माने यह हैं कि हमारा भेजा खराब है, क्योंकि गवर्नमेंट ही किसी कंट्री का दिमाग और सर होती है और बाहें फौज होती है यदि वह टूटी हुई हैं, सर खराब है और आप कहते हैं कि तिब्बत जीतो, चीन जीतो। यह कैसे हो सकता है? मैं अदब से कहना चाहता हूं कि अगर आज दुनिया में कोई लीडर है जो दिमाग रखता है, जो सोचता है, समझता है वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। (तालियां) और, उपाध्यक्ष महोदय, जब तक जवाहरलाल कायम हैं हिन्दुस्तान के अन्दर आप तमाशा देखेंगे कि आप हार जायं, लेकिन दुश्मन पीछे हटेगा, पीछे हटेगा---यह जवाहरलाल की करामात है, दुनियां में कोई ऐसा जादू पैदा करके नहीं दिखा सकता और जवाहरलाल के बाद अगर हिन्दुस्तान में कोई जमाअत है जो इस लड़ाई को कामयाबी के रास्ते पर ले जा सकती है तो वह कांग्रेस है और कोई जमाअत नहीं है---यह मेरा दावा है।

कहा गया कि कलेक्शन में ज्यादती हुई। यदि यह वाकई सच है तो जिस अफसर ने ज्यादती की वह देशद्रोही है, उसको निकाल देना चाहिये। हर माननीय सदस्य को अख्तियार है, सदस्य होने की हैसियत से वह कह सकते हैं कि चन्दे में ज्यादती हुई है, लेकिन यह अन्याय है सरकार के प्रति। इससे पहले कि पब्लिक में या यहां पर स्पीच दी जाय, पहले विभागीय मंत्री या डिपार्टमेंट के हेड से शिकायत की जाय और वहां सुनवाई नहीं होती तब आपको अख्तियार है कुछ कहने का। आप चेष्टा न करके यहां सिर्फ कंडेम करते हैं, यह मुनासिब नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं एक बात और कहूंगा, वैसे कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता था। आज की जो कार्यवाही है उसको दोस्त और दुश्मन दोनों ही देख रहे हैं। ऐसी सूरत में यह निहायत अदब के साथ निवेदन करूंगा कि जो परम्परा हमने अक्टूबर में रखी, उसी को हमें आज भी कायम रखना चाहिये। कट् सें कट् आलोचना हो गयी, आपने अपनी बातें कह लीं, इसलिये जो पहले आपने पैर से पैर मिला कर, मिल कर चलने की भावना व्यक्त की थी, उसी को आज भी कायम रखना चाहिये, तोड़ना नहीं चाहिये। मैं फिर यह निवेदन करूंगा कि आप भगवान् के वास्ते, इस मुल्क के वास्ते, अपने संशोधनों को वापस ले लीजिये, और अगर आपने वापस नहीं लिये तो हम आपको क्षमा कर देंगे, गुप्ता जी आपको क्षमा कर देंगे, मगर इतिहास आपको क्षमा नहीं करेगा।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने तमाम भाइयों का जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया है बड़ा आभारी हूं। कब्ल इसके कि मैं कुछ कहूं, मुझे यह बता दिया जाय कि मुझे कितना समय मिलेगा.....

श्री उपाध्यक्ष---

आधा घंटा।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

तीन दिन से मैंने अपने साथियों की बातों को सुना। बहुत कुछ काम तो हमारे भाई गोविन्दसहाय जी ने तथा श्रीमती सुचेता जी ने हल्का कर दिया। जहां तक आइडियालिस्टिक बातों का ताल्लुक है, उस पर काफी बहस हो चुकी है। मैं तो प्रैक्टिकल चीजों की तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा करूंगा।

सबसे पहले तो मैं श्री राज्यपाल महोदय के प्रति जो यहां व्यवहार किया गया, उससे मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे और मित्रों को भी हुआ। उससे कोई फायदा हिन्दी भाषा को नहीं हुआ, उससे नुकसान ही पहुंचा है। एक बात के लिये मैं अपने भाई कुंवर श्रीपालसिंह का

आभारी हूं कि उन्होंने इसके लिये स्ट्रांग प्रोटेस्ट किया । मैं उन सबका आभारी हूं जिन्होंने इसके लिये अफसोस जाहिर किया । लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि माननीय दुबे जी ने, जो लीडर आफ अपोजीशन हैं, जिनकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इतना बड़ा वजन है, उन्होंने एक लफ्ज भी इसके लिये नहीं कहा जिससे यह इम्प्रेशन हुआ कि वह उसको इंडोर्ज करते हैं, खैर, उन्हीं के दल के कुंवर श्रीपालसिंह ने अपनी प्रोटेस्ट जाहिर की, उससें मेरी तकलीफ कुछ कम हो गयी ।

इसके बाद मुझे एक बात कहना है। पहले भाषण में हमारे राजा साहब लीडर आफ अपोजीशन, ने यह कहा कि इमरजेंसी हट जानी चाहिये और उसका इम्प्रेशन पूरे सदन पर और प्रेस पर क्या हुआ उसके लिये आज के नेशनल हैरेल्ड के एडीटोरियल को देख लिया जाय ।

एक सदस्य—

कार्टून निकला है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कार्टून भी निकला है, और कार्टून तो यहां मौजूद है (हंसी) जब उन्होंने यह कहा कि इमर्जेंसी हट जाय तो मेरी तरफ के लोगों को यह शक पैदा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाऊ माऊ ने राजा साहब को एक खत लिखा हो कि अब इमर्जेंसी नहीं है । लेकिन जब दूसरी बार राजा साहब की तकरीर को सुना तो यह समझ में आया कि नेशनल हैराल्ड के एडीटोरियल आदि पढ़ने के बाद उन्हें कुछ सदबुद्धि आई और उन्होंने उसको कंट्राडिक्ट करने की कोशिश की, तो भाई शारदाभक्तसिंह ने कल नमक-अदाई करने की कोशिश की जब उन्होंने कहा कि यह मतलब नहीं था । मालूम होता था कि कचहरी में बहस कर रहे थे। यह क्लायेंट्स की महफिल नहीं है, बड़े बड़े राजनैतिक खिलाड़ियों की है। सब समझते हैं कि किस बात को कितना वजन देना चाहिये । लेकिन, खैर, राजा साहब ने आज कह दिया कि इमर्जेन्सी है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

है, लेकिन उसका पोलीटीकल मिसयूज न कीजिये ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अगर पोलीटीकल मिसयूज होता तो नहीं मालूम आप में से कितने जेल में होते। हमारे मित्र ने कहा कि जन संघ के लोग चन्दा जमा करने में रुकावट डाल रहे हैं लेकिन हमने उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की ।

हमने सोचा था कि इमर्जेन्सी के समय विवाद दूसरे ढंग का होगा । लेकिन संशोधनों की लिस्ट पढ़ने से हमें ऐसा लगा कि वही पुराना तरीका अखित्यार किया गया, खासकर राजा साहब के संशोधन से, और उससे हमारे ऊपर यह इम्प्रैशन हुआ कि राजा साहब एक चार्टर आफ डिमांड्स छपवाये हुये हैं और मौका आने पर उसे नत्थी कर देते हैं । उनका संशोधन पढ़कर और उनकी तकरीर सुनकर मुझे एक जुमला याद आता है कि ही कन्सीव्ड मच बट डैलीवर्ड नथिंग । (He conceived much but delivered nothing.) पहली इनिंग में और दूसरी में भी कोई दिलचस्पी नहीं आई और बेकार साबित हुई । कोई इम्प्रैशन सदन पर नहीं हुआ । इमर्जेन्सी के जमाने में लीडर आफ अपोजीशन की ऐसी तकरीर ! कोई साधारण सदस्य कह जाय तो ताज्जुब की बात नहीं है । लीडर आफ अपोजीशन की बड़ी जिम्मेदारी होती है । काउन्टरपार्ट होता है । जब कभी यह सरकार हटे तो उनका फर्ज हो जाता है कि गवर्नमेंट बनावें । लेकिन ऐसा मौका कभी मिलेगा नहीं । राजा साहब ने उधर तो कहा कि इमर्जेन्सी खत्म करो और इधर कहते हैं कि केबीनेट का साइज कम करो । ब्लोइंग हाट ऐंड कोल्ड इन दी सेम ब्रेथ । (Blowing hot and cold in the same breath.) हमने ऐसी कंट्रेडिक्टरी तकरीर नहीं सुनी । उन्होंने कहा कि जनता का मनोबल बढ़ाओ । मैं यह पूछना चाहता हूं कि केबीनेट बनाने का आपको राइट है । नहीं है चीफ मिनिस्टर का राइट है संविधान में । सुचारू रूप से स्टेट का काम चलाने के लिये जो वह मुनासिब समझेगा वह कैबीनेट बनावेगा । इसमें कोई डिक्टेशन नहीं चलेगा । आपके लिये एक चारा है कि

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

आप नो-कानफीडेंस लाइये और इस सरकार को हटाकर नयी सरकार बनावें । लेकिन क्या आपकी मर्जी से हम मिनिस्टर बनावेंगे जिससे आपके मेल वाले आकर अन्डरमाइन करें ? इस बात को छोड़ दीजिये और इसको मुख्य मंत्री के लिये रहने दीजिये । उनके ऊपर हाई कमांड भी है, वह उनसे सलाह मशविरा कर लेंगे । उसके बाद भाई उग्रसेन जी को किस पार्टी का लीडर कहूं, सोशलिस्ट पार्टी का या संयुक्त पार्टी का, समझ में नहीं आता । जब पहले मरजर हो रहा था तो यह सुना गया कि उग्रसेन जी लीडर हो गये और बलवानसिंह जी डिप्टी लीडर हो गये लेकिन इन दो तीन रोज से देख रहा हूं कि इधर उधर हो रही है । मैनेजर सिंह कभी यहां बैठते हैं तो कभी वहां बैठते हैं, इससे मेरा इम्प्रेशन यह हुआ है कि अभी मर्जर हुआ नहीं है । इसका एक एवीडेंस भी है कि संयुक्त पार्टी के लीडर की हैसियत से उग्रसेन जी २० मिनट बोले लेकिन बाद में बलवानसिंह जी भी २० मिनट बोले जब कि डिप्टी लीडर की हैसियत से उनको केवल १० मिनट ही बोलना चाहिये था । यह उसका एक सबूत है। लेकिन उनके आपस में मेलजोल हो, इसका कोई वास्ता नहीं है, चाहे गठबंधन करें चाहे तोड़ें, यह तो उनके कौलफेल की बातें हैं । जब इतनी सी चीज वे तय नहीं कर पाते हैं तो फिर राज्य के मामलों को वे कैसे तय करेंगे ? (शोर)

माननीय बलवानसिंह जी ने एक बात कही जिससे गोविन्द सहाय जी को बड़ी तकलीफ हुई । उन्होंने कहा कि हम चीन से नहीं जीतेंगे इस पर गोविन्दसहाय जी कह गये कि यह क्या कार्डिस की बात है। लेकिन उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी? अभी तो वे मैदानेजंग में आये हैं, पहले पहले कदम रखा है । पहले तो आदमी घबराता ही है । स्वतंत्रता संग्राम में जब शांतिमय तरीकों से लड़ते थे तो कुछ लोग घबड़ा जाते थे लेकिन यहां तो गोली का मामला है, वह तो सीने के आर पार निकल जाती है । लेकिन यह बात मुनासिब नहीं मालूम होती है । इससे जनता का मनोबल कम होता है । यदि सदन का मनोबल कहीं कमजोर हो गया तो बड़ी गड़बड़ी हो सकती है । लिहाजा मैं बलवानसिंह जी से कहूंगा कि अब तो जबान से बात निकल गयी, आगे अहतियात रखें ।

हमारे दूबे जी ने फिरोजाबाद की चूड़ियों की शिकायत की । उसका हम इन्तजाम करेंगे । आपकी वह शिकायत फूलसिंह जी से कह कर रफा करा दी जायगी ।

भानुप्रताप जी ने भी कुछ बातें कहीं, मैं उस समय था नहीं । उनके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता । वे तो किसी के बिहाफ पर बोलते हैं । राजा राघवेन्द्रप्रताप किसी चीज की नोटिस देते हैं लेकिन क्योंकि ऐसे कड़े मामलों के चक्कर में वे पड़े नहीं हैं इसलिये उन्होंने चतुरता की ओर वे उनके ऊपर बोझ रख कर चले गये । उनकी इस चतुरता के लिये मैं उनको बधाई देता हूं । उन्होंने बकाया वसूल करने की एक शिकायत की । ठीक है, वसूलयाबी तो होगी ही, जब कभी याद आ जायगा तभी होगी ।

अभी एक साहब ने कहा कि सी० पी० आई० से कांग्रेस की शादी हो रही है । सोशलिस्टों की पी० एस० पी० से शादी हो रही है तो हमने तो उसका बुरा माना नहीं, फिर आप क्यों बुरा मानते हैं ? अगर हमारी शादी हो जाय तो इसमें आपकी क्या बुराई है ? ये सब छोटी-छोटी बातें हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जितनी पार्टीज हैं उन सब की मदद और सहयोग चाहते हैं, चाहे वह कम्युनिस्ट पार्टी हो, सोशलिस्ट पार्टी हो, पी० एस० पी० हो, जनसंघ पार्टी हो, रिपब्लिकन पार्टी हो या श्री भगवान् सहाय की पार्टी हो, जिसका नाम मैं नहीं जानता । मैं सब पार्टीज का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं और उनसे नम्र निवेदन करता हूं कि इस संकट के समय में वे जुट कर देश की रक्षा के कामों में हाथ बटावें ।

अबकी बार के विवाद में एक बड़ी दुखद बात यह हुई कि अपोजीशन पार्टी की हर पार्टी ने एक दूसरे पर हमला किया और इसका नतीजा यह हुआ कि जो अपने अच्छे-अच्छे सुझाव वे सरकार को दे सकते थे न दे पाये । यह तो वैसी ही लड़ाई थी जैसे सौत सौत में लड़ाई होती है

कि एक दूसरे को बुरा कहती है । इस तरह का दृश्य जो यहां देखने को मिला उससे इस सदन की कोई मान मर्यादा बढ़ी नहीं है और न तो डिबेट का स्तर ही ऊंचा हुआ है । राजा साहब भी खुद इस बात को तसलीम करते हैं और कल किसी से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि डिबेट का स्तर अच्छा नहीं रहा है । आखिर हम अच्छे-अच्छे आदमी कहां से ढूंढ़ कर लावें ? मैं तो सबको अच्छा आदमी ही समझता हूं ।

राजा साहब ने यह कहा कि डी० आई० आर० का बड़ा दुरुपयोग हुआ है, ऐसे हम लोग गवर्नमेंट के साथ हैं । मुझे भी दो एक मीटिंग में जनसंघ वालों के साथ ही बोलने का मौका मिला और मैंने वहां देखा कि जब उन्होंने तकरीर शुरू की तो यही कहना प्रारम्भ किया कि जवाहरलाल की यह गलती है, तिब्बत में यह गलती की गयी तो क्या यही आपका साथ और सपोर्ट है ? क्वालिफायड सपोर्ट कोई सपोर्ट नहीं होता । श्री पीताम्बर दास जी कौंसिल में जनसंघ के नेता हैं और हमारे बड़े मित्र हैं उन्होंने एक किताब से कोट किया था--

"I will have great pleasure if the Prime Minister is replaced by a crafty Prime Minister."

इसका मतलब यह हुआ कि वे क्रेफ्टी प्राइम मिनिस्टर को पसन्द करते हैं । यह है भारतीय संस्कृति का नमूना ! हमारे यहां देवता की पूजा बराबर होती रही है लेकिन वे नहीं चाहते हैं कि देवता की पूजा हो, बल्कि क्रैफ्टी मैन की पूजा हो । यह संस्कृति जनसंघ को और उनको ही मुबारक हो । . . . .

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

आप तो सेकुलरिज्म को मानने वाले हैं, आप क्या पूजा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

पूजा करना क्या कोई आपकी बपौती है ? हर आदमी का फर्ज है कि वह अपने अकीदे के अनुसार जिसकी चाहे पूजा करे । इसका सच्चे दिल से और तन मन धन से सपोर्ट करना चाहिये । लेकिन यह प्रयास तो बिलकुल निरर्थक साबित हुआ, और होगा कि लीडरशिप को बदल दिया जाय । क्या यह अक्लमंदी की बात है ? (To change the horse in mid stream) मैं समझता हूं कि कोई बेवकूफ ही इस तरह की बात कर सकता है। हमारे हिन्दुस्तान में अक्लमंदों की तादाद बहुत काफी है लिहाजा यह प्रयास जिससे देश को नुकसान पहुंचे कोई नहीं करेगा ।

श्री मुकन्दी लाल जी ने गढ़वाल व कुमायूं में सैनिक स्कूल खोलने की बात कही । उनका सुझाव तो बहुत अच्छा है जिस पर विचार किया जा सकता है और किया जायगा, लेकिन मैं अभी से कुछ कैसे कमिट कर लूं ? इस वक्त यही मैं कह सकता हूं । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

श्रीमान्, नेता सदन ने कहा था कि इस समय ८ फरवरी की छुट्टी के विषय में यह बतायेंगे, वह कृपा कर बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रस्ताव खत्म हो जाय उसके बाद बताया जायगा । अब मैं इसके संशोधन नहीं पेश कर रहा हूं, पहले मैं प्रस्ताव ही पेश करता हूं । अगर वह पास हो जायगा तो संशोधन पेश नहीं किये जायंगे और वह अस्वीकृत हो जायंगे ।

एक सदस्य--

यह नया तरीका है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह नया नहीं है, बराबर ऐसा होता रहा है ।

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुये हैं, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हैं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नार्दर्न इंडिया केनाल ऐंड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३

श्री उपाध्यक्ष---

अब एक नोटिस है जिसमें सिंचाई मंत्री जी एक बिल पेश करना चाहते हैं जिसकी मैं इस समय इजाजत दे रहा हूं, अभी काफी समय है भी ।

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नार्दर्न इंडिया केनाल ऐंड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब तक हमारे सामने यह बिल टेबिल पर रखा न जाय तब तक इस तरह से नहीं होना चाहिये क्योंकि इसको पेश करने के माने यह होंगे कि जो ३ दिन का समय हमें विचार के लिये मिलता है उसमें से एक दिन का समय घट जायगा । इसलिये हमारी रक्षा होनी चाहिये और जब तक यह टेबिल पर हमें नहीं मिलता तब तक यह नहीं पेश होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

वह पीजिन होल में भेज दिये गये हैं, बहस भी इस पर कहीं जाकर ११ तारीख को होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

यह अभी मेज पर नहीं रखा गया है ।

श्री उपाध्यक्ष---

वह अभी-अभी भेजा गया है, पहुंच गया होगा । यह ११ तारीख से पहले, जिसके अभी ४ दिन हैं, नहीं लिया जायगा; लिहाजा कोई ऐसी बात नहीं है कि आप को समय कम मिले ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, हमें प्रोग्राम तो बता दिया जाय कि पहले कौन से विधेयक लिये जायंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---

वे ४ विधेयक हैं, अभी बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी बैठेगी उसमें तय हो जायगा और सबको उसकी सूचना हो जायगी ।

श्री कमला सिंह यादव---

श्रीमन्, जब पता ही नहीं चलेगा कौन विधेयक पहले आने वाला है और उस पर संशोधन ही हम समय से न दे सकेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी ।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी बता देंगे ।

प्रश्न यह है कि नार्दर्न इंडिया केनाल एन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राममूर्ति—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से मैं नार्दर्न इंडिया केनाल एन्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ड०' आगे पृष्ठ ३२०–३२९ पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं यह सूचना दिये देता हूं कि इस पर विचार ११ तारीख को होगा :

कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त तक सदन के सामने २ विधेयक पेश किये जा चुके हैं, एक तो है उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३, दूसरा है हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (संशोधन) विधेयक, १९६३ और तीसरा है मोटर गाड़ी (यात्री-कर) संशोधन विधेयक, १९६३–इन पर विचार किया जायगा । मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे नेता विरोधी दल ने जो कल की छुट्टी का सुझाव दिया था उसके विषय में मैंने उनसे निवेदन किया था और मेरे प्रस्ताव को कुछ दूसरे माननीय सदस्यों ने मान भी लिया था, यदि इन दोनों बिलों को आज ही स्वीकार कर लिया जाय एक तो अंतरिम परिषद की अवधि बढ़ाने से सम्बन्धित है और दूसरा हस्तिनापुर से सम्बन्धित है, कल आसानी से छुट्टी हो सकती है । वरना बजट का कार्य-क्रम काफी है । माननीय नेता विरोधी दल, कृष्णपालसिंह जी और बलवान सिंह जी यही चाहते थे । नहीं तो कल अधिवेशन होगा ही ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

डाक्टर सीताराम अगर राजी हो जाय कि कल छुट्टी न हो तो बनारसी दास जी छुट्टी न दें ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

जो बात हुई थी उग्रसेन जी के सामने और शायद बलवान सिंह भी थे । यह जो बार-गेनिंग की बात है यह उचित नहीं है । जिला परिषद आर्डिनेंस पर बहुतों को बोलना है, मैंने भी कहा था, सब से बात कर लीजिये और कल की छट्टी सरकार को स्वीकार करनी चाहिये, बार-गेनिंग का क्या प्रश्न उठता है ?

श्री बनारसीदास—

माननीय विरोधी दल के नेता मेरे प्रस्ताव से सहमत थे और उप नेता भी उनके थे । अन्यथा बजट का कार्यक्रम पहले से निश्चित है, ऐप्रोप्रीएशन बिल भी समय के अन्दर पास करना है । मैं यह चाहता था कि कल को छट्टी हो और वह भी इससे सहमत थे । जो बिल पेश किया जानेवाला है इसमें केवल अवधि बढ़ाने का प्रश्न है, कोई वाद विवाद का प्रश्न नहीं है । मूल अधिनियम बन चुका है जिसके मातहत जिला परिषदें बनेंगी, उस पर सभी सदस्य विचार व्यक्त कर चुके हैं । यह तो केवल ३० जून तक, जब तक चुनाव नहीं होता, तब तक समय बढ़ाने की बात है । अगर वास्तव में नेता विरोधी दल छट्टी चाहते हैं तो आज एक घंटा बैठ जायं और इनको पास कर लें दोनों बिलों को ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

मुझे आश्चर्य है कि एक बात उन्होंने गलत कही कि मैं राजी था । जो राजी की बात थी वह यह कि थी आज हस्तिानापुर को पास कर लें कि जिला परिषद् के बारे में कहा था कि इस पर लोगों को विवाद करना है । जब चलने लगे तो मैंने कहा कि जिला परिषद् के बारे में राजी नहीं, हूं, मालूम नहीं कैसे दोनों के बारे में उन्होंने रजामन्दी मान ली ।

श्री बनारसीदास---

मुझे खेद है माननीय दूबे जी असत्य बोल रहे हैं, वहां पर इसका जिक्र आया। माननीय कृष्णपालसिंह जी मौजूद हैं इन्होंने माना कि दोनों बिलों पर कोई विवाद की गुजांयश नहीं है। आपने यह जरूर कहा कि लोगों से बातें कर ली जायं यदि उनको आपत्ति नहीं है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

मेरी और बनारसीदास जी की जहां बात हुई वहां लखनऊ के मेयर थे, बसन्तलाल थे और शायद एक सज्जन और थे, हमारे उपनेता वहां नहीं थे। मैं नहीं जानता कैसे बनारसीदास जी ने कहा कि मैं राजी था।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

श्रीमन्, बनारसीदास जी की तरफ से और इधर से बार-बार गलत आरोप लगाया जाता है। तो मेरी प्रार्थना है कि जब ये लोग आपस में बैठें तो लिखत-पढ़त में बैठें ताकि जब कोई गलती करे तो पकड़ में आ जाय।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

जिन बिलों को माननीय सूचना मंत्री ने विचार करने के लिये हाउस में कहा है मैं जानना चाहता हूं कि उनका क्रम क्या होगा, कौन बिल पहले लिया जायगा और किस क्रम से लिये जायंगे।

श्री बनारसीदास---

क्रम तो यही होगा कि पहले अन्तरिम परिषद् लिया जायगा, फिर हस्तिनापुर और फिर मोटरगाड़ी यात्री-कर (संशोधन) विधेयक लिया जायगा। इसी क्रम से ये पुरःस्थापित किये गये और इसी क्रम से इन पर बिचार होगा।

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और कल साढ़े १० बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १९ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
७ फरवरी, १९६३।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४७ पर)

विवरण

२३-१२-६२ को लगभग ११ बजे रात में दारुलशफा के केयरटेकर ने पहले टेलीफोन द्वारा फिर लिखित रिपोर्ट द्वारा हजरतगंज पुलिस को सूचना दी कि कमरा नं० ६७ ब्लाक "बी" दारुलशफा में एक वेश्या कहीं से लाकर रखी गयी है और सर्वश्री विनोदकुमार, राजेन्द्रकुमार गुरमोहनसिंह, राजेन्द्रसिंह अरोड़ा बारी-बारी से व्यभिचार कर रहे हैं। सूचना पाने पर इन्सपेक्टर हजरतगंज स्पेशल पुलिस औफिसर की आज्ञा लेकर दारुलशफा पहुंचे और ११-३० के आसपास वहां से नसीमजहां नामक एक औरत को जो चौक की रहने वाली है, गिरफ्तार किया। इस स्त्री को केयरटेकर ने पहले से पकड़ रखा था। केयरटेकर ने राजेन्द्रकुमार तथा विनोदकुमार को भी पुलिस के हवाले किया। इस संबंध में थाना हजरतगंज में एक मुकदमा धारा ७ सप्रैशन आफ इम्मौरल ट्रैफिक इन वीमेंन एन्ड गर्ल्स ऐक्ट, १९५६ के अन्तर्गत कायम किया गया।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५० पर)

श्रीयुत-

श्री चन्द्रबलीसिंह जी, एम० एल० ए०, सोशलिस्ट पार्टी,
विधान सभा भवन, लखनऊ ।

निवेदन है कि प्रार्थी गत पचीसों वर्षों से राजनैतिक कार्यकर्त्ता है अपने राजनैतिक जीवन के कारण अनेकों बार जेल यात्रा कर चुका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रार्थी सोशलिस्ट पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है और जिला कार्य समिति का सदस्य है तथा सोशलिस्ट पार्टी की ओर से विगत चुनाव में विधान सभा के लिये उम्मीदवार भी रहा है।

प्रार्थी का आज तक का जीवन, प्रत्येक प्रकार के अत्याचार, शोषण व भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ते ही बीता है। प्रार्थी उस क्षेत्र का निवासी है जिसका एक अपना ही इतिहास है। वह है मधुवन क्षेत्र। ४२ के राष्ट्रीय आन्दोलन की पुन्यभूमि मधुवन आज बढ़ते हुए अपराध चोरी-डकैती, हत्या तथा अनेक प्रकार के अपराधों की क्रीड़ास्थली है और इस सब के पीछे हाथ है पुलिस विभाग का भी जिनके आश्रय व शरण में असामाजिक तत्व रक्त बीज केसमान बराबर बढ़ते जा रहे हैं।

सन् १९५८ के पुलिस रिकार्ड के अवलोकन से सिद्ध हो जायेगा कि मधुवन क्षेत्र में कितने संगीन अपराध छोटे-छोटे जुर्मों के अलावा हुए जिनकी रिपोर्ट दर्ज है। वे अपराध जिनकी रपट थाने में दर्ज ही नहीं हुई जिनके विषय में क्षेत्रीय सोशलिस्ट पार्टी ने सप्रमाण नोटिस छपवाकर पुलिस के उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और पुलिस संगठन के आश्रय में बढ़ते हुए अत्याचार के विरोध में सोशलिस्ट पार्टी की एक वृहत सभा २८ मार्च, ५८ को मधुवन में आयोजित थी जिसमें सम्मिलित होनेके लिये जाते हुए प्रार्थी पर पुलिस के षड़यन्त्र से परशुरामसिंह डाकू तथा उसकी गोल वालों ने दिन दहाड़े प्राणान्तक हमला किया। महीनों अस्पताल में रहने के पश्चात् किसी प्रकार प्राण बचा। प्रार्थी के ऊपर हुए इस आक्रमण के विषय में कार्य स्थगन प्रस्ताव भी पेश हुआ। इन सबका परिणाम नाममात्र के लिये हुआ कि पुलिस के भ्रष्टाचारी अधिकारी जो इस आक्रमण के लिये जिम्मेदार थे उनका स्थानान्तरण दूसरे स्थान के लिये हो गया।

मधुबन क्षेत्र के नामी गुन्डा परशुरामसिंह को मधुवन पुलिस का आश्रय प्राप्त होता रहा है। वह पचीसों डकैती, कत्ल व संगीन अपराधो का अभियुक्त रह चुका है। किन्तु पुलिस की कर्त्तव्यहीनता व पक्षपात से अपराधों की तफतीश करने के कारण वह न्यायालयों से छूटता रहा है।

इधर मधुवन क्षेत्र की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। और विशेषतः ग्राम सिकरीकोल में जहां का उक्त परशुरामसिंह निवासी है घोर अराजकता का तान्डव नृत्य हो रहा है। गत २१ मार्च, सन् ६२ ई० को परशुरामसिंह तथा उसके दल के लोगों ने भूतपूर्व प्रधान भुखा राम को दिन दहाड़े घर से खींच कर लाठी बल्लम से बुरी तरह घायल करके हाथ पैर तोड़ दिया व उसके मृत प्राय जीवित शरीर को समाप्त करने जा रहे थे। किन्तु गांव वालों के संगठित होने पर किसी प्रकार उसका प्राण बचा। उक्त मुखाराम उक्त परशुरामसिंह तथा उसकी गोलबालों के विरुद्ध पुलिस का गवाह रह चुका है और कुछ माह पूर्व थानेदार जगदीशसिंह द्वारा परशुरामसिंह को गिरफ्तार करने में उनकी सहायता की थी तथा उनकी प्राण रक्षा भी की थी। प्रार्थी ने इस विषय में पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ से बातें की जिस पर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल ही ग्राम सिकरौली में सशस्त्र पुलिस की एक टुकड़ी नियुक्त की और देहात में इस बात का जोरदार प्रचार रहा कि पुलिस परशुरामसिंह व उनकी गोल बालों को जहां पायेंगी कठोरता

से दमन करेगी। किन्तु प्रार्थी उस समय अवाक रह गया जब उसने देखा कि जिले के उप-पुलिस अधीक्षक, श्री शुक्ल के बंगले में एक सफेदे पोश व्यक्ति के साथ पचीसों डकैती हत्याओं के लिये जिम्मेदार समझा जाना वाला प्रमुख अभियुक्त परशुराम सिंह दिनांक १८-४-६२ ई० को दिन दहाड़े निर्भीकता पूर्वक घुसा और काफी समय के पश्चात् जिले के प्रमुख वकील श्री रमाकान्त मिश्र के बंगले पर वापस आया। प्रार्थी ने उक्त परशुराम के शुक्ल जी के बंगले में जाने की बात पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ से दिनांक १९-४-६२ को बताई। परशुरामसिंह ने स्वयं देहात में प्रचार किया है कि श्री शुक्ल व श्री रमाकान्त मिश्र का आपस में संबंध है और श्री शुक्ल जी की पत्नी के मामा के साथ जो हैं वह शुक्ल जी से मिल चुका है, पुलिस अब उसका कुछ न बिगाड़ेगी।

इधर परशुरामसिंह प्रार्थी की हत्या व उसके परिवार के विरुद्ध संगीन अपराध करने की बात कर रहा है और उसकी बातों से आभासित हो रहा है कि श्री शुक्ल जी प्रार्थी से बहुत क्रुद्ध हैं। प्रार्थी के विरुद्ध संगीन अपराध निकट भविष्य में ही होने की आशंका है। प्रार्थी को दुख है कि पुलिस के उच्च अधिकारियों को तथ्य का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी का जीवन घोर संकट में है।

अतएव प्रार्थना है कि प्रार्थी के धन जन की रक्षा इन असामाजिक तत्वों से की जाय जिन्हें पुलिस का प्रश्रय प्राप्त है।

प्रार्थी,
(ह०) विष्णु देव
सोशलिस्ट पार्टी,
मधुबन, आजमगढ़।

तिथि १६-५-६२

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५१ पर)

दिनांक ९–१०–६२ की शाम को जिला आजमगढ़ में गुजरपार घाट पर एक नौका, जिसमें ५०–६० व्यक्ति बैठे थे, टोंस नदी के किनारे डूबने की सूचना स्थानीय पुलिस को उसी दिन रात्रि में मिली थी। इस घटना में ६ व्यक्तियों के डूबने की सूचना मिली, जिसमें से ५ स्त्री व एक बालक था। अधिकारियों तथा नागरिकों के प्रयास के फलस्वरूप ४ शव बरामद हुए। एक स्त्री तथा एक बालक का कोई पता न चला सका।

२––जांच से यह भी ज्ञात हुआ कि ९–१०–६२ को नौका में बैठे व्यक्ति गुजरपारघाट के उस पार ग्राम बेरमा के होने वाले नाटक को देखने जा रहे थे और किनारे आने पर असावधानी में यात्रियों के उतरने के कारण नाव का संतुलन बिगड़ गया जिससे नाव उलट गई।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५४ पर ।)

राइफिल क्लब, गोरखपुर द्वारा सन् १९६१-६२ में खरीदे तथा वितरित किए गए कारतूसों का विवरण

			अतिरिक्त सूचना
व्यक्ति का नाम जिसे कारतूस बेचे गये	व्यक्ति का लाइसेंस नं०	बेचे गये कारतूसों की संख्या	दिनांक १-४-६२ से ३०-११-६२ तक दिये गये कारतूसों की संख्या
१	२	३	४
१—श्री मोहम्मद सफी ..	१,२९६	१५०	१००
२—श्री जगदीश प्रसाद दूबे ..	४,१५९	१००	२००
३—श्री नाग नारायण सिंह ..	३,४७९	१००	४००
४—श्री डा० विक्टर इगन ..	१,५४७	१००	१००
५—श्री दिनेश कुमार पान्डे ..	१,६९०	३००	६५०
६—श्री डी० आर० नागिया ..	३१८	१००	३००
७—श्री डा० काजी अमीनुल्ला ..	१,२९०	५००	१,०००
८—श्री एच० एन० सरकार ..	१,१९८	२००	..
९—श्री विजय सिंह ..	१,३०७	३००	६००
१०—श्री पतेश्वरी प्रसाद मिश्रा ..	१,२२८	१००	१९९
११—श्री बी० पी० गुप्ता ..	३,०६४	३००	३००
१२—श्री राम प्यारे मल ..	२,६०९	२००	३००
१३—श्री डब्लू बी० हन्सराज ..	२,६९८	२००	१००
१४—श्री डा० एन० बी० मल ..	३,०७३	३००	६००
१५—श्री जे० एस० एम० ड्रमन्ड ..	१,८२३	५०	..
१६—श्री गिरीश चन्द्र ..	६६१	२००	..
१७—श्री मुहम्मद फैज ..	३,२२६	२००	..
१८—श्री रामानन्द ..	१,१५२	१००	..

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३१३ पर)

नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३

ऐक्ट संख्या ८, १८७३

नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज ऐक्ट, १८७३ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधित करने के लिये

विधेयक

ऐक्ट संख्या ८, १८७३ उत्तर प्रदेश अध्यादेश १, १९६३

नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज ऐक्ट, १८७३ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित करने के लिये राज्यपाल द्वारा २९ जनवरी, १९६३ को नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६३ प्रख्यापित किया गया था;

और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार

१—(१) यह अधिनियम नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

ऐक्ट संख्या ८, १८७३ की धारा ३ का संशोधन

नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज ऐक्ट, १८७३ (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा ३ के खंड (८) में पूर्ण विराम के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाये और तत्पश्चात् नये खंड (९) तथा (१०) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये :—

"(9) "irrigable command area" means such area of culturable land or grove land which, for purposes of irrigation, can be commanded through a single outlet in a canal or by a single tube-well and the limits of which are fixed in this behalf by the Divisional Canal Officer ; and

(10) "Prescribed" means prescribed by rule made under this Act."

ऐक्ट संख्या ८, १८७३ में नयी धारा ३०—ए से ३०—जी तक का बढ़ाया जाना

३—मूल अधिनियम की धारा ३० के पश्चात् नयी धारा ३०—ए से ३०—जी के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

Preparation of the scheme for an irrigable command area.

"30-A. The Divisional Canal Officer may, with a view to providing for or improving irrigation facilities in an irrigable command area, prepare a scheme for the construction of water-courses and the carrying out of any work connected therewith in such area, anything to the contrary contained in any other law notwithstanding. The scheme shall contain—

(i) a plan showing the site of the outlet, the existing water-coures, if any, the proposed water-courses and

works connected therewith, and the areas already served and to be served by the existing or proposed water-courses;

(ii) a statement showing the estimated cost of constructing the proposed water-courses and works connected therewith ;

(iii) a memorandum showing the manner in which the scheme may be implemented; and

(iv) such other particulars as may be prescribed.

Calling upon the Gaon Sabhas to implement the scheme.

30-B. (1) The Divisional Canal Officer shall, as soon as may be, forward a copy of the scheme prepared under section 30-A to each of The Gaon Sabhas and Block Development Officers within whose jurisdiction the land affected thereby is situate, and call upon the Gaon Sabhas to submit to him, within a period of thirty days from the date of receipt of the copy, their approval of the scheme, or any objections, suggestions or modifications thereto.

(2) The copy of the scheme shall, within three days of its receipt by the Gaon Sabha, be affixed by it on its notice board, and shall, within twelve days thereafter, be considered in a meeting of the Gaon Panchayat convened for the purpose and the decision of the Gaon Panchayat shall be deemed to be for and on behalf of the Gaon Sabha concerned. The decision shall be communicated to the Divisional Canal Officer within the time allowed under sub-section (1).

(3) If no objections, modifications or suggestions are submitted by any of the Gaon Sabhas, within the time specified in sub-section (1), the Gaon Sabhas shall be deemed to have approved the scheme, which shall thereupon become final.

(4) Upon receipt of the objections, modifications or suggestions, made by the Gaon Sabhas under sub-section (2), the Divisional Canal Officer may either confirm the schem or amend, or modify it and thereupon the scheme so confirmed, amended or modified, shall become final.

(5) When the scheme has become final, the Divisional Canal Officer shall, by notice in writing, call upon the Gaon Sabhas concerned to take all such steps as may be necessary for the implementation of the scheme, and in particular to construct or cause to be constructed, the water-courses and carry out, or cause to be carried out, all works connected therewith, within the period fixed therefor in the notice, which may be extended from time to time.

Securing or acquiring land for the scheme.

30-C. (1) Upon receipt of the notice mentioned in sub-section (5) of section 30-B, the Gaon Sabha shall give to all persons on whose land any water-course is proposed to be constructed, or on which any work connected therewith is proposed to be carried out, option to transfer by way of

gift or surrender as the case may be, free from all encumbrances, within the period provided therefor in the notice, so much of the said land in its favour as may be necessary for the implementation of the scheme.

(2) Where any land required for the implementation of the scheme is not transferred to, or surrendered in favour of the Gaon Sabha under sub-section (1), it may—

(i) either purchase the land at such rates as may be prescribed ; or

Act no. I. of 1894.

(ii) move the State Government to acquire the same under the Land Acquisition Act , 1894 ; or

U. P. Act no. XXVII of 1948.

(iii) if the land for construction of water-courses is likely to be required for a limited period only, apply to the Requisitioning Authority under section 6 of U. P. Rural Development (Requisitioning of Land) Act, 1948 to requisition the land :

Provided that if it appears after the construction of water-courses on the land so requisitioned that the alignment of the water-courses as constructed will be retained unchanged for long, the Gaon Sabha shall, as early as possible, move the State Government to acquire the land on a permanent basis.

Act no. I. of 1894.

(3) Where, on the application of the Gaon Sabha under sub-section (2), any land has been acquired in accordance with the provisions of the Land Acquisition Act, 1894, the State Government shall, subject to such terms and conditions as may be imposed by it in this behalf, transfer to, or vest in, the Gaon Sabha, the land so acquired for the implementation of the scheme.

U. P. Act no. XXVII of 1948.

(4) The land transferred to, or vested in, the Gaon Sabha under sub-section (3), or of which the management has been vested in the Gaon Sabha under section 11 of the U. P. Rural Development (Requisitioning of Land) Act, 1948, shall be utilized by the Gaon Sabha for the implementation of the scheme, and it shall construct or cause to be constructed, in the manner hereinafter provided, the water-courses, and carry out or cause to be carried out, all works connected therewith, as may be necessary for the implementation of the scheme.

(5) In implementing the scheme the Gaon Sabha shall, in the first instance, give option, by notice in writing, published in the manner prescribed, to all persons having a holding in the irrigable command area, to construct, within such time as may be fixed therefor in the notice, these water-courses, and carry out all such work connected therewith, as may be necessary for the implementation of the scheme.

(6) Where the persons concerned fail to construct the whole or any part of any water-coures, or to carry out any work connected therewith, in accordance with the scheme, the Gaon Sabha shall construct, or carry out, or cause to be

constructed, or carried out, the same in the manner provided under section 17 of the Uttar Pradesh Panchayat Raj Act, 1947, for the execution of small Irrigation projects. U. P. Act no. XXVI of 1947.

Inspection of work by the Divisional Canal Officer.

30-D. (1) On the expiry of the period or extended period, as the case may be specified in the notice under sub-section (5) of section 30-B, the Divisional Canal Officer shall inspect, or cause to be inspected, the water-courses and all works connected therewith, constructed or carried out, by the Gaon Sabha, either directly or through the tenure-holders of the irrigable command area, and if the same are in accordance with the scheme and otherwise properly constructed, or carried out, approve the same.

(2) Where the water-courses, or all works connected therewith, have not been properly constructed or carried out in accordance with the scheme, the Divisional Canal Officer, shall, by order in writing, require the Gaon Sabha concerned to remove and remedy, or cause to be removed and remedied, all the defects within the period specified in the order.

(3) On the expiry of the period allowed in the order under sub-section (2), the Divisional Canal Officer shall again inspect, or cause to be inspected, the water-courses, and all works connected therewith, and shall either approve or disapprove the same.

30-E. Where the Gaon Sabha fails—

Implementation of the scheme by the State Government.

(i) to take all or any of the steps required to be taken by it in accordance with the provisions of section 30-C, or

(ii) to construct, or cause to be constructed, the whole of the water-courses, or to carry out all works connected therewith, in accordance with the scheme, within the period or the extended period provided therefor in the notice under sub-section (5) of section 30-B; or

(iii) to remove the defects in the water-courses or in any work commenced therewith as required to be done under sub-section (2) of section 30-D, or to obtain final approval of the Divisional Canal Officer in respect of them under sub-section (3) of the said section.

the State Government shall take all such steps, including acquisition of the land, as may be necessary for the implementation of the scheme, and cause to be constructed and carried out the water-courses and all works connected therewith in accordance with the scheme.

Vesting of water-courses, etc. in the Gaon Sabha.

30-F. With effect from the date a notification in this behalf is published in the *Gazette* by the State Government and subject to such terms and conditions as may be

pres cribed, all the water-courses and allworks carried out by the State Government in connection with the implementation of the scheme, shall vest in the Gaon Sabha within whose jurisdiction the same lie.

Maintenance of the water-courses, etc.

30-G. The Gaon Sabha shall, at all times, maintain and keep in good repairs all the water-courses, and all the works connected therewith, constructed or carried out by it, or vested in it under section 30-F."

ऐक्ट संख्या ८,१८७३ में नयी धारा ३६–ए का बढ़ाया जाना

४––मूल अधिनियम की धारा ३६ के पश्चात् नयी धारा ३६–ए के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये :––

"36-A. (1) There shall be levied on, and collected from, in the manner prescribed, the persons mentioned in sub-section (2) a development charge for recovering the cost of the land acquired or requisitioned and the cost of construction and maintaining the water-courses, and all works carried out, in connection with the implementation of the scheme calculated—

(i) for the cost of acquisition and requisition of the land at the rate of 40 Naye Paise per acre per annum; and

(ii) for the cost of constructing the water-courses and for carrying out the works connected therewith, at the rate of 60 Naye Paise per acre per annum.

(2) Every person having a holding in the irrigable command area except those who have surrendered or transferred by way of gift, as the case may be, to the Gaon Sabha such portion of their land on which any water-course has been constructed, or on which any work connected therewith has been carried out, shall be liable and pay till such time as the cost together with interest at six per cent per annum on the same, has been realized in full to the State Government, if the cost of acquisition has been met out of the Consolidtaed Fund of the State, or to the Gaon Sabha, if the compensation for acquisition or requisition has been paid by the Gaon Sabha, a development charge levied under clause (i) of sub-section (1), and every person in that area, who has failed to implement the scheme in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 30 C, or sub-section (2) of section 30—D, so far as it relates to his land, shall, in lieu of the benefits derived from the implementation of the scheme, pay till such time as the expenditure incurred in this connexion, together with interest at six per cent per annum on the same, has been realized in full, to the State Government or the Gaon Sabha, whosoever may have constructed the water-courses or carried out the works connected therewith, in the implementation of the scheme a development charge levied at the rate provided in clause (ii) of sub-section (1) :

Provided however that the development charges shall in the first instance be payable to the State Government till such time as the expenditure incurred by it in this connetion,

together with interest at six per cent per annum on the same, has been realized in full.'

ऐक्ट संख्या ८,१८७३ की धारा ७५ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ७५ को उसकी उपधारा (१) कर दिया जाय और तत्पश्चात् उसकी उपधारा (२) तथा (३) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये :—

"(2) Without prejudice to the generality of the powers contained under sub-section (1), the rules may provide for—

(i) the particulars to be mentioned in the scheme prepared under this chapter ;

(ii) the manner of implementation of the scheme ;

(iii) the manner of publication of the scheme and giving or publishing of notice under this chapter ; and

(iv) the manner of doing or execution of such other things as can be, or may be, prescribed for giving effect to the provisions of this chapter.

(3) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session , for a total period of fourteen days extending in its one session or more than one successive sessions and shall, unless some later date is appointed, take effect, from the date of their publication in the *Gazette* subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may agree to make, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder."

निरसन और अपवाद उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १, १९६३

६—(१) नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६३ निरस्त किया जाता है।

(२) इस निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम २९ जनवरी, १९६३ को प्रारम्भ हुआ है।

उद्देश्य और कारण

जल-मार्गों का निर्माण करने की जिम्मेदारी कृषकों पर है। नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज ऐक्ट में कोई ऐसा परिनियत उपबन्ध नहीं है जिसके अधीन कृषकों से इस जिम्मेदारी का निर्वहन कराया जा सके। इसका परिणाम यह हुआ है कि जल-मार्गों का निर्माण नये सिंचन साधनों के सृजन के साथ-साथ नहीं हुआ है और इन साधनों का समुचित उपयोग नहीं किया गया है। प्रस्तावित विधायन के अन्तर्गत गांव सभाओं से यह अपेक्षा की गयी है कि वे निर्दिष्ट अवधि के भीतर जल-मार्गों का निर्माण करें या करावें। प्रथमतः गांव सभाएं जल-मार्गों का निर्माण करने का लाभग्राहियों को विकल्प देंगी। गांव सभाओं द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर जल-मार्गों का निर्माण न किये जाने पर, उक्त कार्य विभागीय रूप से कराया जायेगा और इस प्रकार जो व्यय होगा उसे विकास व्यय के रूप में लाभग्राहियों से वसूल किया जायेगा। विधेयक के उपबन्धों का उद्देश्य राज्य के सिंचन साधनों का पूरा-पूरा उपयोग किया जाना है जिससे कि अन्ततः भूमि जोतने वाले को लाभ हो।

रामभूति,
सिंचाई मंत्री।

वित्तीय ज्ञापन-पत्र

प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं की अवधि में बनाई गई प्रणालियों (channels) की कुल लम्बाई लगभग ८,००० मील और उक्त अवधि में बनाये गये नलकूपों (Tube Wells) की संख्या ४,२०० है। सिंचाई की प्रणालियों (channels) की प्रति मील २ १/२ मील और प्रति नल-कूप २ मील के हिसाब से नये सिंचाई के लिये सृजित संभाव्य संसाधन का पूरा उपयोग करने के उद्देश्य से २८,४०० मील जलमार्ग (water-courses) बनाये जाने चाहिये थे। यह अनुमान किया जाता है कि कृषकों की प्रेरणा से और उनके व्यय से अब तक जल मार्गों की अधिकतम लम्बाई का ३० प्रतिशत से अधिक नहीं बनाया जाता है। इस प्रकार बनाये जाने वाले जल-मार्गों की कुल लम्बाई लगभग २०,००० मील होगी। यह आशा की जाती है कि कृषक जलमार्गों की लम्बाई के लगभग ५० प्रतिशत का निर्माण स्वयं करेंगे और इस प्रकार सरकार को शेष ५० प्रतिशत पर व्यय करना होगा।

विभागीय रूप से ५०० रुपये प्रति मील के हिसाब से १०,००० मील की प्रणालियों के निर्माण में (५०० × १०,०००) ५०,००,००० व्यय होगा, जिसके अन्तर्गत भूमि अर्जन करने के लिए १५० रुपये निर्माण के लिए २५० रुपये और भूमि के नक्शे आदि तैयार करने तथा काम पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त कर्मचारिवर्ग के लिए १०० रुपये होगा। यह आशा की जाती है कि यह लक्ष्य तीन वर्ष की अवधि में निम्नलिखित रीति से पूरा हो जायेगा :—

		रुपये
प्रथम वर्ष ५०० रुपये के हिसाब से २,००० मील	..	१०,००,०००
द्वितीय वर्ष ५०० रुपये के हिसाब से ४,००० मील	..	२०,००,०००
तृतीय वर्ष ५०० रुपये के हिसाब से ४,००० मील	..	२०,००,०००
योग	..	५०,००,०००

ऐसा समझा जाता है कि एक मील जलमार्ग से लगभग ३०० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। यह प्रस्ताव किया जाता है कि विभागीय रूप से किये जाने वाले निर्माण कार्य के व्यय को उस पर ६ प्रतिशत प्रति वर्ष की व्याज के साथ लाभार्थियों (benficiaries) से वसूल किया जाये। इस प्रकार किया गया व्यय लगभग दो वर्ष की अवधि में लाभार्थियों से वसूल हो जायेगा।

रामम्र्ति,
सिंचाई मंत्री।

नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ में दिये हुए ऐसे उपबन्धों के सम्बन्ध में ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधि को प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हैं।

नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जिनमें कुछ मात्रा में विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान है। उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिनियम की धारा ७५ में राज्य सरकार को नियम बनाने के सामान्य अधिकार दिये गये हैं। मूल अधिनियम की धारा ७५ के प्रस्तावित संशोधन द्वारा विधेयक के खण्ड ५ में राज्य सरकार को कतिपय निर्दिष्ट विषयों पर नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। ये नियम, उक्त अधिनियम में, जैसा कि वह विधान-मंडल द्वारा इस विधेयक के अधिनियमित हो जाने के पश्चात् संशोधित किया जाये, दिये गये शासी निदेशों को समुचित रूप से ध्यान में रखते हुए उसमें

उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त बनाये जायेंगे। विधान-मंडल को इन नियमों का परीक्षण तथा उनमें परिष्कार करने का अवसर प्राप्त होगा क्योंकि इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि ऐसे समस्त नियम विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान-मंडल उनमें करना चाहे।

उपर्युक्त खण्ड के अतिरिक्त विधेयक के अन्य खण्ड हैं; जिनमें प्रतिनिहित विधायन की कतिपय प्रस्थापनायें हैं और उन्हें नीचे दिया गया है :—

खंड ३ के अन्तर्गत प्रस्तावित धारा ३०—ए (४)

इसमें राज्य सरकार को नियमों में ऐसे अन्य व्योरों की व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया है जो प्रभागीय नहर अधिकारी द्वारा तैयार की जाने वाली जल-मार्गों की योजना में दिये जायें।

खण्ड ३ के अन्तर्गत प्रस्तावित धारा ३०—सी (२) (१)

इसमें राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी दरें निश्चित करे जिन पर गांव सभायें जल-मार्गों के निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि खरीदें।

खंड ३ के अन्तर्गत प्रस्तावित धारा ३०—सी (५)

इसमें राज्य सरकार को वह रीति नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार जल-मार्गों के निर्माण के लिए गांव सभा उन व्यक्तियों को विकल्प देने का नोटिस प्रकाशित करेगी जिनके पास सिंचाई क्षेत्र में जोत हो।

खंड ३ में प्रस्तावित धारा ३०—एफ

इसमें राज्य सरकार को नियमों में उन शर्तों तथा प्रतिबन्धों को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है जिन पर सभी जलमार्ग और योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्मित समस्त निर्माण कार्य गांव सभाओं में निहित होंगे।

खंड ४ के अन्तर्गत प्रस्तावित धारा ३६—ए (१)

इसमें राज्य सरकार को वह रीति नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार अर्जित या अधिग्रहीत भूमि के व्यय और निर्माण आदि के व्यय की वसूली के लिए विकास व्यय लगाया जायेगा और उसे वसूल किया जायेगा।

प्रतिनिहित विधायन की ये समस्त प्रस्थापनायें सामान्य प्रकार की हैं।

राममूर्ति,
सिंचाई मंत्री।

ज्ञापन-पत्र जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया है जिनके कारण अध्यादेश में परिवर्तन करने की आवश्यकता हुई।

अध्यादेश के खंड ३ की धारा ३०—बी (५) में यह व्यवस्था की गयी थी कि जब योजना को अन्तिम रूप दे दिया जाय तो प्रभागीय (डिवीजनल) नहर अधिकारी को चाहिए कि वह लिखित नोटिस द्वारा सम्बद्ध गांव सभाओं में ऐसी सभी कार्यवाही करने के लिए कहे जो योजना के कार्यान्वयन के लिए और विशेष कर उक्त नोटिस में निश्चित की गयी अवधि के भीतर जलमार्गों का निर्माण करने या करवाने और उससे सम्बद्ध समस्त कार्यों को करने या करवाने के लिए आवश्यक हों। ऐसा समझा गया कि जल मार्गों के निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि का अर्जन या अधिग्रहण करने में अपरिहार्य विलम्ब होने के कारण नोटिस में निश्चित की गयी अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। अतएव विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है कि उक्त प्रयोजन के लिए नोटिस में निश्चित की गयी अवधि को समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है।

राममूर्ति,
सिंचाई मंत्री।

मूल अधिनियम की उन वर्तमान धाराओं का विवरण जिन्हें संशोधित करने का विचार है

Interpretation clause.

3. In this Act, unless there be something repugnant in the subject or context—

Canal.

(1) "Canal" includes—

(*a*) all canals, channels and reservoirs constructed, maintained or controlled by the State Government for the supply or storage of water:

(*b*) all works, embankments, structures, supply and escape channels connected with such canals, channels or reservoirs ;

(*c*) all water-courses as defined in the second clause of this section ;

(*d*) any part of a river stream, lake or natural collection of water, or natural drainage-channels, to which the State Government has appli d the provisions of Part II of this Act ;

Water-course.

(2) "water-cou se" means any channel which is supplied with water from a canal, but which is not maintained at the cost of the State Government, and all subsidiary works belonging to any such channel ;

Drainage work.

(3) "drainage-work" includes escape-channels from a canal, dams, weirs, embankments, sluices, groins and other works for the protection of lands from floods or from erosion, formed or maintained by the State Government under the provisions of Part VII of this Act but does not include works for the removal of sewage from towns :

Vessel.

(4) "vessel" includes boats, rafts, timber, and other floating bodies ;

Commissioner.

(5) "Commissioner" means a Commissioner of a Division and includes any officer appointed under this Act to exercise all or any of the powers of a Commissioner ;

Collector.

(6) "Collector" means the head revenue-officer of a district, and includes a Deputy Commissioner or other officer appointed under this Act to exercise all or any of the powers of a Collector ;

Canal Officer.

(7) "Canal Officer" means an officer appointed under this Act to exercise control of jurisdiction over a canal or any part thereof ;

Superintending Canal Officer, Divisional Canal Officer.

"Superintending Canal Officer" means an officer exercising general control over a canal or portion of a canal ; "Divisional Canal Officer" means an officer exercising control over a division of a canal ;

Sub-Divisional Canal Officer.

"Sub-Divisional Canal Officer" means an officer exercising control over a sub-Division of a canal ;

District.

(8) "District" means a district as fixed for revenue purposes.

30. The procedure hereinbefore provided for the occupation of land for the construction of a water-course shall be applicable to the occupation of land for any extension or alteration of a water-course, and for the deposit of soil from water-course clearances. Procedure applicable to occupation for extension and alterations.

36. The rates to be charged for canal-water supplied for purposes of irrigation to the occupiers of land shall be determined by the rules to be made by the State Government and such occupiers as accept the water shall pay for accordingly. Charge on occupier for water, how determined.

A rate so charged shall be called the "occupier's rate.." Occupier's rate.

The rules hereinbefore referred to may prescribe and determine what persons or classes of persons are to be deemed to be occupiers for the purposes of this section, and may also determine the several liabilities, in respect of the payment of the occupier's rate, of tenants and of persons to whom tenants may have sublet their lands, or of proprietors and of persons to whom proprietors may have let the lands held by them in cultivating occupancy.

75. The State Government may, from time to time, make rules to regulate the following matters : Power to make, alter and cancel rules.

(1) the proceedings of any officer who, under any provision of this Act, is required or empowered to take action in any matter;

(2) the cases in which, and the officers to whom, and the conditions subject to which, orders and decisions given under any provision of this Act, and not expressly provided for as regards appeal, shall be appealable ;

(3) the persons by whom, and the time, place or manner at or in which any thing for the doing of which provision is made under this Act, shall be done ;

(4) the amount of any charge made under this Act ; and

(5) generally to carry out the provisions of this Act.

The State Government may from time to time alter or cancel any rules so made.

Such rules, alterations and cancelments shall be published in the official *Gazette*, and shall thereupon have the force of law. Publication of rules.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३०९ एल ०ए०—१९६३—(प्रो०)—८५०।